लोक-सभा

वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २८, १९५९/१८८०-८१ (शक)

[२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से १४ चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सातवां सत्र १९५९/१८८०-८१(शक)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २८, अंक ३१ से ४०—२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से [१४ चैत्र १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ३१—शुक्रवार, २० मार्च, १९५९/२९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४०५ से १४११, १४१४ से १४१६, १४१८, १४२०, १४२१, १४२५, १४२७ से १४२९ और १४३१ . ३६६९—९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ३६९३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१२, १४१३, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२६, १४३० और १४३२ से १४४४ . ३६९५—३७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२५५ . . . ३७०४—३७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३७३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३८

विधेयक पर राय ३७३९

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३७३९

सभा का कार्य ३७३९

अनुदानों की मांगें . . . . . ३७३९—६५

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ३७३९—६५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ३७६५

विधेयक पुरःस्थापित: ३७६६–६७

(१) श्री हेम राज का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ७३ का संशोधन) ३७६६

(२) श्री राम शंकर लाल का वस्तु मूल्य उल्लेखन विधेयक, १९५९ . ३७६६

(३) श्री राम कृष्ण गुप्त का पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ३ और ४ का संशोधन और नई धारा ७ क और ७ ख का रखा जाना) . . . ३७६६

(४) श्री झूलन सिंह का खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक, १९५९ ३७६६–६७

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—

राय जानने की अवधि का बढ़ाया जाना . . ३७६७

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक (वाद-विवाद स्थगित) . . ३७६७—६९

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत . ३७६९—८७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३७८७—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३७८९—९५

अंक २३—सोमवार, २३ मार्च, १९५९/२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४४५ से १४५०, १४५२ से १४५५, १४५७ से १४५९, १४६१ और १४६४ से १४६९ . . ३७९७—३८२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . ३८२१—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५१, १४५६, १४६०, १४६२, १४६३ और १४७० से १४८३ . . . . ३८२२—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५६ से २३२० . . . ३८३०—५५

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत की स्थिति . . . . . ३८५६—५८

सभा पटल पर रखे गये पत्र— . . . . ३८५९—६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . ३८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती व्यापार का पुनः आरम्भ किया जाना . . . ३८६०—६१

अनुदानों की मांगें . . . . ३८६१—३९०६

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . . . . ३८६१—३९०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९०७—१२

अंक ३३—गुरुवार, २६ मार्च, १९५९/५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५ से १४९१, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०३, १५०५ और १५०६ . . . ३९१३—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ . . . ३९३७—४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४, १४९२, १४९३, १४९५, १५०१, १५०४ और १५०७ से १५१२ . . ३९४१—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २३२१ से २३८५ और २३८७ . . ३९४५—७५

विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में . . . . ३९७५—७६

सदस्य की रिहाई ३९७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९७७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

प्राक्कलन समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता—बम्बई मेल की दुर्घटना . . . ३९७८

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ३९७९

अनुदानों की मांगें . . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

घरेलू कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य . . . . ४०१३—१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३४३०—३५

अंक ३४—शनिवार, २८ मार्च, १९५९/७ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१३, १५१७, १५१९ से १५२१, १५२५, १५२६, १५२८ से १५३०, १५३२ से १५३६, १०३१ और १५३१ ४०३७—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४०६१—६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५१४ से १५१६, १५१८, १५२२ से १५२४ और १५२७ . . . . . ४०६३—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८८ से २४६४ . . . ४०६७—९६

श्री कला वेंकट राव का निधन ४०९६-९७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४०९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०९८

प्राक्कलन समिति--

चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन . ४०९९

सभा का कार्य ४०९९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४०९९—४१३२

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय . . . ४०९९—४१३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ४१३३

सहकारी कृषि के बारे में संकल्प . . . . . ४१३३—५३

विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचार को जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ४१५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१५४—५८

अंक ३५--सोमवार, ३० मार्च, १९५९/९ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५४८, १५४९, १५५२, १५५६, १५५७ और १५५९ . . . . ४१५९—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . ४१८४—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३७, १५४७, १५५०, १५५१, १५५३ से १५५५, १५५६ और १५६० से १५६४. . . . ४१८८—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६५ से २५२३ . . ४१९४—४२१७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४२१७—२३

स्थगन प्रस्ताव ४२२३—२५

(१) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना ; और ४२२३—२५

(२) दिल्ली में आंधी व तूफान आने से बेघरबार हुए परिवारों को सहायता ४२२५

प्राक्कलन समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . ४२२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुर्तगालियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र पर गोली वर्षा ४२२६–२७

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ४२२७

अनुदानों की मांगें ४२२७—६२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ४२२७—३५

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय ४२३६—६२

दैनिक संक्षेपिका ४२६३—६७

अंक ३६—मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९/१० चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६५ से १५७०, १५७२ से १५७४, १५७६ और १५७८ से १५८५ . . ४२६९—९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ ४२९३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७१, १५७५, १५७७ और १५८६ से १५९१ ४२९५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२४ से २५६५ ४३९८—४३१६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३१६

प्राक्कलन समिति—

पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४३१७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४३१७—५७

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय . ४३१७—५२

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . . ४३५३—५७

महेन्द्र घाट और पहलेजा घाट के बीच घाट से घाट तक बुकिंग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . ४३५७—६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४३७४—६७

पृष्ठ

अंक ३७—बुधवार, १ अप्रैल, १९५९/११ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९२ से १५९४, १५९६ से १५९९, १६०१, १६०२, १६०४, १६०६, १६०७ और १६०९ से १६१३ ४३६९—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९५, १६००, १६०३, १६०५ और १६०८ . ४३८९—९१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५६६ से २५६९, २५७१ से २६३० और २६३२ से २६३६ . . .४३९१—४४१९

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में एक लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४४१९—२६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४२७–२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . ४४२८

प्राक्कलन समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . ४४२८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन ४४२८

तारांकित प्रश्न संख्या ११६१ के उत्तर की शुद्धि . . . ४४२८

सदस्य को सदन से बाहर चले जाने के लिये दिये गये आदेश का रद्द किया जाना ४४२९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४४२९—८६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४४२९—७८

वैज्ञानिक, गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ४४७९—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . ४४८७—९२

अंक ३८—गुरुवार, २ अप्रैल, १९५९/१२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१४, १६१५, १६१७ से १६२७, १६२९ और १६३१ से १६३७ . . . .४४९३—४५१८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . ४५१८—२०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६२८, १६३० और १६३८ से १६४० ४५२०—२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३७ से २६७७ ४५२२—३८

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४५३८—४९

पाकिस्तान से बेरुबाड़ी यूनियन और कूच-बिहार बस्तियों की अदला-बदली के बारे में वक्तव्य ४५४९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५४९—५०

खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की योजना के बारे में वक्तव्य ४५५०—५२

अनुदानों की मांगें . . . . ४५५३—८५

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ४५५३—७५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४५७५—८५

चिनाकुरी कोयला-खान दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव ४५८६—४६०१

दैदिक संक्षेपिका ४६०२—०६

अंक ३९—शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९५९/१३ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ से १६४५, १६४८ से १६५०, १६५२, १६५४, १६५५, १६५७, १६५८ और १६६१ से १६६४ ४६०७—३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ ४६३२—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६, १६४७, १६५१, १६५३, १६५६, १६५९ और १६६० ४६३४—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६७८ से २७०७ ४६३७—४९

नियम ३७७ के अधीन सूचनायें ४६४९

नियम २२२ के अधीन सूचना ४६५०

दलाई लामा के बारे में वक्तव्य . ४६५०—५२

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४६५२

अनुदानों की मांगें . . ४६५२—४७००

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६५२—४७००

पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन . . ४७००

पत्तन हज समितियां (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित-- ४७०१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव–वापस लिया गया ४७०१—०८

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत ४७०८—२०

मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४७२१

दैनिक संक्षेपिका ४७२२—२५

अंक ४०—शनिवार, ४ अप्रैल, १९५९/१४ चैत्र, १८८१ (शक)

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४७२७

लकड़ी के कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका ४७२७

अनुपस्थिति की अनुमति ४७२७–२८

सभा का कार्य . ४७२८

अनुदानों की मांगें ४७२८—८९
परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४७२८—८३
श्रम और रोज़गार मंत्रालय ४७८४—८९

दैनिक संक्षेपिका ४७९०—९१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बृहस्पतिवार, २६ मार्च, १९५९

५ चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वेनेडियम अयस्क का निर्यात[1]

†*१४८५. { **श्री रा० चं० माझी:**
श्री सुबोध हंसदा:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब वेनेडियम अयस्क का निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उसकी कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) वेनाडीफेरस अयस्क का निर्यात कुछ प्रतिबन्धों के अधीन किया जा सकता है।

(ख) अक्तूबर, १९५८ तक कुछ भी नहीं। बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री रा० चं० माझी** : किस प्रकार के वेनेडियम अयस्क का निर्यात करने की अनुमति है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वेनाडीफेरस अयस्क के निर्यात करने की अनुमति है बशर्ते कि उस में कितना यूरेनियम है इसकी जांच कर ली जाय और उस में यूरेनियम की मात्रा ०·०४ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री रा० चं० माझी** : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्यात की अनुमति है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी हां, राज्य व्यापार निगम के द्वारा किन्तु अभी तक कुछ भी निर्यात नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Export of Vanadium Ore.

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१४८६. **श्री केशव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटड ने विदेशी खरीदारों द्वारा भेजे गये जहाजों को बिना माल दिये खाली वापस लौटा दिया ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम को प्रतिकर के रूप में कितनी हानि उठानी पड़ी तथा विलम्ब से संभरण करने अथवा जिन वस्तुओं का करार किया गया उनका संभरण न करने के लिये कितना विलम्ब शुल्क दिया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) दिसम्बर, १६५६ में १००० टन मैंगनीज अयस्क के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा जहाज में जगह का प्रबन्ध किया गया था किन्तु वांछित विवरण का न होने के कारण उसे यह करार रद्द करना पड़ा।

(ख) कोई हानि नहीं उठानी पड़ी ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : नवम्बर, १६५७ में इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ विलम्ब-शुल्क हो गया था किन्तु बाद में माल लदाने में शीघ्रता करने के कारण माल भेजने का जो खर्च हुआ था उस से विलम्ब, शुल्क की कमी पूरी होने की संभावना है । राज्य व्यापार निगम ने माल भेजने में जो व्यय हुआ उस में से विलम्ब शुल्क के दावे की राशि निकाल कर कितनी राशि कमाई ?

†**श्री कानूनगो** : यह विशष लाइनर के बारे में है। दूसरा प्रश्न चार्टड जहाजों के संबंध में है। मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु जितना विलम्ब-शुल्क दिया गया, माल भेजने का व्यय उस से अधिक था।

†**श्री पाणिग्रही** : वह खान का मालिक कौन है जो १००० टन मैंगनीज अयस्क का संभरण नहीं कर सका जिसके कारण राज्य व्यापार निगम को विलम्ब-शुल्क देना पड़ा ?

†**श्री कानूनगो** : विलम्ब-शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। इस से कोई हानि भी नहीं हुई । यह दिसम्बर, १६५६ की बात है तथा राज्य व्यापार निगम १६५६ क मध्य में बना है तथा यह उसके पहले कामों में से एक काम था।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या मैंगनीज अयस्क की व्यवस्था न कर पाने का उत्तर दायित्व खान के मालिकों पर है अथवा रेलवे मैंगनीज अयस्क को खान तक पहुंचाने के लिये मालगाड़ी के डिब्बों की व्यवस्था नहीं कर सकी ?

†**श्री कानूनगो** : अधिकांशत: इसका कारण माल ले जाने संबंधी कठिनाइयों का होना था।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैदराबाद में नाभिकीय गवेषणा संस्था

+

†*१४८७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या **प्रधान मंत्री** १९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस्मानिया विश्वविद्यालय के पास से हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी को विश्वविद्यालय से मिला देने के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हैदराबाद में नाभिकीय गवेषणा संस्था की स्थापना करने के बारे में संस्था को कोई सहायता दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) प्रस्तावित नाभिकीय गवेषणा संस्था, हैदराबाद के कार्य-कलापों को उस्मानिया विश्वविद्यालय में शामिल कर लेने के बारे में आश्वासन की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस सोसाइटी द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई है उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंइसके अलावा योजना के बारे में कुछ नहीं जानता कि इसका प्रबन्ध एक शासी बोर्ड द्वारा करने का है जिसमें अणु शक्ति विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी तथा आंध्र प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि होंगे

वास्तव में जहां तक हमें पता है अभी तक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ है। किसी भी गवेषणा केन्द्र अथवा नाभिकीय गवेषणा संस्था के लिये काफी बड़े संगठन, वित्त तथा उच्च शिक्षा प्राप्त टेक्निकल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब तक यह सब न दिखाई पड़े तब तक निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः अणु शक्ति विभाग ने कहा है कि इस मामले पर तभी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उस्मानिया विश्वविद्यालय इसका उत्तरदायी अपने ऊपर ले ले। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने यह कहा है कि वह अपने क्षेत्र में इसके लिये भूमि दे देगी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उत्तरदायी उसने अपने ऊपर लेने का वचन नहीं दिया है। वर्तमान स्थिति यह है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना अणुशक्ति विभाग के तत्वावधान में करने का कोई विचार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसका तात्पर्य यह हुआ कि क्या ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने का कोई विचार है ? जी नहीं, संस्थाओं की स्थापना विश्वविद्यालय करता है तथा अणु शक्ति विभाग उनकी सहायता कर सकता है और उसने की भी है। अणुशक्ति विभाग द्वारा संस्थाओं की स्थापना करने का कोई तुक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय:** वह जानना चाहते हैं कि क्या उसकी कोई शाखायें स्थापित होने वाली हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** शाखाओं की स्थापना करने का प्रश्न नहीं है । अणु शक्ति विभाग देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसमें संयंत्र हैं जो चीजें बनाते हैं । उसमें भट्ठियां हैं और अलग कोई गवेषणा केन्द्र नहीं है ।

उस दिन चर्चा करते समय मैं बता चुका था कि हमारे टेक्निकल लोग इतने कम हैं कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते । यहां तक कि ट्राम्बे में, जो हमारे प्रमुख केंद्रों में से एक है, जहां ७०० सक्षम वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वे भी काफी नहीं हैं। सभा देखेगी कि इतने सीमित सामान, तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों से सक्षम गवेषणा केन्द्रों की स्थापना नरना कितना कठिन है । यह एक प्रोफेसर का काम नहीं है बल्कि बड़ा जटिल काम हो गया है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†*१४८८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के काम दिलाऊ दफ्तरों के अधिकांश कर्मचारी अभी तक अस्थायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो काम दिलाऊ दफ्तरों का प्रशासन राज्य को हस्तांतरित करते समय क्या स्थिति थी ; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में कोई सुझाव भेजा गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है । काम दिलाऊ दफ्तरों का प्रशासन राज्य के क्षेत्राधिकार के अधीन है।

(ख) हस्तांतरण के समय सभी कर्मचारी अस्थायी थे ।

(ग) जी हां, हस्तांतरण के समय कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच आपसी समझौता हो गया था ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी:** क्या इस विभाग को राज्यों के हस्तांतरित करते समय सभी कर्मचारी अस्थायी थे, और यदि ऐसा है तो क्या उन्हें स्थायी बना देने का आश्वासन दिया गया था अथवा उनके स्थायी बना देने की कोई संभावना है ?

†**श्री आबिद अली :** हस्तांतरण के समय यह तय हुआ था कि ६० प्रतिशत कर्मचारी स्थायी कर दिये जायेंगे । तब से कुछ राज्यों ने अधिकांश कर्मचारियों को स्थायी बना दिया है—उदाहरण के लिये बिहार में हस्तांतरण के समय उनकी संख्या १७२ थी जो अब ३०९ हो गई है । वहां १०० प्रतिशत स्थान स्थायी कर दिये गये हैं। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में ६० प्रतिशत स्थान स्थायी घोषित कर दिये गये हैं और उत्तर प्रदेश में १०० प्रतिशत आदि।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी:** किन राज्यों ने अभी तक यह कार्यवाही नहीं की है ?

†**श्री आबिद अली:** ऐसे राज्य आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बम्बई, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास, राजस्थान और उड़ीसा हैं तथा हम उनसे इस मामले में बातचीत कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन: माननीय मंत्री जी ने कुछ दिनों पहले एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि प्रत्येक जिले में एक रोजगार दिलाऊ दफ्तर खोला जायेगा। फिर केवल ६० प्रतिशत लोगों को ही स्थायी क्यों बनाया जाता है, सब को स्थायी क्यों नहीं किया जाता। इसमें क्या कठिनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आबिद अली : ६० परसेंट पोस्ट्स को परमानेंट बनाया जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि ज्यादा हो जायें, मगर यह मामला स्टेट गवर्नमेंट्स के सुपुर्द है।

†**श्री जयपाल सिंह :** पिछला बार जबकि यह प्रश्न पूछा गया था तो मैंने अपने अनुपूरक प्रश्न में यह पूछा था कि क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार जमशेदपुर में इसी प्रकार का गैर सरकारी काम दिलाऊ दफ्तर अभी तक क्यों बर्दाश्त कर रही है ? वहां एक काम दिलाऊ दफ्तर सरकार का है और दूसरा इस्पात कम्पनी का है फिर भला एक ही स्थान में दो काम दिलाऊ दफ्तरों की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री आबिद अली:** जमशेदपुर में एक गैर-सरकारी काम दिलाऊ दफ्तर है, जिसे हम बन्द नहीं कर सकते हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़:** एक शिकायत यह की गई है कि जिन स्थानों में काम दिलाऊ दफ्तर स्थित हैं वहां के लोगों को विवश हो कर अपना पंजीयन करवाना पड़ता है तथा व्यक्तिगत जा कर फिर से नाम लिखाना पड़ता है। यदि ऐसा नियम है तो क्या सरकार उसे बदल कर उम्मीदवार को स्वयं न जा कर डाक से भी पुनः नाम लिखने की व्यवस्था करेगी ?

†**श्री आबिद अली :** उन्हें अपना नाम डाक के द्वारा भी फिर से लिखाने की अनुमति है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि आरम्भ में केन्द्रीय सरकार तथा बाद में राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये काम दिलाऊ दफ्तरों के कर्मचारियों के वेतन क्रमों में इतनी विभिन्नता क्यों है और यदि ऐसा है तो क्या सरकार को राज्य सरकारों के कर्मचारियों में फैलने वाले असन्तोष का पता है ?

†**श्री आबिद अली :** हस्तांतरण के समय विशेष वेतन दे कर उनकी उपलब्धियों को सुरक्षित रखा गया था। अब काम दिलाऊ दफ्तर विभाग को राज्य सरकार को हस्तांतरित कर देने से वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान स्तर पर हो जायेंगे।

†**श्री स० म० बनर्जी :** उनकी सेवायें राज्य सरकार को हस्तांतरित करते समय क्या उनकी वरिष्ठता भी ध्यान में रखी गई थी और क्या उनकी वरिष्ठता राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के साथ ही समझी जायेगी ?

†**श्री आबिद अली :** यह भी एक कठिनाई है क्योंकि कुछ कर्मचारी स्थायी नहीं किये जा रहे हैं। उनकी वरिष्ठता राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के साथ ही समायोजित की जायेगी।

†**श्री स० म० बनर्जी :** तो क्या मैं यह समझूं कि हस्तांतरण से पहले केन्द्रीय सरकार के अधीन उन्होंने जो सेवा की थी वह काल नहीं जोड़ा गया है और राज्य सरकार की सेवा में उनकी नई नौकरी समझी जायेगी ?

†**श्री आबिद अली:** यह जानकारी मुझे नहीं मिली है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी:** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काम दिलाऊ दफ्तरों में कार्ड पर हर दो महीने बाद तारीख दर्ज की जाती है इस कारण गांवों के लोगों को काम दिलाऊ दफ्तरों तक आने में बड़ी असुविधा होती है। क्या सरकार इस समय को तीन या चार मास कर देने के बारे में विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : इस प्रश्न पर अनेक बार विचार किया जा चुका है और समय में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई किन्तु जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, आवेदक डाक के द्वारा भी फार्मों पर तारीख डलवा सकते हैं ।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या हस्तान्तरण के समय यह निश्चित कर लिया गया था कि काम दिलाऊ दफ्तरों को स्थायी न बनाया जाय और क्या उसके कर्मचारियों के बारे में कोई नियम बनाये गये थे ?

†**श्री आबिद अली** : नियम या तो राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने चाहियें अथवा जो नियम बने हुये हैं कर्मचारियों के लिये वे ही लागू होने चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय:** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रबन्ध किया गया था कि काम दिलाऊ दफ्तरों को स्थायी बना दिया जाये ।

†**श्री आबिद अली** : जी हां ।

सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सुविधायें

*१४८९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली व नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को और अधिक सुविधायें देने की दिशा में और क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री** (**श्री अनिल कु० चन्दा**) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ४५, अनुबंध संख्या३२**]

श्री भक्त दर्शन : इस सम्बन्ध में अब तक जो कार्य हुआ है, उसको बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी खास अड़चनें हैं, जिनके कारण इन सुविधाओं को पहुंचाने में इतनी देरी हो रही है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक इस समिति का सम्बन्ध है, इसका काम विभिन्न कालोनी में जाना और इस बात की सिफारिश करना है कि किस कालोनी में कौन सी सुविधायें दी जानी चाहियें । विभिन्न प्रशासकीय प्राधिकार हैं जिन्हें आवश्यक काम करना पड़ता है किन्तु रिपोर्ट से आपको पता लगेगा कि पिछले कुछ महीनों में काफी प्रगति हुई है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की जो बस्तियां दिल्ली में बसाई गई हैं, वे केन्द्रीय सचिवालय और दूसरे दफ्तरों से बहुत दूरी पर हैं, जब कि पहली और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों, जो कि कार से भी पहुंच सकते हैं, की बस्तियां नजदीक बसाई गई हैं ? अत: क्या आगे इस बारे में ध्यान रखा जायेगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, उनके लिये यह भी एक बड़ी कठिनाई है । स्कूल और दफ्तर उन बस्तियों से बहुत दूर हैं और उन लोगों को बहुत असुविधा होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजीमें

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जितनी सरकारी मुलाजिमों की कालोनीज़ बनाई गई हैं, उनमें से ऐसी कितनी हैं, जहां मार्केट, और स्कूलों की दिक्कतें हैं—जहां बिल्कुल बाजार नहीं हैं और कोई स्कूल नहीं है, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा:** : यदि माननीय सदस्य रिपोर्ट को देखें तो उन्हें पता लग जायेगा कि सरकारी बस्तियों में दुकानें बनवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। उस रिपोर्ट में सारी जानकारी विस्तार में दी गई है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के अनुमान के अनुसार देर से देर कब तक इन इलाकों को ये पूरी सुविधायें उपलब्ध हो जायगी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है—एक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इन कोलोनी में २७ विभिन्न प्रकार की सुविधायें दी गई हैं और स्वाभाविक है कि सब के लिये समय अलग-अलग होगा। जहां तक पार्कों का सम्बन्ध है, सभी कालोनी में उनका प्रबन्ध किया गया है, जहां तक डिस्पेंसरी का सम्बन्ध है, उनका निर्माण कार्य किया जा रहा है किन्तु फिलहाल फ्लट्स ऐसी जगह बनवाये जा रहे हैं जहां डिस्पेंसरी है।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्योंकि "कालोनी" एक आपत्तिजनक शब्द है, इसलिये इसकी जगह पर दूसरे शब्द का व्यवहार किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय:** : माननीय सदस्य सुझाव दे सकते हैं।

†**श्री भा० कृ० गायवाड़** : क्या सरकार को विदित है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिये सवर्ण हिन्दुओं की बस्ती में मकान मिलना बड़ा कठिन हो जाता है ? अतः क्या सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये मकान बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक मुझे विदित है अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कुउनके वर्ग और प्राथमिकता के अनुसार मकान मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती।

उच्चतम न्यायालय के अभियोगों में कार्मिक संघों को कानूनी सहायता

†***१४९०. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कार्मिक संघों ने सरकार से जनवरी, १९५९ में उच्चतम न्यायालय में बोनस के अभियोग में कर्मचारियों के हित के बचाव के लिये कानूनी सहायता मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) कुछ संघों ने निवेदन किया था कि भारत सरकार को बैंकों द्वारा की गई अपील के बारे में हस्तक्षेप रकरना चाहिये तथा एक वकील करके श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय का समर्थन करना चाहिये।

(ख) सरकार ने निवेदन स्वीकार नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को जो तार मिले थे उनमें से अधिकांश में यही निवेदन किया गया था कि महान्यायवादी श्री एम० सी० सीतलवाद को नियोजकों की ओर से न रखा जाये । यदि ऐसा है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की और क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में विधि मंत्री से भी बात की थी ?

†**श्री आबिद अली** : इन दोनों में से किसी भी ओर से सरकार नहीं है तथा महान्मायवादी अथवा महाधिवक्ता की नियुक्ति नियमानुकूल है । अतः ऐसे मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : माननीय सदस्य ने यह भी पूछा था कि क्या इस मामले में विधि मंत्री से परामर्श लिया गया था । श्रम मंत्रालय ने इस मामले का निर्देश विधि मंत्रालय को कर दिया था और हमें यह स्थिति बताई गई थी कि जहां सरकार एक पक्ष न हो वहां महान्यायवादी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या उच्चतम न्यायालय में श्रमिकों के हितों के बचाव के लिये सरकार एक वकील तालिका नियुक्त करने का विचार करती है, इस कारण कि श्रमिक इतना पैसा खर्च करके श्री सीतलवाड को नहीं कर सकेंगे ?

†**श्री नन्दा** : 'हां' या 'नहीं' में इसका तत्काल कोई उत्तर मैं नहीं दे सकता किन्तु मैं महसूस करता हूं कि इस मामले में श्रमिकों की कठिनाइयों को विचार में रखते हुये कुछ ऐसा करना अवश्य चाहिये जिससे श्रमिकों की कुछ सहायता हो सके ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या सरकार महान्यायवादी से यह निवेदन करेगी कि वह सरकार और श्रमिकों के बीच अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध रखने की दृष्टि से नियोजकों की पैरवी न करे ?

†**श्री नन्दा** : मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : बात यह है कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर सारे देश को पूर्ण विश्वास है और वह कुछ पूंजीपतियों की पैरवी करने जाते हैं। इससे उनकी ख्याति को धक्का लगेगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार का विचार इन संघों को निम्न अदालतों में भी विधिक सहायता देने का है ?

†**श्री नन्दा** : मैं ने यह नहीं कहा था कि सरकार का ऐसे विचार है । मैं समझता हूं कि श्रमिकों की बाधाओं को देखते हुए यह मामला विचाराणीय है ।

†**श्री त्यागी**: : इस का तात्पर्य यह हुआ कि निवेदन स्वीकार कर लिया गया ।

†**श्री प्रभात कार** : जिस अभियोग में केन्द्रीय सरकार के न्यायाधिकरण के पंचाट के विरूद्ध अपील की जाती है और जिसमें केन्द्रीय सरकार भी एक पक्ष होती है, उसम महान्यायवादी को पंचायट के विरूद्ध पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

†**श्री नन्दा** : मेरे उत्तर में यह चीज आ जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : माननीय मंत्री ने कहा है कि जहां सरकार एक पक्ष नहीं होती वहां हस्तक्षेप करना कठिन होता है किन्तु उन मामलों में क्या होगा जिनम सरकार स्वयं एक पक्ष है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है। ऐसी दशा में महान्यायवादी दूसरे पक्ष की ओर से नहीं पैरवी कर सकते।

†**श्री प्रभात कार** : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि १९५० में पहली विशेष अनुमति याचिका में, जिसम केन्द्रीय सरकार एक पक्ष थी, महान्यायवादी ने एक नियोजक विशेष की पैरवी की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब तो इसको बीते नौ वर्ष हो गये हैं।

†**श्री प्रभात कार** : . . . . तत्कालीन श्रम मंत्री ने हस्तक्षेप किया था और यह स्पष्ट किया था कि महान्यायवादी उस अभियोग की पैरवी नहीं कर सकता जिसमें सरकार एक पक्ष हो। क्या तब से नीति बदल गई है ?

†**श्री नन्दा** : मैं बहुत निश्चित रूप से बता चुका हूं कि ऐसा तभी होगा जिसमें सरकार एक पक्ष न हो। जहां सरकार एक पक्ष होगी वहां इसका प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वही सिद्धांत अभी लागू हैं।

महात्मा गांधी के जीवन की घटनाओं के रिकार्ड तैयार करने के लिये आकाशवाणी की योजना

***१४९१. श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के रिकार्ड तैयार करने की एक योजना तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चम्पारन में आरम्भ किये गये प्रथम आन्दोलन से सम्बन्धित घटनाओं का रिकार्ड तैयार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० मं० जोशी): : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). चम्पारन आन्दोलन से सम्बधित कुछ प्रामाणिक स्रोतों से मिली हुई बातों को रिकार्ड किया गया है। ३० जनवरी, १९५७ को चम्पारन के बारे में एक रेडियो डाक्यूमटरी भी प्रसारित की गई।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि चम्पारन के सम्बन्ध में सरकार को जो प्रमाण व सबूत मिले हैं, वे कौन कौन से जरियों से मिले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : चम्पारन के बारे में सभी सोर्सिस के बारे में तफसील के साथ बताना मेरे लिये कठिन है लेकिन जो बहुत से लोग जीवित हैं, जिन्होंने

---

†मूल अंग्रेजी में

उस आन्दोलन को देखा है और उसके बारे में कुछ लिखित भी पुस्तकें हैं और कुछ आर्टिकल्स हैं, वे सभी इसमें ले लिये गये हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने पचम्पारन में गांधी जी ने जो आन्दोलन चलाया था उससे सम्बन्धित प्रमाण व सबूत और दूसरे कागजात केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं और क्या उन से सरकार मदद ले रही है?

डा० केसकर: : बिहार सरकार ने चम्पारन के बारे में बहुत अच्छी एक पुस्तिका तैयार की है और वह सेंट्रल गवर्नमट के पब्लिकेशंस डिविजन ने प्रकाशित की है।

†**श्री बी० चं० शर्मा:** : क्या महात्मा गांधी के ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का रिकार्ड उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार उनके साथ भारत में घटी घटनाओं का किया गया है?

†**डा० केसकर** : इस पर तभी विचार किया जायेगा जबकि व्यवहारिक रूप से हमारे लिये ऐसा करना मंभव हो।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि चम्पारन से आये हुए दो माननीय सदस्यों ने १९१७ में गांधी जी के साथ चम्पारन में काम किया था; क्या उन से कोई राय ली गई है?

डा० केसकर : हर एक से राय लेना तो बड़ा मुश्किल है और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे बचे हों जिनसे राय मशवरा न किया गया हो और अगर ऐसे सदस्य या दूसरे ऐसे श्रोता हैं अगर वे लिखें तो उनके बारे में भी बहुत कुछ डाकुमेंटरी बन सकती है?

†**श्री अय्याकण्णु** : क्या योजना में पूना सन्धि का महत्मा गांधी के ऐतिहासिक व्रत का सविस्तार रिकार्ड किया जायेगा?

†**डा० केसकर** : मैं गांधीजी के जीवन के बारे में प्रत्येक महत्वपूर्ण और शिविष्ट घटना के बारे में नहीं बता सकूंगा। मैं माननीय सदस्यों को केवल यही बता सकता हूं कि इस समय हम गांधी जी की रेडियो जीवनी तैयार कर रहे हैं तथा उनके जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनायें इसमें शामिल कर दी जायगी।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह सच है आकाशवाणी म गांधी जी के भाषणों के रेकार्ड खराब हो रहे हैं? यदि ऐसा है तो उन्हें खराब होने से बचाने और उनकी रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाहो की गई है अथवा करने का विचार है?

†**डा० केसकर** : यद्यपि यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता तो भी मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि रेकार्ड खराब नहीं हो रहे हैं। उनको सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से रखा गया है। गांधी जी के भाषणों के रेकार्ड काफी लम्बे हैं; विभिन्न भाषणों पर १२ घंटों से भी अधिक समय के हैं और विशेष कर प्रार्थना के भाषण रखे गये हैं। फिलहाल हम उनमें से सर्वोत्तम रेकार्डों का चुनाव करने, उनसे मास्टर रेकार्ड तैयार करने तथा कुछ ऐसे रेकार्ड तैयार कराने में लगे हैं जो जनता को वाणिज्यिक दर पर उपलब्ध हो सक। वस्तुतः एकाध वाणिज्यिक रेकार्ड उपलब्ध भी कराये जा चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना आयोग का पुनर्गठन

†*१४९४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग का पुनर्गठन करने की आवश्यकता तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये उसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर विचार कर लिया है ; और

(ख) तृतीय योजना को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये आयोग को मुख्य-मुख्य आवश्यकतायें क्या होंगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं मिश्र)** : (क) और (ख). योजना आयोग के कर्मचारियों के बारे में हाल ही में पुनर्विचार किया जा चुका है और आवश्यक पुनर्गठन किया जा चुका है। यह प्रबन्ध करने में तृतीय पंच वर्षीय योजना तैयार करने की बात दृष्टि में रखी गई है। इस सम्बन्ध में और कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : योजना आयोग का किस प्रकार का पुनर्गठन किया गया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : विशेषकर उन स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है जहां विशेष अध्ययन करना पड़ाता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कितने अध्ययन दल नियुक्त दिये गये हैं और इन के प्रतिवेदनों पर विचार करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किन अध्ययन दलों के बारे में पूछ रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : योजना आयोग चतुर्थ श्रेणी के तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारी नियुक्त करने पर जो खर्च करता है उसकी स्वीकृति कौन देता है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र:** : मेरे ख्याल से वित्त मंत्रालय ।

†**श्री फीरोज गांधी** : पिछली बार जब केन्द्रीय सांख्य की संस्था ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गणना की थी तब योजना आयोग यह क्यों नहीं बता सका कि उसके अधीन कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र:** मुझे स्मरण नहीं है कि उस समय योजना आयोग यह जानकारी क्यों नहीं दे सका परन्तु इस समय यदि माननीय सदस्य चाहें तो यह जानकारी दी जा सकती है ।

†**श्री पाणिग्रही** : यह देखते हुए कि सहकारी खेती को इतना महत्व दिया गया है क्या योजना आयोग का विस्तार करके इसके विषषज्ञ रखे जायेंगे जो योजना तैयार कर सकें ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र:** यह तो एक सुझाव है; इस में यह पूर्वधारणा बनाई गई है कि योजना आयोग को इस बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या योजना आयोग में इन विषयों का कोई विशेषज्ञ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** जब मैं ने अध्ययन दलों का उल्लेख किया तो माननीय मंत्री ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि मैं किन दलों के बारे में पूछ रहा हूं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना की स्थिति का मूल्यांकन करने और तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये विभिन्न योजनाओं तैयार करने के हेतु नोट ने तैयार कर के लिये परिवहन, उद्योग आदि के लिये विभिन्न दल नियुक्त किये गये हैं। क्या विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त किये गये इन अध्ययन दलों के बारे में योगजना आयोग को कुछ मालूम नहीं है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** विभिन्न मंत्रालयों में कुछ कार्यवाही दल काम कर रहे हैं जिन में योजना आयोग के मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा अन्य विशेषज्ञ हैं। उनके प्रतिवेदन योजना आयोग में आते हैं जहां उन पर विचार किया जाता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या माननीय मंत्री यह को विदित है कि इन कार्यकारी दलों को नियुक्त करने में बड़ा विलम्ब हुआ है और अब उन्हें जल्दी प्रतिवेदन दने के लिये कहा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उन्हें मालूम है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री नन्दा:** जी नहीं, इस में विलम्ब नहीं हुआ है और उन्हें जल्दी काम पूरा करने के लिये नहीं कहा जा रहा है ।

ब्रिटेन में भारतीय श्रमिक

†***१४६६. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १४ फरवरी, १६५६ का 'पायनीयर' में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि न्यूनेटन (बर्मिघम -इंगलैंड) में एक ब्रिटिश स्टर्लिग मैटल्ज़ फैक्टरी के श्रमिकों ने हाल ही में इस बात का विरोध करते हुए हड़ताल कर दी है कि भारतीयों को विधिक पदों पर नियुक्त किया जाता है ;

(ख) क्या भारत सरकार को इस बारे में ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयुक्त से कोई सूचना मिली है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

सरकार ने यदि इस भेद भाव को दूर करन के लिये कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) और (ख). जी हां।

(ग) १० फरवरी, १६५६ की म्यूनेटन वर्क्स आफ स्टर्लिग मैटलज़ लिमिटड के ६८० श्रमिकों ने उन श्रमिकों का समर्थन करते हुए हड़ताल कर दी जिन्होंने कम्पनी के कवेंटरी कारखाने से स्थानान्तरित किय गये भारतीय श्रमिकों के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। ६ फरवरी को काम रोक दिया गया था परन्तु १० फरवरी को बातचीत करने के लिये कार्य पुन: आरम्भ कर दिया गया । यह बातचीत असफल रही क्योंकि उन्होंने यह मांग की कि कम्पनी भारतीयों को कोर ब्लाक मशीनों से हटा दे। ये भारतीय कर्मचारी १६५० से इस कम्पनी में उसके कवेंटरी वर्क्स में इसी प्रकार की मशीनों पर ब्रिटिश श्रमिकों के साथ काम कर रहे थे। यह कम्पनी वर्ण भेद नहीं करती। इस मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है क्योंकि यह एक गैर-सरकारी औद्योगिक मामला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या सरकार को विदित है वह समवाय प्रवीण तथा अर्द्ध प्रवीण काम ब्रिटिश लोगों को ही देना चाहता है और जहां तक सम्भव हो भारतीय को नहीं देना चाहता, चाहे भारतीय उतने ही कार्यकुशल क्यों नहीं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे मालूम नहीं ; यदि यह सही भी हो तब भी हम क्या कर सकते हैं ? कम्पनी जिसे चाहे नियुक्त कर सकती है ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या ब्रिटिश श्रमिकों द्वारा ऐसा करना एक प्रकार का वर्ण भेद है ; और यदि हां, तो क्या ब्रिटेन की सरकार के पास इसका विरोध किया गया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उत्तर में बताया गया है कि ब्रिटेन की सरकार और कम्पनी ने इसकी निन्दा की थी इसलिये हमारे विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि ब्रिटेन में युद्धोतर पुनर्निर्माण कार्य के लिये श्रमिकों—विशेषकर प्रवीण श्रमिकों—की कमी है इसी लिये विवश होकर उन्हों ने भारतीयों को रखा हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये अब तक क्या कार्यवाही की है कि फर्मों में काम करने वाले भारतीयों के साथ अच्छा वर्ताव किया जाये और उनकी नौकरी सुरक्षित रहे?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे मालूम नहीं कि उनकी नौकरी कैसे सुरक्षित की जा सकती है ।

†श्री हेम बरुआः हमारे उच्च आयुक्त द्वारा ।

†अध्यक्ष महोदय : तो क्या किया जाये ? यही हो सकता है कि उन्हें वापस बुला लिया जाये ।

†श्री हेम बरुआः हम राष्ट्रमंडल में हैं । क्या राष्ट्रमण्डल के स्तर पर कोई बात चीत नहीं की जा सकती है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया कि ब्रिटिश सरकार और वह कम्पनी श्रमिकों द्वारा वर्ण भद करने के खिलाफ थी । यदि श्रमिक काम न करें तो क्या किया जा सकता है ? स्वयं माननीय सदस्य ही सुझाव दें ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वह मामला खत्म हो चुका है ।

भारतीय वस्त्र

+

†*१४९७. { श्री दलजीत सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान से प्रतिस्पर्धा के कारण ईरान को दिया जाने वाला भारतीय वस्त्र का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः मास में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है करने का विचार है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) जी, हां। परन्तु इसका एक मात्र कारण जापान की प्रतिस्पर्धा नहीं है।

(ख) १९५८ के उत्तरार्ध में पूर्वार्ध की तुलना में ५० प्रतिशत से कुछ अधिक कमी हुई है।

(ग) (१) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ईरान की में भारतीय वस्त्र के वित्तक्रय के आंकड़े एकत्र करती रही है। उस देश को भारतीय वस्त्र का निर्यात बढ़ाने के लिये प्रचार भी किया जा रहा है।

(२) भारत सरकार ने अक्तूबर-नवम्बर, १९५८ में सूती वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन योजना की घोषणा कर दी जिस से कि दूसरे देशों को भारतीय कपड़े का अधिक निर्यात किया जाये।

(३) ईरान सरकार वजन के हिसाब से सीमा शुल्क लेती है जिसकी वजह से भारतीय मोटे और दरम्याने दर्जे के कपड़े पर सीमा शुल्क अधिक लगता है। ईरान सरकार से इस बारे में बातचीत की जा रही है।

†**श्री दलजीत सिंह :** १९५७ और १९५८ में अलग अलग ईरान को दिये गये भारतीय वस्त्र के निर्यात का कुल मूल्य क्या था ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** १९५७ में ईरान को ४३१००० रुपये का और १९५८ में (अक्तूबर तक) २४,९६००० रुपये के कपड़ों का निर्यात किया गया था।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** विवरण से पता चलता है कि ईरान को दिये जाने वाले निर्यात में ५० प्रतिशत से भी अधिक कमी हो गई है। निर्यात को पुनः बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** निर्यात संवर्धन परिषद् वहां के व्यापारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। इसमें कुछ कठिनाई थी। ईरान में पूर्व योरोपीय देशों—रूस, चेकोस्लावेकिया और अन्य देशों—के साथ वस्तु विनिमय के आधार पर कुछ द्विपक्षीय करार किये हैं जिन में वे ईरान से कुछ वस्तुयें खरीदेंगे और बदले में कपड़ा ईरान को देंगे।

दूसरे, ईरान में सीमा शुल्क वज़न के हिसाब से लिया जाता है जिसके फलस्वरूप महीन कपड़े की तुलना में मोटे और महीन कपड़े पर अधिक सीमा शुल्क देना पड़ता है। इस विषय में ईरान सरकार से बातचीत की गई है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार को मालूम है कि जापानियों ने ईरान में नमूनों का अध्ययन करके वैसे ही नमूनों के कपड़े तैयार करके वहां भेज दिये हैं ? क्या महने भी कपड़े के डिजाइनों में ईरान सरकार और वहां के लोगों की पसन्द के अनुसार परिवर्तन किये हैं।

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह सब किया जाता है। बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है। निर्यात संवर्धन परिषद्, जो इसी प्रयोजन के लिये स्थापित किये गये हैं। अपने शिष्टमंडल भेजते हैं। असल बात यह है कि इस वर्ष जापान ने अपना निर्यात बढ़ाया है परन्तु यदि हम गत कुछ वर्षों के आंकड़ों के देखते हुए १९५५ और १९५८ की तुलना करें तो तो उसका निर्यात भी कम हुआ है। इस वर्ष निर्यात गत वर्ष से अधिक है परन्तु पूर्वगामी वर्षों से वह कम ही है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या महीन कपड़ा निर्यात करने का कोई विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**णश्री सतीश चन्द्र:** कोशिश तो यह की जाती है कि यहां तैयार होने वाले सभी प्रकार के कपड़े का निर्यात किया जाये। परन्तु अभी तक ईरान अधिकतर दरम्याने दर्जे का कपड़ा ही खरीदता रहा है। प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है इसलिये हम ईरान सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं कि सीमा शुल्क वजन की मूल्य मूल्य के आधार पर लिया जाये।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि विदेशों को वस्त्र का निर्यात बढ़ाने की खातिर देश में महीन कपड़े का प्रयोग सीमित कर दिया जाये।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** जी नहीं। ऐसा कोई विचार नहीं है। वस्तुत: हम ने सुझाव दिया है कि बढ़िया कपड़ा बनाने वाली मिलों को भी कपड़े का निर्यात करना होगा। अब तक वे कपड़े का निर्यात नहीं करती थीं। परन्तु अब हमने यह नियम बना दिया है कि जो मिलें आयात की हुई कपास का प्रयोग करती हैं उन्हें कुछ प्रतिशत कपड़े का निर्यात करना होगा।

†**श्री त्यागी :** यह तो बहुत अच्छा है।

मौलाना आजाद की पुस्तक "इंडिया विन्स फ्रीडम"

†*१४९४ **श्री उ० च० पटनायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हींने वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री को मौलाना आजाद की पुस्तक 'इंडिया विन्स फ्रीडम' प्रकाशित करने की अनुमति देने से पूर्व उसके प्रमाणिक होने की जांच कर ली थी या नहीं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन जगहों पर उन्हों ने पुस्तक की प्रमाणिकता स्वीकार की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). श्री हुमायूं कबिर ने मेरे साथ मौलाना आजाद की पुस्तक की पाण्डुलिपी के बारे में बातचीत की थी और बाद में उन्होंने ने वह मेरे पास पढ़ने के लिये भेजी थी। उन्होंने कुछ ऐसे पैराग्राफों पर निशान लगा रखे थे जो विवादस्पद थे और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें न छापा जाये।

मैं ने सारी पाण्डुलिपी को पढ़ा। मैं ने देखा कि मौलाना आजाद ने उर्दू भाषा में बोल कर श्री हुमायूं कबिर से अंग्रेजी में वह पुस्तक लिखाई थी। उस की प्रमाणिकता की जांच करने का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था। और न ही यह प्रश्न उत्पन्न होता था कि मुझसे उसे प्रकाशित करने की अनुमति मांगी जाये। मुझे बताया गया कि मौलाना आजाद की इच्छा थी कि यह पुस्तक प्रकाशित की जाये तो मैं ने सोचा कि उन की इच्छा के अनुसार इसे प्रकाशित किया जाना चाहिये और उनकी इच्छा को देखते हुए मैं ने यह भी सोचा कि वे पैराग्राफ भी रहने दिये जायें जिन पर श्री हुमायूं कबिर ने निशान लगा रखे थे। यह तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था कि मैं मौलाना साहिब की राय से सहमत था या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मौलाना साहिब की इच्छा के खिलाफ उस में कोई कांटछांटो करना उचित नहीं होगा।

उस में कुछ एक तिथियां आदि गलत थीं जो मैं ने बता दीं और जो बाद में ठीक कर दी गई थीं। मेरी यह धारणा थी कि उस पाण्डुलिपी में मौलाना आजाद के संस्करण थे यद्यपि उस में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था वह हर एक स्थान पर उन को अपनी दिखाई नहीं देती थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० च० पटनायक :** यह देखते हुए कि उस पुस्तक में भारत की सभी सफलताओं, देश के विभाजन और देश के नेताओं की निन्दा की गई है, प्रधान मंत्री क्या कार्यवाही करना चाहेंगे जिस से यह पता चले कि क्या वास्तव में यह पुस्तक मौलाना साहिब ने ही लिखी थी या अनुवाद आदि करते समय कहीं उसकी भाषा तो नहीं बदल दी गई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इस की पुष्टि करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। मुझे इस में सन्देह नहीं कि यह मौलाना साहिब द्वारा लिखवाई गई थी। सम्भव है कि एक दो जगह पर अंग्रेजी में बिल्कुल सही अनुवाद न हुआ हो। मुझे इस पुस्तक की प्रमाणिकता के बारे में तनिक भी सन्देह नहीं। मैं ऐसी बातों की जांच कैसे कर सकता हूं।

†**श्री उ० च० पटनायक :** क्या प्रधान मंत्री ने इस पुस्तक को प्रकाशित करने की अनुमति देने से पूर्व यह पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या यह मौलाना साहिब द्वारा ही लिखी हुई है क्यों कि इसमें १९४७–४८ के उपद्रवों को किसी दूसरे रंग में पेश किया गया है और हमारे नेताओं की निन्दा की गई है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य वही प्रश्न दोहरा रहे हैं। इस पुस्तक की प्रमाणिकता पर मुझे न तो पहले सन्देह था और न अब है। मौलाना साहिब कोई के कोई ऐसे विचार हो सकते हैं जिन से हम सहमत न हों और जिन्हें और लोग पसन्द न करें परन्तु इस बारे में क्या किया जा सकता है। उस में उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। पुस्तक में मेरी निन्दा की गई है परन्तु यह देखकर भी मुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि मैं इसे छपने से रोक दूं।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को देखते हुए कि हिन्दुस्तान के पार्टीशन की जो जिम्मेदारी है वह आपके ऊपर और स्वर्गीय पटेल साहब के ऊपर इस पुस्तक में डाली गई है और अच्छे और शोभनीय शब्दों का प्रयोग शायद उसमें नहीं किया गया है, तो क्या यह उचित होगा कि इस सम्बन्ध में आप जो वास्तविक स्थिति है उस पर प्रकाश डालें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सवाल के जवाब में प्रकाश डालूं, यह तो एक इतिहास की बातें हैं और उस पर ऐतिहासिक लिखेंगे। हां कुछ प्रकाश जो हम अपनी याद से दे सकते हैं वह दे देंगे और सब बात तो यह है कि ऐसे मामले में किसी की याद भी पक्की नहीं होती है और दो आदमी जो एक वाकये को देखें उनकी अलग-अलग यादें होती हैं। मेरी राय में मौलाना साहब ने कई बातें उसमें लिखी हैं सन् ३६ और ३७ के बारे में जो वाक्याती तौर पर सही नहीं हैं लेकिन अब यह उनकी याद की बात है जोकि उन्होंने लिखी हैं।

श्री प्र० सिं० दौलता : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस वक्त आपको यह मैनुस्क्रिप्त रेफर की गई तो आपने रिसर्च मिनिस्टर साहब से पूछा था कि मौलाना मरहूम ने क्या कोई ऐसी वसीयत की है कि इस को छापने से पहले प्राइम मिनिस्टर को दिखा लिया जाये और अगर इस किस्म की कोई वसीयत नहीं थी तो क्या आपने इस के लिये उनसे जवाब तलब किया कि इतने बड़े आदमी की सवानेउम्री एक प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी या नामंजूरी और कुछ रिमार्क्स ओमिट करने के लिये क्यों रेफर की गई क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर जैसा फराखदिल आदमी नहीं होता और कोई तंगदिल आदमी उसमें से कुछ चीजें निकालने के लिये कह देता तो रिसर्च मिनिस्टर साहब उनको उसमें से निकाल देते ? अगर कोई ऐसी वसीयत थी तो बतलाई जाय और अगर नहीं थी तो यह जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : मौलाना साहब ने जब यह किताब लिखाई थी तो इस ख्याल से लिखाई थी कि उनकी जिन्दगी में वह छपेगी। यह तो ख्याल नहीं था कि यकायक उसका इंतकाल हो जायेगा और इसलिये वसीयत लिखने का कोई सवाल नहीं था। बदकिस्मती से वह एकदम से बीमार हुए और उनका इंतकाल हो गया और यह मामला फिर पीछे हल करना पड़ा उन लोगों को जोकि उन के बाद रह गये थे।

श्री प्र० सिं० दौलता : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसर्च मिनिस्टर से पूछा था कि . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इन प्रश्नों की अनुमति नहीं दूगा माननीय सदस्य ने चार पांच प्रश्न पूछे हैं। मूल प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने यह हिदायतें दी थीं कि यह भाग प्रधान मंत्री को दिखा कर उन की राय ले ली जाये। प्रधान मंत्री ने बता दिया कि उन्होंने ऐसी कोई हिदायतें नहीं दी थीं। तो मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री केशव :** क्या प्रधान मंत्री को कभी मौलाना साहब के जीवन काल में यह पाण्डुलिपी देखने का अवसर मिला था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं, मैं ने पाण्डुलिपी नहीं देखी थी। मैं ने सुना था कि वह कुछ लिखा रहे हैं जो प्रकाशित किया जायेगा। मुझे स्पष्ट रूप से मालूम नहीं था।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** केवल एक प्रश्न और। प्रधान मंत्री और हम सब मौलाना का बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी राय को सामने रखते हुए भारत और पाकिस्तान को पुनः एक क्यों न कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

कानपुर में औद्योगिक श्रमिकों के लिये राज-सहायता से बने क्वार्टर

†*१४९९. **श्री जाधव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि कानपुर में औद्योगिक श्रमिकों के लिये राजसहायता से जो क्वार्टर बने हैं उन में से गैर-औद्योगिक किरायेदारों को निकाल दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) अक्तूबर, १९५८ और जनवरी, १९५९ में सरकार को पता चला कि राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर में बनाये गये ९८६४ मकानों में से उत्तर प्रदेश सरकार ४८२५ क्वार्टर राज्य सरकार के तथा प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को आवंटित कर रखे हैं। फरवरी, १९५९ में राज्य सरकार से कहा गया कि वह इन मकानों को खाली करा कर पात्र लोगों को आवंटित करे।

(ख) उसके पश्चात् राज्य सरकार ने सूचना भेजी कि उनहें गैर औद्योगिक लोगों को मकानों का आवंटन बन्द कर दिया है और पहले से जो मकान आवंटित किये गये हैं उन्हें खाली कराने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†**श्री जाधव :** क्या कोई लोग इन में रह रहे हैं और यदि हां, तो कौन ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल० कु० चन्दा** : जी हां; राज्य सरकार और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के अधिकारी अस्थायी तौर पर वहां रह रहे हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि जब ये क्वार्टर बनाये गये थे तब किराया अधिक होने के कारण औद्योगिक श्रमिक वहां रहने के लिये तैयार नहीं थे और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक कर्मचारियों ने वहां रहना मंजूर किया था ? क्या प्रतिरक्षा विभागों के कर्मचारियों ने इसके खिलाफ माननीय मंत्री को कोई अभ्यावेदन भेजा है और क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय से परामर्श करके इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ?

†**निर्माण, आगवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ इस मामले पर बातचात की जा रहा है। हम भी राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं। अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या जब तक दोनों मंत्रालय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते तब तक वे मकान खाली नहीं कराये जायेंगे ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : अन्तिम निर्णय के बारे में पहले से कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती ।

ग्लाइडरों का निर्माण

†*१५००. **श्री हाल्दार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय टैक्नीशियनों ने एक बढ़िया किस्म का ग्लाइडर तैयार किया है जिसकी प्रयोगात्मक उड़ान भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर सूरी ने ११ अगस्त, १९५८ को की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे ग्लाइडरों का और इसके अलग पुर्जों का निर्माण करने के लिये कारखाने लगाने का विचार कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) ग्लाइडरों और इसके पुर्जों का उत्पादन करने के नये कारखाने लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं क्योंकि वर्तमान देशीय उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ।

†**श्री हाल्दार** : क्या यह ग्लाइडर जो मैसर्ज़ ऐरोनाटिकल सर्विसेज़ लिमिटेड, दमदम द्वारा बनाया गया और जिसकी प्रयोगात्मक उड़ान विंग कमांडर सूरी ने की थी, भारत में बनाया गया पहला ग्लाइउर था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । यह भारत में तैयार किया गया पहला वाणिज्यिक ग्लाइडर था और विंग कमांडर सूरी ने इसका परीक्षण किया था जो कि सन्तोषजनक पाया गया था ।

†**श्री हाल्दार** : ऐरोनाटिकल सर्विसेज़ लिमिटेड, दमदम की सेवाओं को क्यों मान्यता नहीं दी गई ? किसी अन्य अभिकरण ने भी एक ग्लाइडर बनाया था और उसे प्रधान मंत्री ने एक प्रमाण पत्र दिया था । क्या कारण है कि एक को तो पुरस्कार दिया गया और दूसरे को नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : ये अलग-अलग दो ग्लाइडर हैं । कलकत्ता के ऐरोनाटिकल सर्विसेज लिमिटड ने एक सीट वाला ग्लाइडर तैयार किया है । दूसरा दो सीट वाला ग्लाइडर असैनिक उड्डयन विभाग ने तैयार किया था जिसका परीक्षण प्रधान मंत्री के सामने किया गया था । यह सन्तोषजनक पाया गया था । ये दो सीट वाले ग्लाइडर भी कलकत्ता में और भारत के अन्य कारखानों में जिनमें हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड भी शामिल है, बनाये जायेंगे ।

जीवन बीमा निगम से ऋण सहायता

†*१५०२. **श्री वै० च० मलिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे बता दें कि अपने कर्मचारियों के लिये किराये के मकान बनाने के लिये उन्हें जीवन बीमा निगम से कितनी ऋण सहायता लेनी है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उत्तर मिल गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). जी हां, राज्य सरकारों से पिछले मास यह प्रार्थना की गई थी कि वे बता दें कि राज्य कर्मचारियों के लिये किराये के मकान बनाने के हेतु जीवन बीमा निगम को कितनी निधि की व्यवस्था करनी होगी । लगभग सभी के उत्तर मिल गये हैं ।

†**श्री वै० च० मलिक** : निगम कितनी राशि देने को राजी हो गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : १९५८–५९ और बाद के दो वर्षों के लिये एक करोड़ रुपये ।

†**श्री वै० च० मलिक** : यह सहायता कब तक जारी रहेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अभी तो वह १९५८–५९ से अगले तीन वर्षों के लिये राजी हुआ है ।

†**श्री वै० च० मलिक** : यह राशि राज्यों को बीच किस प्रकार वितरित की जायेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : १९५६ के राज्य पुनर्गठन का सब से ज्यादा प्रभाव जिन चार राज्यों पर पड़ा था हमने पहले उनको लिखा था क्योंकि हमारा ख्याल था कि उनकी जरूरत ही सब से महत्व की हैं और उन चार राज्यों में से मध्य प्रदेश ने इसमें से कुछ भी धन लेना पसन्द नहीं किया । बाद में हमने सभी राज्य सरकारों को यह सूचित कर दिया कि यदि वे इस विधि में से रुपया लेना चाहें तो अपने आवेदन भेज दें । हमें चार राज्यों को छोड़ कर शेष सभी के उत्तर मिल गये हैं और राज्यों ने जो मांगें भेजी हैं उनके आधार पर हमने यह एक करोड़ रुपया आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश को बांट दिया है ।

†**श्री जाधव** : सब राज्यों की कुल मांग कितने की थी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं बता चुका हूं कि इन पांच राज्यों ने अपनी मांगें भेजी थीं । हमने केवल मध्य प्रदेश को छोड़ कर शेष सभी की मांगें पूर्णरूपेण पूरी कर दी हैं । पहले मध्य प्रदेश

---

†मूल अंग्रेजी में

ने कुछ भी रुपया लेना पसद नहीं किया था। बाद में वह पूरा एक करोड़ रुपया ही मांगने लगे। यह पूरी राशि मध्य प्रदेश को दे देना संभव नहीं था। हमने उन्हें ५२ लाख रुपये दिये हैं।

†**श्री प्रभात कार** : क्या राज्य सरकारें मांगी गई पूरी राशियों का उपयोग कर लेंगी ?

†**श्री अनिल० कु० चन्दा** : जीवन बीमा निगम ने यह इच्छा प्रगट की थी कि यह राशि इसी वर्ष में ले ली जाय। हमें फरवरी में जीवन बीमा निगम से यह सूचना मिली। हमने तत्काल सम्बन्धित राज्यों के मंत्रियों से सम्पर्क स्थापित किया और यह आशा की जाती है कि सम्बन्धित राज्य अगले दो-तीन दिनों में यह रुपया ले लेंगे।

सरदार अ० सिंह सहगल : क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको लिखा है कि उनकी पूरा रकम उनको दी जाये, पर वह रकम यहां से नहीं दी जा रही है।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं बता चुका हूं कि पहले हमें यह सूचना मिली कि मध्य प्रदेश यह रुपया लेना नहीं चाहता लेकिन बाद में वह पूरा एक करोड़ रुपया ही मांगने लगे। क्योंकि अन्य राज्य भी अपनी मांगें भेज रहे थे इसलिये हमें यह ऋण लेना चाहने वाले राज्यों में इस राशि का बंटवारा करना था। मैं यह भी बता चुका हूं कि इस एक करोड़ रुपये में से ५२ लाख रुपये की सबसे बड़ी रकम चालू वर्ष में मध्य प्रदेश को ही दी जा रही है।

सरदार अ० सि० सहगल : मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी हिच आ रही है कि पूरा एमाउंट मध्य प्रदेश सरकार को नहीं दिया जा रहा है जब कि वह बार बार लिख रहे हैं ?

†**श्री अनिल० कु० चन्दा** : कुल उपलब्ध राशि १ करोड़ रुपये ही है और यदि वह पूरी की पूरी राशि एक ही राज्य को दे दी जायेगी तो अन्य राज्यों को इस ऋण के लाभ नहीं प्राप्त हो सकेंगे।

गिरिडीह कोयला खान में दुर्घटना

+

†*१५०३. { **श्री प्र० चं० बोस** :
श्री म० कु० घोष :
श्री केशव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २ मार्च, १९५९ को सरकारी गिरिडीह कोयला खान में जो दुर्घटना हुई थी, जिसके फलस्वरूप ४ व्यक्तियों की जानें गई थीं, क्या उसकी जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारण इस दुर्घटना के कारणों से मिलते-जुलते थे जो इसी खान में २७ जनवरी, १९५९ को हुई थी और जिसमें कुछ व्यक्तियों की जान चली गई थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) यह दुर्घटना जमीन के नीचे आग लग जाने के कारण हुई जिसकी वजह से विषैला धुआं निकला और उसके फलस्वरूप चार व्यक्तियों की जान चली गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस खान में २७ जनवरी, १९५९ को कोई दुर्घटना नहीं हुई थी ।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या यह विषैली गैस पिट के समीपवर्ती क्षेत्र में भी पाई गई है और क्या वहां से कुछ श्रमिकों की छंटनी भी कर दी गई है ?

†**श्री आबिद अली** : वहां कोई विषैली गैस नहीं निकली, केवल धुआं-सा उठा था। जहां तक चारों ओर के क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†श्री केशव : क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है, यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री आबिद अली** : खानों के प्रादेशिक निरीक्षक ने इसकी जांच की थी और उनका ख्याल था कि यह दुर्घटना मात्र थी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या खानों के प्रादेशिक निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री आबिद अली** : हम इस पर विचार करेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या इस कोलियरी में, जोकि बहुत पुरानी है, नियमों का पूरा-पूरा पालन नहीं किया गया था ?

†**श्री आबिद अली** : प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम

†*१५०५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ और १६ के अधीन बिहार में चूककर्त्ताओं[1] के खिलाफ कुछ कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) अब तक बिहार में चीनी के उत्पादन में लगे केवल एक ही औद्योगिक उपक्रम (अर्थात् मेसर्स सुगौली शुगर वर्क्स, लिमिटेड, जिला चम्पारन बिहार) के कार्य के सम्बन्ध में जांच की गयी । निदेशकों में लगातार विवाद बना रहने के कारण इस कारखाने में बड़ा कुप्रबन्ध चल रहा था और भय था कि यह कारखाना शायद १९५६-५७ के सीजन में न चल सके। जांच करने वाली तालिका ने सरकार को यह सूचित किया कि कम्पनी की स्थिति उतनी खतरनाक नहीं है जिसमें उद्योग (विकसा तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन इसका प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाना आवश्यक प्रतीत हो और उसने यह सुझाव किया कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, के अधीन केन्द्रीय

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Defaulters

सरकार ने देखरेख सम्बन्धी जो नियंत्रण अधिकार हासिल कर लिया था उसे ही जारी रखा जाये और अभिकार-प्राप्त नियंत्रण को यह अतिरिक्त शक्ति दे दी जाये कि वह प्रबन्धकों को और आगे निदेश दे सकें राज्य सरकार की सहमति से इसी के अनुसार कार्यवाही कर दी गयी। अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन इस कारखाने पर देखरेख सम्बन्धी नियंत्रण अब भी लागू है, और यह कारखाना चल रहा है।

†**श्री झूलन सिंह** : विवरण के अन्त में कहा गया है—"राज्य सरकार की सहमति से उसी के अनुसार कार्यवाही कर दी गयी।" अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन इस कारखाने पर देखरेख सम्बन्धी नियंत्रण अब भी लागू है और यह कारखाना चल रहा है।" जब से यह कारखाना सरकार के निदेशों के अनुसार चलने लगा है तब से क्या इसकी कार्यकुशलता के स्तर में उस समय की अपेक्षा कोई परिवर्तन हुआ है जब इसका प्रबन्ध समाझीदार स्वयं करते थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मूल संस्थापकों के कुप्रबन्ध के कारण ही इस कारखाने का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया था। इसलिये स्पष्ट है कि यह कहीं अच्छी हालत में चल रहा है और इसीलिये हम इसे चला भी रहे हैं। साझीदारों में सुधार या प्रबन्धकों का पुनर्गठन होते ही हम इसका प्रबन्ध ऐसे प्रबन्धकों को सौंप सकते हैं। हम हमेशा के लिये इसका प्रबन्ध अपने हाथ में रखना नहीं चाहते।

†**श्री झूलन सिंह** : इस विवरण में कहा गया कि बिहार के केवल एक औद्योगिक उपक्रम के कार्यों की जांच की गयी है। क्या इंडियन शुगर वर्कर्स, सीवन नामक एक कारखाना भी बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति में पड़ गया था और कुछ वर्ष बाद उसने कार्य बन्द कर दिया था और सरकार द्वारा उचित कार्यवाही न की जाने के कारण जनता को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह बात ऐसी नहीं है। जब सरकारी विशेषज्ञों ने इस कारखाने की जांच की थी तो उन्होंने पाया कि सरकार द्वारा इस का प्रबन्ध अपने हाथ में ले कर इस कारखाने को चलाना लाभप्रद नहीं होगा। सभा को मालूम है कि उद्योग अधिनियम के अनुसार पहले धारा १५ के अधीन एक जांच समिति नियुक्त की जाती है। यदि उस समिति का प्रतिवेदन अनुकूल होता है केवल तभी कोई अधिकृत नियंत्रक या प्रबन्ध नियंत्रण बोर्ड नियुक्त किया जाता है। माननीय सदस्य जिस कारखाने का जिक्र कर रहे हैं उस के सम्बन्ध में ऐसा करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं समझा गया।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस कारखाने के कार्य की वास्तव में जांच की गयी थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं बता चुका हूं कि उद्योग अधिनियम की किसी विशेष धारा का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। हमें विभिन्न धाराओं और अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन भी शक्तियां प्राप्त हैं। सरकार अपने कार्यपालिका के अधिकार से ही प्रविधिक जांच करा सकती है। उस कारखाने की जांच की गयी थी और उसे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद या उसका चलाना हितकर नहीं समझा गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस अधिनियम के अधीन कितनी कपड़ा और पटसन मिलों के सम्बन्ध में इस प्रकार की समितियां नियुक्त की गयी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सीधे इस अधिनियम के अधीन अथवा अन्यथा जो समितियां नियुक्त की गयी हैं वह १७ तो कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में हैं, ६ चीनी मिलों के सम्बन्ध में हैं और २ इंजीनियरिंग उद्योगों के सम्बन्ध में हैं ।

†**श्री जाधव** : क्या इन समितियों द्वारा दिये जाने वाले प्रतिवेदन लोक-सभा पटल पर रखे जायगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह विशिष्ट प्रयोजनों से विशिष्ट रूप में नियुक्त की गयी समितियां हैं और जब तक कोई माननीय सदस्य किसी प्रतिवेदन विशेष के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाते, हम आमतौर पर सभी प्रदिवेदन सभा पटल पर नहीं रखते । यदि माननीय सदस्य की किसी विशेष समिति के प्रतिवेदन में दिलचस्पी हो तो हमें निस्संदेह वह प्रतिवेदन उन्हें देने में प्रसन्नता होगी ।

मिस्र से रुई का आयात

+

†*१५०६. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ३०,००० गांठ मिस्री रूई का आयात करने का विशेष कोटा सीधे कपड़ा मिलों को दे देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों और निबन्धनों पर मिलों को इस रूई का आयात करने की अनुमति दी गयी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिल्कुल इससे मिलती जुलती किस्म की रूई कहीं कम दामों में या वस्तु विनिमय के आधार पर सूडान में उपलब्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो सूडान से आयात करने की अनुमति क्यों नहीं दी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३३]** ।

†**श्री राधा रमण :** विवरण में कहा गया है कि रुई का आयात उन देशों को कपड़े की वस्तुओं के निर्यान के अधीन है । इन देशों को कितने कपडे के सामान का निर्यान किया जाता है, या चालू-वर्ष में इनका कितना निर्यात होने की आशा हे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाये जाते । जैसा मेरे मान्य सहयोगी एक पिछले प्रश्न के उत्तर में बता चुके हैं; हम प्रत्येक देश को अपना निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और निर्यात को आयात के साथ जोड़ देने की नयी प्रोत्साहन देने की योजना के फलस्वरूप निर्यात में निश्चित रूप से वृद्धि हो गयी है ।

†**श्री राधा रमण :** विवरण में कहा गया है कि आयात करने वालों को यह सुनिश्चित कर लेने की सलाह दी गयी है कि उनके लाइसेंसों पर मिस्र और सूडान से बराबर के

---

†मूल अंग्रेजी में

परिमाण में आयात किया गया। विवरण में मिस्र से १५,००० गाँठ के आयात का जिक्र किया गया है। क्या सूडान सरकार को भी कुछ आर्डर दिये गये हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** सूडान सरकार को तो कोई आर्डर नहीं दिये गये हैं पर कुछ ऐसे आयात और निर्यात कर्त्ता हैं जिन्हें यह हिदायत दे दी गयी है कि रुई का आयात करते समय इन दोनों मित्र राष्ट्रों के संबंध में उचित संतुलन रखा जाय और समन्याय्य रूप में आर्डर दिये जायँ।

†**श्री राधा रमण :** यह सुझाव दिया गया है कि इस रुई का आयात इंजीनियरिंग की वस्तुओं के निर्यात के बदले में किया जाय। इंजीनियरिंग की किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है?

†**श्री मनुभाई शाह :** मध्यपूर्व के देशों, विशेष रूप से मिस्र और सूडान में सीने की मशीनें, बिजली के पंखे, डीजल इंजन, कुकर, हरीकेन लालटेन और विभिन्न इंजीनियरिंग का सामान भेजा जाता है।

†**श्री त्यागी :** अभी यह कहा गया है कि आयात की गयी रुई के संबंध में मिलों को यह निदेश दिया जाना है कि वे कुछ परिमाण में वस्त्रों का निर्यात करें। रुई के आयात के संबंध में वस्त्रों के निर्यात के लिये क्या अनुपात निश्चित किया गया है?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस समय मोटे तौर पर नीति यह है कि सम्पूर्ण निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन विदेशी रुई के कुल आयात को देश से विभिन्न किस्मों के वस्त्रों के कुल निर्यात से जोड़ दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत से वस्त्र के निर्यात से जो कीमत मिलेगी केवल उतने ही मूल्य की रुई के आयात की अनुमति दी जायगी। फिर ६० से ६६ $^{२}/_{३}$ प्रतिशत तक आयात की हुई रुई का संबंध सीधे विशिष्ट मिल के निर्यात से जोड़ दिया जाता है। फिर उन्हें १० प्रतिशत अपने लिये रख लेने और ५० से ५६ प्रतिशत वस्त्र आयुक्त के निदेश के अनुसार बेच देने की अनुमति दी जाती है। तीसरी शर्त है कि निर्यात की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार ४ से ६ प्रतिशत के संबंध में रसायनों, रंगों और अन्य वस्तुओं के आयात के लिये अनुमति दी जाती है। जो विदेशी मुद्रायें अर्जित होती हैं उनमें से १० प्रतिशत निर्यात करने वाली मिलों द्वारा नयी मशीनें मंगाने सुधार और परिष्करण आदि के लिये रख ली जाती हैं।

†**श्री खीमजी:** रुई के भाव मिस्री रुई की तुलना में कैसे बैठते हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं भावों में तुलना नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इस ठेके में मिस्र रुई के भाव कम हैं। मगर हमेशा ही ऐसा नहीं होता। कभी किसी का भाव ज्यादा होता है कभी किसी का।

†**श्री खीमजी:** क्या यह सच है कि हाल के कुछ हफ्तों में सूडान की रुई के भाव काफी गिर गये हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह ठीक है। कभी-कभी रुई के भाव कम होते हैं। कभी मिस्र के भाव बहुत ही कम होते हैं और इसीलिये हम दोनों मित्र राष्ट्रों का संतुलन नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आयात और निर्यात एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसीलिये हमें आवश्यक संतुलन कायम रखना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। वास्तव में मेरी यह धारणा थी कि यदि कोई मिल आयात की हुई रुई का इस्तेमाल करती हैं तो वह अपने यहां तैयार कपड़ों का कुछ अनुपात में विदेशों को निर्यात करने के लिये बाध्य है। लेकिन मंत्री महोदय की बातों से अब मेरी समझ में यह आया है कि निर्यात के इस अनुपात' का संबंध रंगों आदि उन अन्य वस्तुओं के आयात से भी जुड़ा हुआ है जिनकी मिलों को आवश्यकता पड़ती रहती है। मैं यह जानना चाहता था कि निर्यात आयात की गयी रुई के बदले में लागू किया जाता है या उन अन्य वस्तुओं के आयात के बदले में होता है जिनकी मिलों की जरूरत पड़ती रहती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिन मिलों को आयात की हुई रुई मिलती है उन्हें अपने कुछ प्रतिशत वस्त्रों का निर्यात करना होता है।

†**श्री त्यागी**: क्या प्रत्येक मिल का कोटा निश्चित है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह प्रस्ताव टेक्सटाइल फेडरेशन की ही ओर से आया था। उन्होंने वस्त्र आयुक्त से काफी समय तक बात चीत चलायी थी और निर्यात करने वालों और निर्माताओं दोनों की ओर से यह बात तय हुई थी कि वे अपने कपड़े के कुछ प्रतिशत अंश का निर्यात करेंगे। कोई कानून नहीं बना है, लेकिन यह बात तय हो गयी है और आशा की जाती है कि अपने उपादन के १० प्रतिशत भाग का वे निर्यात कर देंगे।

अल्प सूचना प्रश्न और उतर

पाकिस्तान को चारलैण्डस का हस्तान्तरण

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नून–नेहरू करार के अधीन मुर्शिदाबाद जिले के चारलैण्ड्स को हाल ही में पाकिस्तान को हस्तान्तरित करने का प्रभाव जिन ९,१०० मछुआ परिवारों पर पड़ा है उनके भविष्य का प्रश्न पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार के सुपुर्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है?

†**वैदेशिक–कार्य मंत्री के सभा–सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने नवीनतम प्रतिवेदन में कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि मुर्शिदाबाद और राजशाही जिले की सीमा सम्बन्धी बग्गे पंचाट के क्रियान्वित किये जाने का मछुआ परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार कठिनाई इस वजह से पैदा हुई है क्योंकि बग्गे पंजाट के अनुसार सीमांकन किये जाने के बाद से पाकिस्तानी सीमा पुलिस हमारे मछुओं और उनकी नावों को नदी के उन भागों में, जहां दोनों तट पाकिस्तान की सीमा के भीतर आते हैं,

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय राज्य क्षेत्र में पड़ने वाले नदी के हिस्से तक मछली पकड़ने के लिये आने जाने की वह सुविधायें नहीं देती जो पहले उन्हें दी जाती थीं, और जहां सीमा नदी की धारा के बीचो बीच है वहां नदी के पूरे पाट पर नौपरिवहन की सुविधायें नहीं देती जिस से हमारे मछुये जिन विशाल और कीमती मछली पकड़ने के जालों का प्रयोग करते है उन के इस्तेमाल में बाधा पहुंचती है क्यों कि इन जालों को नदी के पूरे पाट पर से खींचना होता है लेकिन अब वास्तव में मछली पकड़ते समय यह जाल केवल नदी के उसी भाग तक फेंके जा सकते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में हमारी ओर पड़ता है ।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह भी खबर दी है कि कुल ४,१२५ मछुआ परिवारों पर इसका असर पड़ा है ।

(ग) कराची स्थित हमारे उच्चायुक्त के कार्यालय को यह हिदायत दे दी गयी है कि वह पाकिस्तान सरकार से इस मसले को उठायें और उन्हें इस बात के लिये राजी करने का अनुरोध करें कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की सरकारों के प्रतिनिधि आपस में मिलकर मछुओं और उनकी नावों को गुजरने की सुविधा देने और नदी के पूरे पाट पर मछली मारने की अनुमति देने के सम्बन्ध में व्यौरेवार व्यवस्था तय कर लें, बशर्ते कि वास्तव में मछली पकड़ने का काम उन्हीं राज्यों की सीमा में सीमित रहे जहां के वे मछुये राष्ट्रजन हैं । ।

पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** यदि पाकिस्तान सरकार इन मछुओं को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देती—हो सकता है कि वह ऐसा न करे लेकिन उसका रुख ऐसा हो है—तो इन मछुओं के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है, क्योंकि मछुये आसानी से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकते ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक–कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** मेरे ख्याल से ऐसी सभी बातों में पहला तरीका तो यही होना चाहिये कि ऐसी व्यवस्था कर ली जाये जो दोनों देशों के लिये सुविधाजनक हो। इस मामले में यह बात स्पष्ट है किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कहीं से हटाया नहीं गया है। इस में तो नदी की सीमा को स्पष्ट किया गया है—चाहे वो धारा के बीच में हो या उस किनारे हो या इस किनारे। मछली पकड़ने के सम्बन्ध में मछुओं के सामने जो बाधायें आ खड़ी हुई हैं उन से भी यह स्पष्ट है कि यदि पाकिस्तानी मछुये नदी के कुछ भागों में आयें तो उन को भी इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे के रास्ते में इस प्रकार का रोड़ा अटकाने के प्रयास किसी भी पक्ष का लाभ नहीं होता। मुझे आशा है कि आम तौर पर जैसे बातें तय हो जाती हैं यह बात भी तय हो जायेगी। लोगों को अपने अपने राज्य क्षेत्रों में मछली पकड़ने की छूट रहती है। कुछ न कुछ व्यवस्था तो होती ही है।

पुनर्वास का प्रश्न कम से कम अभी तो नहीं पैदा होता और मुझे आशा है कि आगे भी नहीं उठेगा। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि मछुओं का पुनर्वास ऐसे ही स्थानों पर किया जा सकता है जहां वे मछली पकड़ सकें—उन्हें नदी के अन्य भागों में बसाना होगा। ऐसे क्षेत्र सीमित ही हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी १७ मार्च को वैस्ट बंगाल असेम्बली में श्री बी० सी० राय ने यह बात कही थी कि इस बार्डर की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि हम को आर्मी की सहायता दी जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि सैन्टर उन को आर्मी की सहायता देने जा रहा है या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो मल्लाहों की रक्षा का सवाल है।

अध्यक्ष महोदयः यह प्रश्न इस में नहीं उठता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : लेकिन मैं जवाब देने के लिये तैयार हूं, अगर आप इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदयः जैसा आप मुनासिब समझें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आर्मी की रक्षा तो हमेशा दी जाती है, यानी दूसरे देश से जो हमारी सरहद है, उस की रक्षा आर्मी के हाथ में होती है। लेकिन आर्मी वहां पहरा नहीं देती है। अगर जरूरत होती है, तो वह बुलाई जाती है। मुख्य मंत्री जी ने जो वहां कहा, वह ठीक था—वह हमारी सलाह से कहा था कि फौज को ज्यादा अधिकार दिया जाये कि वह निश्चय करे कि कहां कहां उस को देख-भाल करनी है। जैसे कि हमारी फौज आसाम की सरहद पर देख-भाल कर रही थी वह करती है। उस की जिम्मेदारी जरा बढ़ा दी गई है।

तुकेर ग्राम

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३: श्री हेम बरुआः क्या प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्यालय के एक प्रवक्ता के कराची से १७ मार्च, १९५९ को दिये गये उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट है जिस में माननीय प्रधान मंत्री के संसद् में दिये गये इस वक्तव्य का खण्डन किया गया था कि तुकेर ग्राम भारत का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रवक्ता ने जोर देकर कहा है कि तुकेर ग्राम "ठीक ही पाकिस्तान का है" और बग्गे पंचाट के अनुसार पाकिस्तान को दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो जहां तक तुकेर ग्राम का सम्बन्ध है उसके बारे में पाकिस्तान के दावे के सम्बन्ध में सही स्थिति बताने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गयी है, और यदि हां, तो क्या ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). सरकार ने १९ मार्च, १९५९ के पाकिस्ता ी अखबारों की इस आशय की खबर देखी है कि पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि तुकेरग्राम पाकिस्तान का है क्योंकि वह कुसियारा नदी के पाकिस्तान वाले किनारे पर था।

(ग) कराची स्थित हमारे उच्चायुक्त के कार्यालय को यह हिदायतें दी गई हैं कि वह इन बातों की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकृष्ट करे :—

(१) तुकेर ग्राम, जो कछार जिले में है, रैडक्लिफ़ पंचाट के अधीन भारत को दिया गया था और तब से उस समय तक भारत के ही कब्जे में था जब तक अगस्त १९५८ में पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने जबर्दस्ती उस पर कब्जा नहीं कर लिया।

(२) कि भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री सितम्बर, १९५८ की अपनी बैठक में इस बात के लिये सहमत हो गये थे कि पाकिस्तानी सेनाओं को यथास्थिति बनाये रखने के लिये अपनी सशस्त्र सेनायें तुकेर ग्राम से वापस बुला लेनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे उच्चायुक्त के कार्यालय को यह भी हिदायत दी गई है कि वह भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के समझौते का पाकिस्तानी वैदेशिक कार्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता द्वारा खंडन किये जाने के प्रयास पर भारत सरकार की चिंता भी प्रगट कर दे और पाकिस्तान सरकार से यह अनुरोध करे कि तुकेर ग्राम से पाकिस्तानी सेनाओं को वापस बुलाने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाय और इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्रियों के समझौते को क्रियान्वित किया जाय।

†**श्री हेम बरुआ :** इस दृष्टि से कि नेहरू-नून करार के समय पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने तुकेर ग्राम से पाकिस्तानी सेना हटाने का स्पष्ट अश्वासन दिया था, क्या सरकार का विचार तुकेर ग्राम से पाकिस्तानियों को, यदि आवश्यक हुआ तो बल प्रयोग करके, निकालने का है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** वर्तमान परिस्थिति में हम इस कार्य के लिये शस्त्रों का प्रयोग करना नहीं चाहते।

†**श्री त्यागी :** भारत का क्षेत्र शत्रु द्वारा शस्त्र प्रयोग से ले लेने पर हम शस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** तुकेर ग्राम के मामले में हम शस्त्र प्रयोग इसलिये नहीं करना चाहते कि इससे पाकिस्तान पर बड़ा आक्रमण होता है। यह सीमान्त मामला है, परन्तु छोटा मामला नहीं है एवं पाकिस्तान पर बड़ा आक्रमण करते समय स्पष्ट रूप से विचार करना पड़ता है। है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को विदित है कि यद्यपि तुकेर ग्राम एक छोटा गांव है परन्तु यह बड़ी तेजी से सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है। फिर मंगा बाज़ार की सीमा पर हमारे क्षेत्र से इसकी दूरी ५० गज़ से कम है और उस पर आक्रमण किया जा सकता है तथा ऐसा किया भी गया है जिसमें कुसियारा नदी के इस ओर हमारी कुछ सम्पत्ति भी नष्ट हुई। क्या पाकिस्तान में सेना सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हां, श्रीमान्, बार बार।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान 'मानचेस्टर गार्जियन' के एक लेख के उत्तर में पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के अधिकारी द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि ११० वर्ग मील पाकिस्तानी क्षेत्र भारत के अवैध अधिकार में है जब कि पाकिस्तान के अधिकार में ऐसा क्षेत्र केवल ३६ वर्ग मील है। यदि हां, तो क्या तुकेर ग्राम उन ११० वर्ग मीलों में है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं कैसे समझूं कि पाकिस्तानी अधिकारी का अभिप्राय ११० वर्ग मील से क्या है तथा 'मानचेस्टर गार्जियन' का क्या अभिप्राय था ?

†**श्री बाजपेयी :** इस दृष्टि से कि भारत सरकार तुकेर ग्राम को मुक्त कराने में सैनिक कार्यवाही करने को तैयार नहीं है और इस दृष्टि से कि भारत और पाकिस्तान दावे तथा प्रतिदावे कर रहे हैं, क्या मामला न्याय निर्णय के लिये सौंपने का विचार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पाकिस्तान तुकेर ग्राम का मामला शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने को सहमत हो गया है। यदि पाकिस्तान इस करार को न भी माने तो इस विशिष्ट मामले में

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़ी सैनिक कार्यवाही करना हमारे लिये उचित न होगा। परन्तु प्रत्येक बात भावी घटनाओं पर निर्भर है कि कोई क्या करे या क्या न करे। इस मामले को न्यायनिर्णय के लिये सौंपने का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रबर गवेषणा संस्था और रबर बोर्ड कार्यालय की इमारत

†*१४८४. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबर गवेषणा संस्था और बोर्ड कार्यालय की संयुक्त इमारत का निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य किस को दिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस कार्य के लिये टेन्डर मांगने वाला है।

वेल्डिंग गैसें

†*१४९२. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में, जब कि तीन इस्पात कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा, अनुमानतया कितनी वेल्डिंग गैसों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) क्या उस समय तक 'एसीटाइलीन' के देशीय निर्माण में स्वावलम्बन प्राप्त हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) निर्माणाधीन तीन इस्पात कारखानों में उत्पादन आरम्भ होने पर वेल्डिंग गैसों की अनुमानित आवश्यकता प्रतिवर्ष एक अरब घन फुट आक्सीजन तथा १५ करोड़ घन फुट तरल 'एसीटाइलीन' की होगी।

(ख) हां, श्रीमान।

पाकिस्तान में 'रडार व्यवस्था'

†*१४९३. **श्री वोडयार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को विदित हुआ है कि पाकिस्तान में अमरीका द्वारा एक शक्तिशाली 'रडार व्यवस्था' स्थापित करने की खबर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** हां, श्रीमान।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†*१४९५. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लि० के साथ मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक गैर-सरकारी क्षेत्र ने कितने प्रतिशत निर्यात किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) हां, श्रीमान।

(ख) जुलाई १९५७ से जून १९५८ तक ६६.४ प्रति शत

जुलाई १९५८ से दिसम्बर, १९५८ तक ६३ प्रति शत।

पुनर्वास विभाग के कर्मचारी

†*१५०१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय के विभिन्न विभागों में ऐसे कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है जिनकी सेवा दस वर्ष से अधिक की है और स्थायी नहीं बनाये गये हैं तथा वे पेंशन के अधिकारी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) :** (क) ऐसे अनेकों कर्मचारी हैं।

(ख) पुनर्वास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय सर्वथा अस्थायी संस्थायें हैं अतः उनके स्थान स्थायी नहीं किये जा सकते। किसी भी कार्यालय में अतिरिक्त कर्मचारी घोषित होने पर उन्हें भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों तथा विभागों में लगाने के प्रयत्न किये जाते हैं। व्यक्तियों के अधिकारी होने पर अर्ध-स्थायी की घोषणायें भी की जाती हैं।

लंका में भारतीय सीमेन्ट के विक्रय एजेन्ट

†*१५०४. **श्री चांदक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट के विक्रय के लिये लंका में दो विक्रय एजेण्ट नियुक्त किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक विक्रय एजेण्ट ने कितने वार्षिक व्यापार की गारण्टी दी है; और

(ग) यदि वे अपने अपने कोटा पूरे न कर सकें तो प्रत्येक पर क्या जुर्माना किया जायेगा तथा वह कैसे वसूल किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). लंका में कोई विक्रय एजेण्ट नियुक्त नहीं किया गया है परन्तु भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लि० ने कुल २४,००० टन सीमेन्ट के निर्यात के ठेके दो पक्षों को दिये हैं। प्रत्येक का ठेका १२,००० टन का है तथा यह सीमेन्ट छः मास में लिया जायेगा।

(ग) ठेकों में उपबन्ध है कि भुगतान अविखंडनीय तथा पुष्ट साखपत्र द्वारा होगा एवं झगड़े न्यायनिर्णय द्वारा नई दिल्ली में निपटाये जायेंगे।

लौह अयस्क का निर्यात

†*१५०७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह से १९५८–५९ में अभी तक लौह अयस्क के निर्यात के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं;

(ख) आजकल कलकत्ता बन्दरगाह में कितना लौह अयस्क पड़ा है जो निर्यात के लिये है; और

(ग) १९५८–५९ में कलकत्ता बन्दरगाह से लौह अयस्क के निर्यात के आदेश न देने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ग). १९५८–५९ के लिये परिवहन की कितनी सुविधा उपलब्ध होगी इस आधार पर कलकत्ता बन्दरगाह का कार्य करने वाले विभिन्न फर्मों को दिये गये हैं।

(ख) २८ फरवरी, १९५९ को लगभग ७२,००० टन।

रोजगार संबंधी केन्द्रीय समिति

†*१५०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पाणिग्रही :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति पूर्णतया गठित हो गई है;

(ख) क्या समिति की कोई बैठक हुई है; और

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फर्नीचर बनाने का कारखाना

†*१५०६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की कोई योजना सरकारी आवश्यकता पूरी करने के लिये एक बड़े पैमाने का फर्नीचर बनाने का कारखाना खोलने की है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में फर्नीचर पर प्रति वर्ष कितना व्यय हुआ ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) मंत्रियों, योजना आयोग के सदस्यों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा संसत्सदस्यों के निवास गृहों के अतिरिक्त कार्यालयों में फर्नीचर देने का उत्तरदायिव स्वयं मंत्रालयों, उनके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों व उनके कार्यालयों का है। अतः फर्नीचर पर प्रति वर्ष हुये व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

अपाहिजों के अनिवार्य रोजगार सम्बन्धी विधान

†*१५१०. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री वारियर:
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपाहिजों के अनिवार्य रोजगार का विधान बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कोई योजना प्रस्तुत की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'काफी हाउसों' का बन्द होना

†*१५११. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे शेष "काफी हाउस' बन्द हो गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान्। कलकत्ता, संसद् भवन नई दिल्ली और श्रीनगर में तीन के अतिरिक्त।

(ख) ये उनके मान महत्व तथा घूमने के लिये आने वाले विदेशियों में भारतीय काफी के प्रचार महत्व के कारण चलाये जा रहे हैं।

अमृत पत्रिका, इलाहाबाद

†*१५१२. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृत पत्रिका, इलाहाबाद के कर्मचारियों और मालिकों के झगड़े को निपटाने की वार्ता असफल हो गई ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) हां।

(ख) वार्ता की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने की थी और वह इसलिये असफल हो गई कि कर्मचारियों और मालिकों के प्रतिनिधि इस बात पर एकमत न हो सके कि अमृत पत्रिका का पुनः प्रकाशन होने पर मजदूरों को वेतन किस आधार पर दिया जायेगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने यह झगड़ा १९ मार्च, १९५९ को न्यायनिर्णय के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया है।

आगरा में संगमरमर कार्य प्रशिक्षण केन्द्र

†२३२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में संगमरमर के कार्य के प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५६–५७ में आगरा में संगमरमर के कार्य के प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र के लिये उत्तर प्रदेश को १५,००० रु० का ऋण दिया गया था। इसका प्रयोग नहीं किया गया। १९५७–५८ में यह फिर दिया गया। यह भी प्रयोग नहीं किया गया। १९५८–५९ में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। समझा जाता

†मूल अंग्रेजी में

है कि राज्य सरकार आगरा में संगमरमर के कार्य के प्रशिक्षण व उत्पादन का केन्द्र चला रही है ।

पंजाब से सीमेन्ट का संभरण

†२३२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अब तक पंजाब के कारखानों से कुल कितने सीमेन्ट की निकासी हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** १–४–१९५८ से २८–२–१९५९ तक पंजाब में सीमेन्ट कारखानों से ४,४५,३१७ टन सीमेन्ट भेजा गया ।

पंजाब से कपड़े की निकासी

†२३२३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में पंजाब के कपड़ा मिलों से (मिलवार) कुल कितने कपड़े की निकासी हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३४]**

कपड़ा उद्योग

†२३२४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री देश में सूती कपड़ा बनाने वाले सारे कारखानों की अधिष्ठापित क्षमतायें दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सारे सूती कपड़े के कारखाने आजकल अपनी पूरी क्षमता पर कार्य कर रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

१–१–१९५८ को भारत के सूती कपड़ा के मिलों में तकुओं व चरखों की अधिष्ठापित क्षमता निम्नानुकूल थी

तकुए	१३,०५४,०९८
चर्खे	२०१,२८०

आजकल सारे कारखाने अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे हैं । लगभग १.३० करोड तकुओं में से लगभग ९ लाख तकुए तथा २ लाख चर्खों में से लगभग १८००० चर्खे कारखानों के आंशिक रूप से या पूर्णतया बंद होने के कारण बेकार पड़े हैं ।

परामर्शदात्री समितियां

†२३२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा बनाई गई विभिन्न परामर्शदात्री समितियों ने १९५८ में कुल कितना व्यय किया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : लगभग ३६,४०० रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आणविक ईंधन निर्माण संयंत्र[1]

†२३२६. **श्री दी० चं० शर्मा:** : क्या **प्रधान मंत्री** २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आणविक ईंधन निर्माण संयंत्र की स्थापना में और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: ईंधन निर्माण संयंत्र की इमारत लगभग पूरी हो गई है और वायु संवातन व्यवस्था पूरी होने वाली है। इमारत में सारी सुविधायें जून १९५९ तक पूरी हो जायेंगी।

पर्याप्त मशीनें लग गई हैं। मशीनों का चलना तथा जांच संचालन अप्रैल, १९५९ में आरम्भ होगा जिसके लिये संयंत्र में पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था की गई है।

चलचित्रों का आयात

†२३२७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अमरीका और इंगलैंड से भारत में कितने चलचित्रों का आयात हुआ; और

(ख) इसी काल में इन देशों को कितने चलचित्र निर्यात किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३५]**

इनफ्लूऐन्जा तथा हैजा महामारी पर वृत्त चलचित्र

†२३२८. **श्री पांगरकर:** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र विभाग ने इनफ्लूऐन्जा तथा हैजा महामारी पर कोई चलचित्र बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी तफसील क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) तथा (ख). चलचित्र विभाग द्वारा निर्मित निम्न वृत चलचित्रों में हैजा का उल्लेख है :

(१) 'डेंजर इन एवरी ड्राप

(२) 'हैल्थ फॉर मिलियन्स'

(३) 'इम्पार्टेंस आफ़ प्योर वाटर'

(४) 'फ़ूड एड फ़ो

हैजा और इनफ्लूऐन्जा पर पूर्णरूपेण अभी तक कोई चलचित्र नहीं बना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

1Atomic Fuel Fabrication Plant.

अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले भारतीय चलचित्र

†२३२९. **श्री पांगरकर:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में किन भारतीय चलचित्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : १९५८–५९ में अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले भारतीय चलचित्रों के नाम निम्न हैं :

चलचित्र का नाम	अवसर का नाम	पुरस्कार
चलचित्र		
१. पाथेर पंचाली (बंगाली)	(क) अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह, बैंकोवर, कनाडा ।	प्रथम पुरस्कार ।
	(ख) स्ट्रेटफार्ड चलचित्र समारोह, स्ट्रेटफार्ड ।	वर्ष के सर्वोत्तम चलचित्र के रूप में चलचित्र आलोचक का पुरस्कार ।
	(ग) छटा वार्षिक जोसेफ वर्सटिन अवार्ड, न्यूयार्क ।	१९५८ का तृतीय विदेशी भाषा का चलचित्र माना गया ।
२. दो आंखें बारह हाथ (हिन्दी)	(क) आठवां आन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह, बर्लिन् ।	१. "सामाजिक समस्या के भावपूर्ण चित्रण" के लिये 'सिलवर वीयर' का विशेष पुरस्कार ।
		२. इसके "गहरे और काव्यात्मक संकेतवाद" के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कैथोलिक सिनेमा ब्यूरो की सात राष्ट्रों की जूरी का विशेष पुरस्कार ।
	(ख) हालीवुड अमरीका की विदेशी प्रेस संस्था का प्रथम सेमुअल गाल्डविन अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ।	१९५८ का सर्वोत्तम विदेशी चलचित्र पुरस्कार ।

†मूल अंग्रेजी में

चलचित्र का नाम	अवसर का नाम	पुरस्कार
३. मदर इंडिया (हिन्दी)	आठवां अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह, कारलावी वेरी (चैकोस्लावकिया)	"मुख्य भूमिका में हलचल मचाने वाले तथा प्रभावात्मक अभिनय के लिये" श्रीमती नर्गिस को पुरस्कार मिला ।
४. आप्राजितो (बंगाली)	अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह, सान्फ्रांसिसको ।	चलचित्र के सर्वोत्तम निर्देशन के लिये श्री सत्यजीत रे को 'सिलवर प्लेक' तथा प्रमाण पत्र मिला ।
वृत चलचित्र		
१. 'स्टार मेनहेज मेड' (अंग्रेजी)	इलैक्ट्रोनिक्स तथा न्युकलियर समस्याओं पर पांचवीं अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी, रोम ।	टैक्नीकल और कलात्मक विशेषताओं के लिये प्याला मिला ।
२. 'बिजी हैन्ड्स' (अंग्रेजी)	सिनेमा, प्रचार, उद्योग और प्राविधिक प्रयोग का आठवां अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, मिलान (इटली) ।	फीयरा डी मिलानों के वृत-चलचित्र विभाग द्वारा "मैनशन आफ आनर" दिया गया ।
३. 'खजुराहो' (अंग्रेजी)	५ वां दो वर्षीय अन्तर्राष्ट्रीय वृत चलचित्र समारोह, यार्कटन, कनाडा ।	रचनात्मक कला की श्रेणी में "आनरेबल मैनशन" का पुरस्कार दिया गया ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†२३३०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेलजियम, चैकोस्लावकिया, पोलैंड, नार्वे और स्वीडन को मैंगनीज अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ; और

(ख) १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक इन देशों को भारत से कितना मैंगनीज अयस्क निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३६]**

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार

†२३३१. **श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २८ फरवरी, १९५९ को आन्ध्र प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों में वर्तमान रजिस्टर में कितने बेरोजगार ग्रेजुएट और मैट्रिक पास व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : २८ फरवरी, १९५९ के आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु, ३१ दिसम्बर, १९५८ के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	३१–१२–५८ को वर्तमान रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
ग्रेजुएट	३,०८६
मैट्रिक (जिनमें एफ० ए० पास व्यक्ति भी सम्मिलित हैं)	२७,२०२

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय

२३३२. **पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश:** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिवालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के भर्ती सम्बन्धी नियम बना लिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). इस दफ्तर के पहली व दूसरी श्रेणी के रिक्रूटमैन्ट रूलस यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की सम्मति से तय हो चुके हैं। तीसरी श्रेणी के रिक्रूटमैन्ट रूल्स पर विचार किया जा रहा है और जल्दी ही तय हो जायेंगे ।

अमोनियम फास्फेट का उत्पादन

†२३३३. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाडा के 'मैसर्स आंध्र शुगर्स' ने यह सुझाव दिया है कि विजयवाडा में अमोनियम फास्फेट के उत्पादन के लिये एक कारखाना स्थापित किया जाये ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में "आन्ध्र शुगर्स' अथवा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा गया है ;

(ग) कारखाने पर कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) उस सम्बन्ध में पूरा ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) 'मैसर्स आन्ध्र शुगर्स" ने हाल ही में सोडा एश, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियेटिड सूपर फास्फेट

---

†मूल अंग्रेजी में

के निर्माण के लिये विजयवाडा के निकट एक फैक्टरी स्थापित करने का सुझाव प्रस्तुत किया है ।

(ख) राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हाल ही में कम्पनी से यह आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन उसे एक लाइसेन्स दिया जाये ।

(ग) और (घ). आवेदन पत्र में यह बताया गया है कि कारखाने पर लगभग ११ करोड़ रुपये की लागत आयेगी जिसमें से ६ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। उसके लिये मुख्यतया कोयला और नमक के रूप में कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी १ करोड़ रुपये है जिस में से ३० लाख रुपये की राशि अदा कर दी गई है। शेष राशि भी शीघ्र ही अदा कर देने का विचार है। यदि आवश्यकता हुई, तो प्राधिकृत पूंजी बढ़ा दी जायेगी और जनता से ऋण भी लिया जायेगा। आवेदन पत्र में विदेशी प्रविधिक सहायता और संयंत्र या मशीनरी की प्राप्ति के लिये किये जाने वाले प्रबन्धों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया है। योजना विचाराधीन है ।

राजस्थान में योजना सम्बन्धी प्रचार

†२३३४. **श्री ओंकार लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में योजना सम्बन्धी प्रचार करने के लिये १९५८–५९ में कितनी राशि निर्धारित की गई थी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : योजना आयोग ने १९५८–५९ में राजस्थान में योजना सम्बन्धी प्रचार के लिये राज्य के आयव्ययक में ९.०५ लाख रुपये की राशि मंजूर की थी ।

प्रैस सूचना विभाग के शाखा कार्यालय

†२३३५. **श्री ओंकार लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में राजस्थान में प्रेस सूचना विभाग के लिये कितने शाखा कार्यालय खुले ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : १९५८–५९ में राजस्थान में प्रैस सूचना विभाग का एक शाखा कार्यालय खोला गया था।

राजस्थान में औद्योगिक बस्तियां

†२३३६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में मध्यम आकार वाली औद्योगिक बस्तियां बसाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव है; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां कहां स्थापित की जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). राजस्थान सरकार का द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में नौ औद्योगिक बस्तियों बसाने का विचार है। उनके ब्योरे निम्नलिखित हैं। भीलवाडा में स्थापित की जाने वाली बस्ती मध्यम आकार की होगी।

स्थान	लागत (लाख रुपयों में)
जयपुर	२५.००
माखुपुरा	३.००
भीलवाड़ा .	१०.००
गंगानगर .	५.००
जोधपुर	४.००
कोटा	५.००
भरतपुर .	८.४१
सुमेरपुर .	३.००
उदयपुर .	३.००
कुल	६६.४१

राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार

†२३३७. **श्री ओंकार लाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ गयी है ;

(ख) बेरोजगारी को कम करने के लिये सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाओं का क्या प्रभाव रहा है ;

(ग) क्या किन्हीं और योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १९५८ में राजस्थान के काम दिलाऊ दफ्तरों में १,५०८ और अधिक शिक्षित लोगों ने अपने नाम दर्ज कराये थे।

(ख) अतिरिक्त रोजगार की गुंजाइश हो गई है।

(ग) और (घ). पंच वर्षीय योजनाओं के अधीन जितनी भी योजनायें चलायी जा रही हैं, सभी का उद्देष्य यही है कि शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों में से अधिक से अधिक को रोजगार मिल सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

सक्षम पदाधिकारी

†२३३८. **श्री मू० च० जैन :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५७, २८ मार्च १९५८ और ३१ अक्तूबर, १९५८ को निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) विधेयक १९५८, के अधीन कितने सक्षम पदाधिकारी काम कर रहे थे ;

(ख) उनमें से प्रत्येक का क्षेत्राधिकार क्या है; और

(ग) उन में से कितने व्यक्तियों को निवृत्त होने के उपरान्त काम पर पुनः नियुक्त किया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्यात संवर्धन मंत्रणा परिषद् की स्थायी समिति की बैठक

†२३३९. **श्री राजेन्द्र सिंह:**
श्री राम कृष्ण गुप्त:
श्री अजित सिंह सरहदी:
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात सवंर्धन मन्त्रणा परिषद् की स्थायी समिति की दिसम्बर, १९५८ में एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां तो मन्त्रणा परिषद् ने क्या क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३७]**

अम्बर चर्खा

†२३४०. **श्री केशव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५७ को जिस दिन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी बोर्ड से काम संभाला था—७५,००० अम्बर चर्खों में से कितने चर्खे चालू थे तथा काम कर रहे थे ; और

(ख) १ अप्रैल, १९५७ के बाद आज तक आयोग द्वारा और कितने अम्बर चर्खे देश में चालू किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) १९५६–५७ में ४५,७४२ अम्बर चर्खे चालू किये गये थे। अनुमान है कि १ अप्रैल, १९५७ को लगभग ४२,००० अम्बर चर्खे चल रहे थे।

(ख) अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार १ अप्रैल, १९५७ और ३१ जनवरी, १९५९ के बीच कुल १,६४,८१८ अम्बर चर्खे चालू किये गये थे। अनुमान है कि इस अवधि में लगभग १,५०,००० और अम्बर चर्खे चालू किये गये थे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†२३४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह।

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की काटछांट का पंजाब पर भी कुछ असर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विशेष रूप से किन किन परियोजनाओं पर असर पड़ेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). राज्यों की परियोजनाओं को प्रति वर्ष उपलब्ध होने वाले संसाधनों के आधार पर पूरा किया जाता है।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

†२३४२. **श्री पांगरकर:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में भारत की कोयला खानों में कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ख) उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). नवम्बर और दिसम्बर, १९५८ तथा जनवरी, १९५९ में ६३३ दुर्घटनायें हुईं। ५१ व्यक्ति मारे गये और ६१६ घायल हुये।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†२३४३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आये हुये सभी विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसा दिया गया है ;

(ख) १ जनवरी, १९५९ तक उनके पुनर्वास पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को पुनः बसाया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी हां, सिवाय ९४ परिवारों के जो कि दिसम्बर, १९५८ में पश्चिमी बंगाल के कैम्पों से उत्तर प्रदेश भेजे गये थे उन्हें पुनः बसाया जा रहा है ।

(ख) ६५ लाख रुपये ।

(ग) १४६८ परिवारों को ।

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†२३४४. **श्री स० म० बनर्जी**: क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कितनों को बसाया जा चुका है ;

(ग) १ जनवरी, १९५९ तक उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(घ) क्या सभी दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को उनके प्रतिकर की रकम अदा कर दी गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनमें से कितनों को प्रतिकर अदा किया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी, हां, पुनर्वास का काम लगभग पूरा हो गया है ।

(ख) ६,००,२११ विस्थापित व्यक्तियों को ।

(ग) १२,८३,५३,३५९ रुपये ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) ६६,११९ दावेदारों में से केवल ८,२३६ दावेदारों को प्रतिकर अदा किया जाना बाकी है ।

भारत में लोक-नृत्य

२३४५. { **श्री भक्त दर्शन**:
श्री पद्म देव:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "धरती की झंकार" चित्र जो कि भारत के लोक-नृत्यों के आधार पर बनाया जा रहा था, इस बीच तैयार हो चुका है और जनता को दिखाया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). "धरती की झंकार" फिल्म तैयार हो चुकी है। अभी तक भारतवर्ष की कोई भी प्रयोगशाला ईस्टमैन कलर में फिल्मों को नहीं बना सकती थी, इसलिये चित्रों को इंग्लैंड की एक प्रयोगशाला के द्वारा बनवाना पड़ा। उन्होंने अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति दे दी है। आशा है कि शेष प्रतियां जून तक मिल जायेंगी। फिल्म दिखलाने की व्यवस्था की गयी है और आवश्यक प्रतियां मिलते ही सिनेमाओं में दिखलाई जायेगी।

आयात अनुज्ञप्तियां

२३४६. **श्री खुशवक्त रायः**
श्री अ० क० गोपालनः
श्री वारियरः

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन समवायों को ये आयात अनुज्ञप्तियां दी गई थीं, उनका जन्म भारत में हुआ है, अथवा विदेशों में और उनका कार्यक्षेत्र भारत तक ही सीमित है अथवा अन्य देशों में भी फैला हुआ है ; और

(ख) उक्त समवायों के संचालकों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) दोनों ही कम्पनियां अर्थात् मै० फंडको प्राइवेट लि०, और वेकफील्ड पेंटस प्रा० लि०, बम्बई रुपया कम्पनियां हैं और भारत में ही पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हुई हैं। इन कम्पनियों का विदेशों में कारोबार है अथवा नहीं, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) दोनों कम्पनियों के संचालकों के नाम ये हैं :—

मैसर्स फंडको प्रायवेट लि०, बम्बईः

१. श्री याह्याभाई इस्माइलजी, रंगवाला, ४१३, कत्था बाजार, बम्बई ।

२. श्री एरिच वेन्जल, भारत भवन, वालकेश्वर रोड, बम्बई ।

३. श्री बलवन्तराय कल्यान जी पारिख, प्लाट नं० १२, म्युनिस्पिल गार्डन के सामने, सियोन, बम्बई २२ ।

मै० वेकफील्ड पेन्ट्स प्रायवेट, लि०, बम्बई :

१. श्री रवीन्द्र अजीतराय मेहता, अजीत विला, ओविन डन रोड, न्यू गामदेवी, बम्बई-७

२. श्री महेन्द्र लाल, २१८ घोड़बन्दर रोड, अन्धेरी, बम्बई ।

संरक्षित उद्योग

†२३४ { **श्री वें० प० नायर :**
श्री ईश्वर आय्यर:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संरक्षित उद्योगों में से, बहुत से उद्योगों के कार्यों पर टाटा, बिड़ला और डालमिया का नियन्त्रण है ; और

(ख) क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें ऐसे संरक्षण प्राप्त उद्योगों की १९५७ और १९५८ में पूंजी, प्रबन्ध अभिकरण कमीशन, लाभ और हानि का ब्यौरा दिया हो ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) और (ख). भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया है, उनके नाम तो सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। उन कम्पनियों के सन्तुलन पत्र प्रति वर्ष प्रकाशित होते हैं और वे भी सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी विशेष उद्योग के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो वह जानकारी भी दे दी जायेगी ।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

†२३४८. **श्री पाणिग्रही :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ;

(ख) क्या १९५७–५८ में राज्य सरकार के लिये जितनी राशि निर्धारित की गयी थी, उसमें से कुछ कम राशि खर्चे की गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कम ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) १९५९–६० के लिये उड़ीसा राज्य को चौथे वर्ष के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में १३·५० करोड़ रुपये देने का निर्णय किया गया है ।

(ख) और (ग). १९५७–५८ के लिये निर्धारित कुल १८·६६ करोड़ रुपयों की राशि में से १७·२८ करोड़ रुपये वास्तव में खर्च किये गये थे ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२३४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टरों की आवश्यकता है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कितने कितने क्वार्टरों की आवश्यकता है ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने क्वार्टर बनवाये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी हां, दिल्ली, नई दिल्ली में सभी पात्र कर्मचारियों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के आधार पर प्रतिवर्ष इस संबंध में अनुमान लगाया जाता है ।

(ख) 'जनरल पूल' से अपेक्षित क्वार्टरों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

(१) ५०० रुपये प्रतिमास तथा उससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के लिये	४,६०७
(२) ५०० रुपये से कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये (जिसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं)	३६,२६७
(३) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा कर्म भारित कर्मचारी	२५,४५४

(ग) उक्त तीन श्रेणियों के क्वार्टरों में से (१) के लिये १४९, (२) के लिये ६,८१२, और (३) के लिये ३,७०८ यूनिट बनवाये जायेंगे ।

अणु शक्ति संस्थापन, ट्राम्बे, में विदेशी प्रशिक्षणार्थी

†२३५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणु शक्ति संस्थापन, ट्राम्बे, में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) वे किस किस देश से आये हैं ; और

(ग) उन्हें सरकार द्वारा किस किस प्रकार की सुविधा दी गयी है ?

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). अणु शक्ति संस्थापन, ट्राम्बे, में इस समय बर्मा के तीन प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(ग) दो प्रशिक्षणार्थी तो बर्मा सरकार के खर्च पर आये हैं, जबकि तीसरा कोलम्बो योजना के अधीन आया है । तीसरे व्यक्ति के बर्मा और भारत के बीच और भारत के अन्दर आने जाने पर आने वाला खर्च, प्रशिक्षण की अवधि में उसके निर्वाह पर आने वाला खर्च, और उसकी पुस्तकों और चिकित्सा आदि पर आने वाला खर्च हम देंगे ।

पाकिस्तान जाने वाले भारतीय

†२३५१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में भारत सरकार के ध्यान में कोई ऐसे मामले आये थे कि पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस प्रकार के कितने मामले थे ;

(ग) ये किस प्रकार के मामले थे ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गयी थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग) लगभग ३९३ मामलों की रिपोर्टें मिली हैं। ये मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के मामले थे :—

(१) बीसा की अवधि को बढ़ा देने से इनकार करना।

(२) पारपत्र देने में विलम्ब ।

(३) तस्कर व्यापार का आरोप लगाना।

(४) पारपत्र और बीसा का उल्लंघन करने का आरोप लगाना।

(५) सन्देह पर गिरफ्तार करना।

(घ) प्रत्येक मामले के संबंध में पाकिस्तान सरकार से यह कहा गया है कि कठिनाइयों और असुविधाओं को दूर करने के लिये कार्यवाही की जाये।

सहकारी कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजे गये प्रशिक्षणार्थी

†२३५२. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा १९५८ में सहकारी कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये किन्हीं प्रशिक्षणार्थियों को इंग्लैंड भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनमें महिलायें कितनी हैं ; और

(ग) उन्हें किस किस शर्त और नियन्त्रण के अधीन भेजा गया था और उन पर कितना खर्च आया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सिलाई की मशीनें

†२३५३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ और १९५९ में अभी तक सिलाई की कितनी मशीनें यूगोस्लाविया भेजी गयी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक यूगोस्लाविया को ३४०० सिलाई की मशीनें भेजी गयीं थीं। १९५९ में अभी तक एक भी नहीं भेजी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण

†२३५४. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रेंड बांध, देहरादून की यमुना जल विद्युत योजना और झांसी की माताटीला विद्युत परियोजना, के लिये केन्द्रीय सरकार से और अधिक वित्तीय सहायता के लिये निवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५८-६० में उक्त योजनाओं के लिये कितनी कितनी राशि देने का विचार है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निर्यात में वृद्धि

†२३५५. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब से कुछ एक वस्तुओं पर विक्रय-कर हटा दिया गया है, तब से राज्यों से वस्तुओं के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) देश से बाहिर जाने वाली वस्तुओं पर राज्य सरकारों द्वारा विक्रय कर पर कोई छूट नहीं दी जाती।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बालोपयोगी चलचित्र समिति

†२३५६. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालोपयोगी चलचित्र समिति (चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी) द्वारा अभी तक कोई बालोपयोगी चलचित्र तैयार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और किस किस भाषा में ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) जी, हां।

(ख)	(१) रूपक फिल्म	४	(मूल रूप में हिन्दी में। उनमें एक बंगला और एक तामिल में भी तैयार की गयी)
	(२) छोटी फिल्म	३	(मूल रूप में हिन्दी में। उनमें से एक बंगला में भी तैयार की गयी)

†मूल अंग्रेजी में

(३) अन्य के फिल्मों आधार पर तैयार की गई फिल्म	१०	(२ भारतीय फिल्मों से और ८ विदेशी फिल्मों से)

शिक्षित बेरोजगार

†२३५७. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने १९५८ में शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में आंकड़े एकत्रित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में राज्यवार कितने शिक्षित बेरोजगार थे ; और

(ग) उनमें से, राज्यवार, कितने व्यक्ति ग्रेजुएट तथा अण्डर ग्रेजुएट थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हाथ से सीने की सुइयां

†२३५८. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान तथा अन्य विदेशों में भारत में हाथ से सीने की सुइयों का आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में उन के आयात पर कितनी राशि खर्च की गयी थी ; और

(ग) क्या उन्हें भारत में तैयार करने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी, १९५८ से नवम्बर, १९५८ तक २,६२,००० रुपये ।

(ग) "मैसर्स नीडल इंडस्ट्रीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड", केली, नीलगिरि हिल्स ने, जिसकी १२५० लाख सुइयां प्रतिवर्ष तैयार करने की क्षमता है, जनवरी, १९५९ से हाथ से सीने की सुइयों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है ।

वस्त्र प्रौद्योगिकीय संस्था, भिवानी

†२३५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ के भिवानी के प्रतिनिधियों ने यह ज्ञापन भेजा है कि भिवानी की वस्त्र प्रौद्योगिकीय संस्था के मामलों और खातों की जांच की जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क)और(ख) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, परन्तु क्योंकि ये मामले मुख्यतया राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, इसलिये वह अभ्यावेदन राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है ।

चाय उद्योग के लिये छोटी मशीनें

†**२३६०. श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका में चाय तैयार करने के लिये छोटी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) उस मशीन की कीमत कितनी है और उससे प्रति दिन कितनी चाय तैयार हो सकती है ;

(ग) क्या सरकार देश के छोटे चाय बागानों के प्रयोग के लिये उसका आयात करने का विचार रखती है ; और

(घ) क्या सरकार उस मशीन को भारत में बनाने के संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) यह ज्ञात हुआ है कि लंका में इस्तेमाल होने वाली मशीन की उत्पादन क्षमता भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन की क्षमता के बराबर ही है ।

(ग) और (घ) यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय निर्माता अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से इतनी महंगी मशीन खरीदने के लिये तैयार नहीं हैं । यदि चाय बागानों ने रुचि दिखाई तो एक फर्म आयात किये गये पुर्जों से छोटे साइज की मशीनें, जैसे कि रोलर, ड्रायर आदि, बना सकेगी जिससे प्रतिघंटा ३० पौंड चाय तैयार की जा सकेगी ।

बेरोजगारी

२३६१. श्री विभूति मिश्र : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उच्च शिक्षितों तथा साथ ही अशिक्षितों में बेरोजगारी तथा कम-रोजगारी का अन्त करने के लिये कोई योजना बना ली है और तारीख निश्चित कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख) पंचवर्षीय आयोजनों की सभी योजनाओं को इस तरह बनाया गया है जिससे बेरोजगारी और कम-रोजगारी (अन्डर एम्प्लायमेंट)

†मूल अंग्रेजी में

का अन्त हो। प्रश्न में दिये गये सुझाव के अनुसार इस काम के लिये कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकती।

मधुमक्खी-पालन की आस्ट्रेलियन पद्धति

२३६२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का मधुमक्खी-पालन की आस्ट्रेलियन पद्धति को, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो चुकी है, भारत में लोकप्रिय बनाने के लिये कोई ठोस कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मधुमक्खी पालन की आस्ट्रेलियन पद्धति नामक कोई विशेष पद्धति नहीं है। आस्ट्रेलिया में मधुमक्खी पालन की आधुनिक पद्धति अपनायी गई है जिसम लकड़ी के छत्ते और कहीं भी उठाकर रखे जा सकने वाले फ्रेम काम में लाये जाते हैं। यह पद्धति भारत में पहले से ही अपनायी जा चुकी है। अन्तर केवल इतना ही है कि आस्ट्रेलिया के मधुमक्खी पालक यूरोपीय मधुमक्खी (एपिस मैलीफेरा) का प्रयोग करते हैं, जबकि भारत में भारतीय मधुमक्खी (एपिस इंडिका) प्रयोग की जाती है। हालांकि यूरोपीय मधुमक्खियों के छत्तों में अधिक मक्खियां होती हैं और उनमें कमेरी मक्खियां भी अधिक होती हैं जिससे यूरोपीय मधुमक्खी का शहद-उत्पादन भारतीय मधुमक्खी की अपेक्षा अधिक होता है, फिर भी यूरोपीय मधुमक्खी आयात करना वांछनीय नहीं समझा गया है। इन मक्खियों को अक्सर फाउल ब्रूड नामक रोग हो जाता है और वास्तव में भारत में उनका आयात करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। भारतीय मधुमक्खियों की कमियां रानी मधुमक्खी की नस्ल सुधार कर दूर की जा सकती हैं और इस समस्या को हल करने के लिये भारत में गवेषणा कार्य चल रहा है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का विकास कार्यक्रम तथा इस उद्योग के विकास के लिये दी जा रही विभिन्न सुविधाओं और सहायताओं जैसे, वित्तीय, शैल्पिक, बिक्री व्यवस्था, प्रशिक्षण आदि, को इस तरह दिया जा रहा है, जिससे निर्धारित समय में अधिक कुशलता आ सके।

चटाइयों का निर्यात

†२३६३. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल से सीतल पट्टी नामक चटाइयां बर्मा, लंका, सऊदी अरब, इराक और अन्य विदेशों को भेजी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के निर्यात से १९५७ और १९५८ में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). भारत से किये जाने वाले निर्यात के संबंध में आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते। सीतल पट्टी चटाइयों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। परन्तु उन्हें "मैट्स एंड मैटिंग्स आफ वेजीटेबल्स प्लेटिंग मैटीरियल" नामक शीर्षक के अन्तर्गत गिना जाता है। सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १९५७ और १९५८ में किस किस देश को कितना कितना टाट और चटाइयां भेजी गयी थीं। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८**]

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर लोक-निर्माण विभाग

†२३६४. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर लोक-निर्माण विभाग द्वारा रेलवे के द्वारा आदेश (आर्डर) दिये गये सीमेंट पर १०,००० रुपये की रकम स्थान शुल्क के रूप में भरनी पड़ी ; और

(ख) यदि हां तो इस नुकसान का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी, हां ।

(ख) संबंधित पदाधिकारी से जवाब मांगा गया है और उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

सोडियम सल्फेट का उत्पादन

†२३६५. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी गैर-सरकारी सार्थ ने सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया है ;

(ख) क्या देशीय उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रति वर्ष इसकी कितनी मात्रा का आयात किया जाता है; और

(घ) हर वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां । १९५८ में १७,५३६ टन का उत्पादन हुआ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). राज्य व्यापार निगम ने १९५८ में ४००० टन और १९५९ में ५,००० टन का आयात किया जिसका मूल्य भारतीय रुपये में दिया गया । राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये आयात के अतिरिक्त १९५८ में (नवम्बर तक) लगभग २२ लाख रुपये के मूल्य का कुल आयात किया गया ।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति के पारपत्रों का नवीकरण

†२३६६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान में पारपत्रों को नया कराने या नये पारपत्र लेने के लिए अल्पसंख्यक जातियों के कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं; और

(ख) हाल ही में ढाका स्थित भारतीय उप उच्चायुक्त, डा० पी० के० बनर्जी, की पाकिस्तान के केन्द्रीय मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान के साथ हुई वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पाकिस्तान की अल्पसंख्यक जाति के सदस्यों को पारपत्र जारी करने के कार्य से भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) कार्यकारी भारतीय उप उच्चायुक्त, श्री पी० के० बनर्जी, और पाकिस्तान के शिक्षा, सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान, के बीच हुई ऐसी किसी वार्ता का भारत सरकार को ज्ञान नहीं है ।

रेडियो स्टेशन, कटक

†२३६७. **श्री संगण्णा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में कटक के रेडियो स्टेशन में कोई अतिरिक्त सुधार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या; और

(ग) उन पर कितना खर्च किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). जी, हां । स्टेशन की ताकत १ किलोवाट मीडियम वेव से बढ़ा कर २० किलोवाट मीडियम वेव कर दी गयी है ।

(ग) ९,१५,४६३ रुपये (दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक) ।

बम्बई राज्य में 'प्रतिकर पूल' वाले क्वार्टर

†२३६८. **श्री गोरे** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में सरकार द्वारा बनाये गये ऐसे कितने क्वार्टर हैं जो 'प्रतिकर पूल' में आते हैं;

(ख) इन क्वार्टरों में से कितने गैर-दावेदारों के कब्जे में हैं; और

(ग) बम्बई राज्य में सरकार द्वारा बनाये गये कितने क्वार्टरों का मूल्य अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ४२,६३४ ।

(ख) १३,७२१

(ग) ३६,८४८.

विकिरण के खतरों सम्बन्धी गवेषणा

†२३६९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में विकिरण के खतरों सम्बन्धी गवेषणा कर रहे विशेषज्ञों की इन उपपत्तियों की ओर आकर्षित किया गया है कि जनन-ऊति (जेनरेटिव टिशूज़) पर विकिरण का प्रजनन-शक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विकिरण के खतरे को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है और क्या किन्हीं उपायों का पता लगाया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) यह तो निश्चित है कि अयनन विकिरण द्वारा पुनरुत्पादक सेल और जीवाणु सेल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रजनन-शक्ति विकृत हो सकती है या पूर्ण रूप से खत्म हो सकती है। हानि की मात्रा विकिरण के प्रकार और मात्रा और विकिरण के समय पर निर्भर है। विकिरण के खतरे दो प्रकार के हैं (१) बाह्य और (२) आन्तरिक। बाह्य खतरे के सम्बन्ध में विकिरण का प्रभाव शरीर के बाहर होता है और कार्यकारी सेलों के आक्राम्य अंगों पर असर डाल के इसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। आन्तरिक खतरा रेडियो-धर्मी पदार्थों के अन्तर्ग्रहण और श्वास लेने से उत्पन्न होता है।

(ख) विकिरण के खतरे को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

बाह्य :

(१) विकिरण संसाधनों को उचित रूप से संभालना।

(२) रेडियो-धर्मी सामानों से पर्याप्त दूर रहना।

(३) विकिरण वाले क्षेत्र में सीमित समय लगाना।

(४) विकिरण की मात्रा और विकिरण के प्रभावों का पता लगाने के लिये अयनन विकिरण का काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा फिल्म बैज पहनना

आन्तरिक

सुरक्षात्मक कपड़े और दस्ताने पहन कर और रेडियो-धर्मी तत्वों पर कार्य करने में सावधानी बरत कर उचित नियंत्रण द्वारा रेडियो आइसोटोप को शरीर में प्रवेश करने से रोकना ।

विकिरण के विरुद्ध कोई विशिष्ट उपायों का अभा पता नहीं लगा है। तथापि, विकिरण की हानि से बचाव अथवा हुई हानि को दूर करने के लिए तत्वों का पता लगाने के लिए गवेषणा की जा रहा है।

टेपियोका से ग्लूकोज, और मांड़ का निर्माण

†२३७०. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेपियोका से ग्लूकोज़ और मांड़ बनाने को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

लगभग दो वर्ष पूर्व भारत सरकार ने न्यूयार्क की 'मेसर्स कार्न प्रोडक्ट्स रिफ़ाइनिंग कम्पनी' द्वारा मद्रास की 'मेसर्स पेरी एंड कम्पनी की सहकारिता में केरल में टेपियोका मांड़ बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने के लिए भेजी गयी योजना इस शर्त पर मंजूर की थी कि उत्पादन का ७५ प्रतिशत भाग निर्यात किया जायेगा । कम्पनी के मालिकों द्वारा योजना छोड़ दी गयी है ।

केरल राज्य में एक या दो कारखाने टेपियोका से मांड़ पहले ही बना रहे हैं, उदाहरणत: सैलम में बहुत से साबूदाना कारखाने टेपियोका मांड़ भी बनाते हैं जो इसको साबूदाना बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं । मद्रास राज्य के सैलम जिले के आस पास १०० से भी अधिक साबूदाना कारखाने हैं ।

भारत सरकार ने टेपियोका मांड़ से ग्लूकोज़ बनाने को भी प्रोत्साहन दिया है । उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत मेसर्स कमला शुगर मिल्स लिमिटिड, उदुमलपेट, कोयम्बटूर जिले को ग्लूकोज़ पाउडर बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है जो टेपियोका मांड़ को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेंगे और जिनकी क्षमता १३० टन प्रति माह है । इस यूनिट में निकट भविष्य में ही उत्पादन होने लगेगा ।

खानों में दुर्घटनाओं का वर्गीकरण

†२३७१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों में दुर्घटनाओं का 'सांख्यिकीय' और 'असांख्यिकीय'[1] के रूप में वर्गीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह वर्गीकरण किस आधार पर किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि असांख्यिकीय दुर्घटनाओं के ब्यौरे १९५० से प्रकाशित नहीं किये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) १९५० से हर वर्ष में सांख्यिकीय और असांख्यिकीय, पृथक पृथक कुल कितनी दुर्घटनायें हुईं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जो दुर्घटनायें खनन कार्य से सम्बन्धित नहीं होतीं, उन्हें असांख्यिकीय दुर्घटनायें कहा जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) क्योंकि असांख्यिकीय दुर्घटनायें खनन सम्बन्धी दुर्घटनायें नहीं होतीं, अत: यह फैसला किया गया कि उनके बारे में रिपोर्टों में ब्यौरे का प्रकाशन १९५० के बाद बन्द कर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Statistical and 'non-statistical'

(ङ) दुर्घटनाओं की कुल संख्या

वर्ष	सांख्यिकीय	असांख्यिकीय
१९५०	२,२१४	८५
१९५१	२,८४८	१११
१९५२	४,०२८	९८
१९५३	४,४५४	११२
१९५४	४,६१३	११९
१९५५	४,५०२	११०
१९५६	४,४००	१२४
१९५७	३,८४१	१२४
१९५८‡ . . .	४,००४	८५

मद्रास में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग

†२३७२. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में मद्रास राज्य में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों का विकास करने की किसी योजना को मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च किया जायेगा; और

(ग) योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) नवीनतम प्रक्रिया के अनुसार योजनाओं के जारी रखने के लिये केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल नयी योजनाओं के बारे में भारत सराकार की टेक्नीकल स्वीकृति की आवश्यकता है। अभी तक छोटे पैमाने के उद्योगों की एक योजना को टेक्नीकल मंजूरी दी गयी है।

(ख) १९५९–६० के लिये मद्रास की वार्षिक योजना पर विचार करते समय विभिन्न कुटीर और छोटे पमाने के उद्योगों के लिये योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी :—

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	उद्योग	केन्द्रीय सहायता		
		ऋण	अनुदान	कुल
१.	हथकरघा .	२०·००	७२·००	९२·००
२.	छोटे पैमाने के उद्योग	४०·००	७·००	४७·००
३.	औद्योगिक बस्तियां .	१५·००	..	१५·००
४.	हस्तशिल्प . .	२·५०	४·००	६·५०
५.	रेशम कीट पालन	१·००	१·५०	२·५०
६.	नारियल जटा .	०·४४	०·६२	१·०६
	कुल	७८·९४	८५·१२	१६४·०६

†मूल अंग्रेजी में

‡अस्थायी

खादी तथा ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस को किसी भी वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी निधि में से प्रत्यक्ष रूप से आवंटन किया जाता है। १९५९–६० में इन उद्योगों के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने मद्रास राज्य को १०२·६७ लाख रुपये ऋण के रूप में और ५७·६८ लाख रुपये अनुदान के रूप में अस्थायी तौर से आवंटित किये हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिस में १९५९–६० की राज्य विकास योजना में सम्मिलित की जाने वाली वे योजनायें हैं जिन के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९]**

मद्रास राज्य में खादी का उत्पादन

†२३७३. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में मद्रास राज्य में कितनी खादी बनायी गयी; और

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है:

विवरण

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में (जनवरी, १९५९ तक) अम्बर खादी समेत खादी का कुल उत्पादन क्रमशः ७४·०४ लाख वर्ग गज और ५१·१५ लाख वर्ग गज हुआ। बाद के आंकड़े ३१ जनवरी, १९५९ तक विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अपूर्ण रिपोर्टों पर आधारित हैं।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग खादी उद्योग के विकास के लिये वित्तीय सहायता दे रहा है। आयोग ने बुनने का तरीका बताने, सुपरवाइजरों और अन्य टेक्नीकल व्यक्तियों द्वारा टेक्नीकल और संगठन करने की सहायता देने की भी व्यवस्था की है।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

†२३७४. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री वारियर :
श्री तंगामणि :

क्या **पुनर्वास और अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विस्थापित व्यक्तियों के लिये नये मकान बनाये जा रहे हैं जो दिल्ली में शिविरों में रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने मकान बनाये जा रहे हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कोई शिविर नहीं है।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में उद्योग

†२३७५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक केन्द्रीय सरकार ने आसाम में कौन कौन से बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योग प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किये हैं अथवा स्थापित करने के लिये राज्य सरकार को सहायता दी है;

(ख) इन उद्योगों में कुल कितना धन लगाया गया; और

(ग) वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी गई है अथवा अनुदान के रूप में ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिस में उपलब्ध जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ?

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की कर्मशालायें

†२३७६. **श्री ईश्वर अय्यर :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में उन कर्मशालाओं के क्या नाम हैं जो कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं; और

(ख) प्रत्येक कर्मशाला में प्रत्येक वर्ग के पदों पर कितने श्रमिक नियोजित हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१]**

ढिबरी और पेंच[1]

†२३७७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५८ और १९५९ में अब तक (देशवार) कितने मूल्य की ढिबरी और पेंचों का आयात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण संलग्न है जिस में जनवरी से नवम्बर, १९५८ की अवधि के लिये जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२]**

बाकी महीनों के लिये आयात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

केवल उन्हीं विशेष प्रकार की ढिबरियों और पेचों का आयात करने दिया जाता है जो अभी देश में नहीं बनाये जाते। बाकी प्रकार की ढिबरियों और पेंचों पर, जो देश में बनाये जाते हैं, पूर्ण प्रतिबन्ध है।

---

†मूल अंग्रेजीय में

[1]Nuts and Bolts

अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोगों में प्रशिक्षण

†२३७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका और ब्रिटेन के अतिरिक्त विदेशों में (देशवार) उन संस्थाओं के क्या नाम हैं जहां भारतीय विद्यार्थियों को अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोगों में प्रशिक्षित किया जा रहा है; और

(ख) प्रत्येक देश में कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). अणु-शक्ति विभाग ने अमरीका और ब्रिटेन के अतिरिक्त विदेशों में अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोगों में प्रशिक्षण के लिये किसी भी विद्यार्थी को वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

जंगपुरा (दिल्ली) के निकट विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि

†२३७९. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री ९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगपुरा के पीछे की भूमि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा पुनर्वास मंत्रालय को दे दी गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस में क्या कठिनाइयां हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रश्नाधीन भूमि 'प्रतिकर पूल' से सम्बन्धित है; और

(घ) यदि हां, तो इस भूमि का उस प्रयोजन के लिये उपयोग करने के लिये, जिस के लिये वह ली गई है, पुनर्वास मंत्रालय क्या कार्यवाही करेगा ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (घ). भूमि की प्रतिरक्षा योजनाओं के लिये आवश्यकता है और यह पुनर्वास कार्य के लिये उपयोग किये जाने के लिये उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यह नज़ूल भूमि है ।

पाकिस्तान में एक भारतीय को मृत्यु दण्ड

†२३८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस मामले का ब्यौरा प्राप्त हुआ है कि जिस में अमृतसर के एक भारतीय शार्दूल सिंह, को सियालकोट (पाकिस्तान) के एक सैनिक न्यायालय द्वारा मृत्यु-दण्ड दिया गया;

(ख) यदि हां, तो उस मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि अभियुक्त को तब तक फांसी न दी जायेगी जब तक कि भारतीय सरकार को इस मामले का ब्यौरा न बता दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (ग). कराची में भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तान सरकार से फैसले की प्रति और मामले के बारे में पूरे तथ्य मांगे हैं। वे अभी आने हैं। भारतीय उच्चायुक्त की प्रार्थना पर पाकिस्तान सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान सरकार से, केन्द्रीय सरकार से और आदेश प्राप्त होने तक, दण्ड को क्रियान्वित न करने को कहा है।

त्रिपुरा में दथपुर बस्ती

†२३८१. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १६५८ के महीने में त्रिपुरा में जो बाढ़ और चक्रवात आया था, उस के कारण कैला शहर, त्रिपुरा में फटिकराय की दथपुर बस्ती के निवासियों को बहुत अधिक हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो पीड़ितों को रकार ने क्या सहायता दी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). केवल कुछ परिवारों को थोड़ी हानि हुई थी। उन को कुछ निष्कारण सहायता दी गयी थी।

प्रधान मंत्री का सचिवालय

†२३८२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के सचिवालय में विभिन्न ग्रेडों के कितने स्थायी पद हैं;

(ख) प्रत्येक ग्रेड के कितने पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा में आते हैं और कितनों को एक्स-केडर वर्गीकृत किया गया है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को एक्स-केडर पदों पर उच्च स्तर में स्थायी बनाया गया जो मूलत: केन्द्रीय सचिवालय सेवा से सम्बन्धित थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**) : (क) ५४ (इन के अतिरिक्त एक स्टाफ कार ड्राइवर और २१ चतुर्थ श्रेणी के पद हैं जिन के लिये कोई केन्द्रीय सेवा नहीं है)

(ख) विभिन्न केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में सम्मिलित पद	४४
एक्स-केडर पद	१०

(ग) कोई नहीं। (एक्स-केडर पदों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व स्थायीकरण किया गया था। इस परिस्थिति में केन्द्रीय सचिवालय सेवा अथवा केन्द्रीय सचिवालय शीघ्रलिपिक सेवा से सम्बन्धित व्यक्तियों को इन पदों पर स्थायी करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। तथापि, वे सब व्यक्ति जो इन पदों पर स्थायी किये गये थे, केन्द्रीय सचिवालय सेवा अथवा केन्द्रीय सचिवालय शीघ्रलिपिक सेवा में नियुक्त किये जा सकते थे)

---

†मूल अंग्रेजी में

बलूचिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिकर के दावे

†२३८३. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **पुनर्वास और अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सूची-बद्ध चल निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में क्वेटा (बलूचिस्तान) से आये विस्थापित व्यक्तियों ने प्रतिकर के दावे दायर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सम्पत्ति का क्या ब्यौरा है और कितने धन के प्रतिकर के लिये दावे किये गये हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) गैर-सूचीबद्ध चल निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में प्रतिकर के लिये विस्थापित व्यक्तियों से कोई दावे आमंत्रित नहीं किये गये थे । तथापि भारत-पाकिस्तान चल सम्पत्ति करार के अधीन सूचीबद्ध चल सम्पत्ति की अदला बदली के पहले अभि रक्षकों के पास पड़ी चल सम्पत्तियों की सूचियों की अदला-बदली होनी थी । उन चीजों की प्राप्ति के लिये, जो पाकिस्तान से प्राप्त सूची में सम्मिलित नहीं थी, आवेदन करने के लिये निष्क्राम्य स्वामियों को ३१ दिसम्बर, १९५६ तक का समय दिया गया था । प्राप्त आवेदन पत्रों को पाकिस्तान में भारत के कूटनीतिक प्रतिनिधियों को भेज दिया गया था ताकि वे उस देश में सम्बन्धित अधिकारियों से इस विषय पर बात कर सकें ।

(ख) ऐसी सम्पत्ति के पूरे विवरण और सामानों का मूल्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि स्वामियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों में यह नहीं बताया गया है ।

(ग) पाकिस्तान सरकार द्वारा उनकी संपुष्टि करने के विचार से मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जा रहा है । पाकिस्तान में निष्क्रान्तों द्वारा छोड़ी गयी चल सम्पत्ति के लिये प्रतिकर देने के लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि ऐसे दावों का सत्यापन नहीं किया जा सकता ।

सीमा घटना

†२३८४. **श्री पु० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली ६ मार्च को पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों ने गोली चलायी और वे एक घायल भारतीय को पाकिस्तान की सीमा में उठा ले गये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त भारतीय को पाकिस्तान से वापस लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां । ६ मार्च, १९५९ की प्रातः मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर पुलिस स्टेशन के छार राजानगर में अपने खेतों में फसल काटते हुए भारतीय राष्ट्रजनों पर पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों ने कई बार गोली चलाई । बाद में तीन पाकिस्तानी राष्ट्रजन, जिनके पास लाठियां थीं और जिन के पीछे चार पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक चल रहे थे, स्थल पर पहुंच गये और रतिकान्त मण्डल और मक्खन मण्डल, दोनों भारतीयों, पर आक्रमण करके दूसरे को पाकिस्तान उठा ले गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत सरकार ने इस प्रश्न को पाकिस्तान सरकार और पूर्वी पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया। पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने मक्खल मण्डल को वापस करने का वायदा किया है और हम ढाका स्थित अपने उप उच्चायुक्त से उसकी रिहाई के बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

दण्डकारण्य क्षेत्र का विकास

†२३८५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य क्षेत्र के विकास के प्रथम चरण में अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ;

(ख) उनमें से कितनों को पृथक रूप में मार्ग परिवहन संचालन, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, डेरी यूनिटों, ईंटों और टाइलों का निर्माण, भूमि का कृष्यकरण, परियोजना भवनों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ग्रामीण निर्माण कार्यों, सिंचाई कार्यों और बढ़ईगीरी केन्द्रों में रोजगार दिया गया है ;

(ग) क्या किसी व्यक्ति को डाक्टर, हेल्थ असिस्टेंट, शिक्षक, छोटे दुकानदार, मछुए, विभिन्न वर्गों के प्रशासनिक कर्मचारी प्रविधिक और कुशल कर्मचारी नियुक्त किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो व्यवसाय-वार उनकी क्या संख्या है और वे किन राज्यों से भर्ती किये गये हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) २,९२९।

(ख) जानकारी निम्न प्रकार है :

कार्य जिन पर नियोजित किया गया	नियोजित किये गये व्यक्तियों की संख्या
१. मार्ग परिवहन संचालन	९२
२. उपभोक्ता सामान का वितरण	२
३. डेरी यूनिट . .	शून्य
४. ईंटों और टाइलों का निर्माण	२००
५. भूमि का कृष्यकरण .	१००
६. परियोजना भवनों का निर्माण	१,०००
७. सड़कों का निर्माण	शून्य
८. ग्रामीण निर्माण कार्य	शून्य
९. सिंचाई कार्य .	१००
१०. बढ़ईगीरी केन्द्र	४००

(ग) और (घ). अभी तक कोई शिक्षक और मछुए नियुक्त नहीं किये गये हैं और अन्य व्यवसायों में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

१. डाक्टर	४
२. हेल्थ असिस्टेंट	१

†मूल अंग्रेजी में

३. छोटे दुकानदार ३०

४. प्रशासकीय कर्मचारी, प्रविधिज्ञ और कुशल कर्मचारी लगभग १०००

उपरोक्त व्यक्ति विभिन्न राज्यों के हैं ।

गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता के कर्मचारी

†२३८७. **श्री बी० दास गुप्त :**
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री महा गांवकर :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री रा० ब० राउत :
श्री जाधव :
श्री अं० व० धारे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता, के चेयरमैन को विशेष अधिकार दिये गये हैं तब से गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता, के कितने गोदी श्रमिकों पर चार्ज-शीट लगाई गयी, कितनों को मुअत्तिल किया गया और कितनों को अन्य दण्ड दिया गया, और श्रमिकों पर किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) चेयरमैन द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त किये जाने से पूर्व ४ नवम्बर, १९५८ से मार्च, १९५९ के प्रथम सप्ताह तक की अवधि में कितने गोदी श्रमिकों पर चार्ज-शीट लगायी गयी, कितनों को मुअत्तिल किया गया अथवा अन्य प्रकार दण्ड दिया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जांच होने तक, धीमी गति से कार्य करने के लिये कुल मिला कर ९० श्रमिकों पर चार्ज-शीट लगायी गयी और उनको मुअत्तिल किया गया ।

(ख) २१७ इनमें से २८ पर चार्ज-शीट लगायी गयी और जांच होने तक उनको मुअत्तिल किया गया, ८२ पर केवल चार्ज-शीट लगायी गयी और उनको मुअत्तिल नहीं किया गया और बाकी १०७ को अधिकांशतः चेतावनी देकर दण्ड दिया गया ।

विशेषाधिकार प्रश्न के सम्बन्ध में

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैंने इसी महीने की तेइसवीं तारीख को विशेषाधिकार भंग के एक प्रश्न के सम्बन्ध में आपको सूचना दी थी । इसी बीच में, उड़िया भाषा के एक पत्र "दी समाज" के १८-३-५९ के अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ है । समाचार का आशय यह है कि उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने खंड विकास अधिकारियों द्वारा पेश किये जाने वाले झूठे लेखों की आलोचना के उत्तर में कहा था कि विधान सभा और संसद के सदस्य भी अपने लेखों के साथ झूठे वाउचर पेश करते हैं । यह एक बड़ा गम्भीर आरोप है । झूठे लेखे पेश करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं ४२० और ४६३ के अन्तर्गत जालसाजी का मुकदमा चलाया जा सकता है और उनको सात वर्ष तक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

की सजा भी हो सकती है। मुख्य मंत्री यदि किसी संसद सदस्य का नाम लेकर किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते, तो बात दूसरी थी। लेकिन यह आरोप तो सभी संसद-सदस्यों पर है।

मे की पुस्तक "पार्लामेन्टरी प्रैक्टिस" (संसदीय व्यवहार) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा आरोप लगाने से समूची सभा पर लांछन लगता है, उसकी प्रतिष्टा की हानि होती है।

संसद सदस्य लाखों जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनके आचरण पर ऐसा आरोप लगाने से जनता में उनकी प्रतिष्ठा गिरती है। दूसरी चीज़ यह है कि "दी समाज" के सम्वाददाता ने इस समाचार को नमक-मिर्च लगा कर पेश किया है। साथ ही, सम्पादक ने भी इस समाचार को मुख पृष्ठ पर, इस शीर्षक के साथ प्रकाशित किया है "झूठे लेखे कौन पेश नहीं करता ?" इसलिए उन पर भी विशेषाधिकार भंग का आरोप लगाया जा सकता है।

यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद १९४ (२) के अन्तर्गत राज्यों की विधान सभाओं की कार्यवाही को यह संरक्षण दिया गया है कि उसको किसी भी न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता। लेकिन हम उड़ीसा के मुख्य मंत्री के इस आरोप को सभा की विशेषाधिकार समिति को तो सौंप सकते हैं, और सभा उनसे इसकी सफाई मांग सकती है। प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये, जिससे कि इस ढंग से कीचड़ न उछाला जा सके। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहिये और उससे एक निश्चित तिथि तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहना चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : ब्रिटिश संसद के सदस्यों को भी सभी प्रकार की आलोचनाओं से ऐसी उन्मुक्ति नहीं दी गई है। यदि संसद-सदस्यों की बिल्कुल भी कोई आलोचना नहीं होने दी जायेगी, तो लोकतान्त्रिकता कहां रहेगी ? आलोचनाओं से हमें चीज़ें समझने में आसानी होती है, इसलिये जनता को ऐसी आलोचना करने का अधिकार रहना चाहिये।

मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि ऐसे छोटे-छोटे मामलों को विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपना चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं यह मानने को तैयार नहीं कि वह समाचार सही है। यदि वैसा कोई वक्तव्य दिया गया है, तो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसी भी जिम्मेदार आदमी को वैसा वक्तव्य नहीं देना चाहिये। लेकिन उस दशा में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। उसके लिये विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि संसद् और सभी विधान मण्डलों की कार्यवाही को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि एक सभा में कही गई किसी बात के विरुद्ध दूसरी सभा में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। वह बात चाहे छोटी हो, या बड़ी, ग़लत हो या सही, उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिये यदि वैसा कोई वक्तव्य दिया गया है तो मुझे उसका दुःख है। पर उसके लिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस विशेषाधिकार प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने माननीय सदस्य को बता दिया था कि इसका पहला कारण तो यह है कि हमारे पास मुख्य मंत्री के वक्तव्य की मूल प्रति नहीं है। और मान लीजिये वह मूल प्रति हो भी, तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि उससे विशेषाधिकार भंग होता है या नहीं। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। प्रत्येक सभा अपने आप में पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि सभी सभायें इस विशेषाधिकार का गलत ढंग से फायदा नहीं उठायेंगी और एक-दूसरे पर लांछन न लगाने के सिद्धान्त का अनुसरण करेंगी। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य की रिहाई

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे रोहतक के सुपरिन्टैन्डेंट पुलिस से २५ मार्च, १९५९ को यह सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"मुझे आपको सूचित करना है कि लोक-सभा के सदस्य, चौधरी प्रतापसिंह दौलता को जिन्हें गैर-कानूनी सभा में सम्मिलित होने के कारण, १० मार्च १९५९ को दो महीने की कैद और दो सौ रुपये जुर्माना या उसके बदले एक महीने की और अधिक सादी क़ैद की सज़ा दी गई थी, पंजाब सरकार के आदेश से २५ मार्च, १९५९ को दोपहर के १२ बजे रोहतक जिला जेल से रिहा कर दिया गया है।"

माननीय सदस्य सभा में उपस्थित हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

इंडिया स्टोर्स विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों के मामले

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही में इंडिया स्टोर्स विभाग, लन्दन द्वारा जिन मामलों में न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये थे, उन मामलों के विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३१६/५९]**

अचल सम्पत्ति आधग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५११ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३१७/५९]**

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह (भटिंडा)** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की ओर से सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय पर स्वास्थ्य मन्त्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति का चवालीसवां प्रतिवेदन—भाग २ पेश करती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कलकत्ता–बम्बई मेल की दुर्घटना

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"२० मार्च, १९५९ को, दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्टेशन चक्रधरपुर के निकट कलकत्ता-बम्बई मेल की दुर्घटना ।"

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: मैं बड़े दुःख के साथ सभा के सामने २० मार्च, १९५९ की रेलवे दुर्घटना का ब्यौरा रख रहा हूं । वह टक्कर संख्या २ अप हावड़ा-बम्बई मेल के साथ दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर स्टेशन पर हुई थी ।

१९/२० मार्च, १९५९ की रात में लगभग दो बजे संख्या ६६४ डाउन मालगाड़ी रूरकेला की ओर से आकर, चक्रधरपुर स्टेशन के डाउन आउटर सिगनल के पास रुकी थी । वह दक्षिण-पूर्व रेलवे की दोहरी लाइन के सैक्शन पर खड़ी थी और संख्या २ अप मेल के चक्रधरपुर से गुजर जाने का रास्ता देख रही थी । रूरकेला से आने वाली एक दूसरी डाउन मालगाड़ी संख्या ६५६ उसी समय आकर पीछे से टकरा गई । उस टक्कर से संख्या ६५६ डाउन मालगाड़ी के सात डिब्बे पटरी से उतर गये और अप मेन लाइन पर रास्ता रुक गया । उसी बीच में हावड़ा से आने वाली संख्या २ अप हावड़ा-बम्बई मेल भी रात को दो बज कर दस मिनट पर चक्रधरपुर स्टेशन से चली और उसका इंजन संख्या ६५६ डाउन मालगाड़ी के पटरी से उतरे हुए डिब्बों से टकरा गया । उसके परिणामस्वरूप मेल के इंजन के हाल ही बाद लगे हुए दो डिब्बे भी पटरी से उतर गये । उनमें एक तीसरे दर्जे का लगेज और ब्रेकवान था और एक तीसरे दर्जे का यात्री डिब्बा दुर्घटना के फलस्वरूप, संख्या २ अप मेल का ड्राइवर और संख्या६५६ डाउन मालगाड़ी का सहायक ड्राइवर दोनों ही बड़े गम्भीर रूप से जख्मी हुए और उन्हें चक्रधरपुर अस्पताल में भेज दिया गया । १५ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं, जिनमें से ६ यात्री थे, और बाकी रेलवे कर्मचारी । रेलवे कर्मचारियों में मेल का फायरमैन और आगवाला, और संख्या ६५६ मालगाड़ी का गार्ड भी था । उन सभी की चिकित्सा चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में की गई थी और फिर बाद में उन्हें संख्या २ अप मेल के जरिये भेज दिया गया । मेल दस घण्टे लेट हो गई थी। बाद में, संख्या ६५६ डाउन मालगाड़ी के गार्ड को अद्रा के रेलवे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था । २० मार्च, १९५९ को बारह बजे दिन को संचार जारी हो गया था । कलकत्ता के सरकारी रेलवे इंसपैक्टर ने २१ मार्च, १९५९ को चक्रधरपुर में अपनी संविहित जांच प्रारम्भ कर दी थी और २२ मार्च, १९५९ को अपनी जांच समाप्त कर दी थी । अब उसकी रिपोर्ट का इन्तजार है ।

दुर्भाग्य की बात यह है कि संख्या २ अप मेल का ड्राइवर २२ मार्च, १९५९ की शाम को अस्पताल में चल बसा । संख्या ६५६ डाउन मालगाड़ी का सहायक ड्राइवर भी अभी भी चक्रधरपुर के अस्पताल में है और उसकी हालत सुधर रही है। संख्या ६५६ मालगाड़ी के गार्ड की हालत भी अद्रा अस्पताल में सुधरती जा रही है और आशा है तीन दिन में वह अस्पताल छोड़ने लायक हो जायेगा ।

संख्या २ अप मेल के मृत ड्राइवर के परिवार को ५०० रुपये, और मालगाड़ी के सहायक ड्राइवर तथा गार्ड में से प्रत्येक के परिवार को १०० रुपये प्रसादतः अदा किय गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला श्रेणीकरण अधिनियम, १९२५ को निरसित करने और कुछ प्रासंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला श्रेणीकरण अधिनियम, १९२५ को निरसित करने और कुछ प्रासंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें

स्वास्थ्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या ४२, ४३, ४४, ४५ और १२२ पर चर्चा करेगी । जो माननीय सदस्य इन मांगों पर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों, वे उनकी संख्या १५ मिनट के अन्दर सभा पटल पर दे दें ।

वर्ष १९५९–६० के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४२	स्वास्थ्य मन्त्रालय	१२,९२,०००
४३	चिकित्सा सेवायें	६,०७,८३,०००
४४	सार्वजनिक स्वास्थ्य	१५,१५,३२,०००
४५	स्वास्थ्य मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय	८०,६०,०००
१२२	स्वास्थ्य मन्त्रालय का पूंजी व्यय	११,४३,९७,०००

†**श्री द० स० राजू** (राजामुंद्री) : ये मांगें स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करने के लिये अपर्याप्त हैं । अन्य पाश्चात्य देश इन पर कहीं अधिक व्यय करते हैं ।

स्वास्थ्य की समस्या एक बड़ी पेचीदा सी समस्या है । उसे हल करने का दायित्व मंत्रालय, सरकार, जनता, इत्यादि—सभी पर संयुक्त रूप से है ।

मनुष्य अपने परिवार, अपने समाज और अपने समय के पूरे संसार में रहता है । वह अलग से कोई इकाई भर नहीं है । इसलिये संसार में कहीं भी जो कुछ होता है उसका प्रभाव सभी मनुष्यों पर पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द० स० राजू]

मैं मन्त्रालय को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना के लिये बधाई देता हूं। उस परिषद् का काम स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों को नीति विषेयक मंत्रणा देना है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उस परिषद् में अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी रखे जायें। तब सभी मंत्रालय उसमें अपना संयुक्त मिला जुला दायित्व महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य की समस्या खाद्य की समस्या से भी जुड़ी हुई है। हमारा स्वास्थ्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमें कितना और किस किस्म का भोजन मिलता है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम २,००० कैलोरी वाले तत्वों का भोजन मिलना चाहिये, लेकिन देश के प्रति व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में औसत रूप से १,८०० कैलोरी ही रहती हैं। हमारे भोजन में दूध, मांस,अंडों और मछलियों की मात्रा बढ़नी चाहिये। इसीलिये स्वास्थ्य सुधार के काम में उद्योग मंत्री और कृषि मंत्री का सहयोग भी बड़ा जरूरी है।

साथ ही हमारी जनसंख्या भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। इस सदी के अन्त तक वह ८० करोड़ हो जायेगी। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर उचित गंभीरता से विचार कर रहा है? जन संख्या की यह वृद्धि अणुबमों से भी ज्यादा खतरनाक है। यदि सभी देशों में जन संख्या की इतनी ज्यादा बढ़ती होती रही, तो भूमि के चप्पे-चप्पे के लिये युद्ध होने लगेंगे।

दूसरी समस्या यह है कि हमारे देश का शहरीकरण भी बड़ी तेजी से हो रहा है। छोटे-छोटे गांव कस्बे बन गये हैं। बड़े शहर और भी बड़े बन गये हैं। बड़े शहरों में गंदी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। गंदी बस्तियों में सामाजिक और राजनैतिक बगावत के अड्डे बनते हैं। जन संख्या के बहुत अधिक घने बसे होने से, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी से महामारियां फैलती हैं। तभी हमारे देश में तपेदिक की समस्या इतनी गंभीर बन गई है।

इसी प्रकार शिक्षा मंत्रालय को भी स्कूलों में स्वास्थ्य विज्ञान की प्रारम्भिक शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिये। इसमें सभी मंत्रालयों का सहयोग जरूरी है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में काफी सराहनीय कार्य किया है। इन ग्यारह वर्षों में हमारा देश अब अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है।

सफलताओं का मूल्यांकन करने के लिये जरूरी है कि उनकी राह में पड़ने वाली कठिनाइयों को भी समझा जाये। केन्द्रीय सरकार के लगभग साढ़े चार लाख कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ने भी सराहनीय ढंग से प्रगति की है। इस योजना को पूरी तौर से कार्यान्वित किया जाना चाहिये। आशा है कि यह सेवा अन्य राज्यों के लिये आदर्श बन जायेगी।

मलेरिया इत्यादि के नियंत्रण की विभिन्न योजना भी काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। अब केन्द्रीय सरकार मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को मलेरिया निवारक कार्यक्रम बनाने के लिये लगभग ४५ करोड़ रुपये व्यय कर रही है। यदि दो-तीन वर्ष में हमारे देश से मलेरिया का नामो निशान मिटा दिया जाये, तो वह एक महान् सफलता होगी। लेकिन उसमें काफ़ी कठिनाइयां हैं। उस के लिये हजारों जीप गाड़ियां, बहुत सी सामग्री, डी० डी० टी० और स्वास्थ्य निरीक्षकों, इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी और बेशुमार खर्च बढ़ेगा। फिर भी, उसे किया जाना चाहिये।

अभी वह योजना मलेरिया के नियंत्रण की ही है। यदि उसमें मलेरिया के मच्छरों के नियंत्रण की योजना भी शामिल हो सके, तो बहुत अच्छा हो।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : क्या यह सही है कि 'अनोफैल्स' किस्म के मच्छर डी० डी० टी० से भी नहीं मरते ? अब उन्होंने डी० डी० टी० सहन करने की क्षमता भी अपने अन्दर पैदा करली है ?

†**श्री द० स० राजू** : हम और मच्छरों दोनों में होड़ लगी है। देखिये कौन बाजी ले जाता है।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: भारत में अभी किसी भी मच्छर ने डी० डी० टी० सहन करने योग्य क्षमता पैदा नहीं की है।

†**श्री द० स० राजू** : दूसरी समस्या है तपेदिक के नियंत्रण की। देश में ५० लाख व्यक्ति उससे पीड़ित हैं। अनुमान लगाया गया है कि उनकी पर्याप्त चिकित्सा के लिये देश के अस्पतालों में पांच लाख पलंगों और ७,००० क्लिनिकों की आवश्यकता है। उसके लिये ५,००० करोड़ रुपये चाहिये। अब 'स्ट्रेप्टोमाइसीन' इत्यादि एन्टी-बायोटिक औषधियों से तपेदिक की सफल चिकित्सा की जा सकती है।

इसलिये हमें, एन्टी बायोटिक औषधियों के आयात पर आश्रित न रहकर, देश में ही उनका उत्पादन बढ़ाना चाहिये। 'पेनीसिलीन' के उत्पादन में और वृद्धि की जानी चाहिये।

कुष्ठ रोग के उपचार के लिये अब 'सल्फोन' बड़ी अच्छी औषधि निकली है। उसमें मरीजों को अस्पताल में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मरीज़ रोज अस्पताल जाकर एक-दो टिकियां ला सकते हैं।

कुष्ट रोग दो प्रकार का होता है। एक तो 'न्यूरल' और दूसरा चर्म रोग के क़िस्म का। 'सल्फोन' चर्म रोग के कुष्ट में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है।

असल में कुष्ट रोग इतना भयंकर नहीं होता, जितना कि लोग इसे समझते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर भी कुष्ट रोगियों को अलग तो रखना ही चाहिये नहीं तो वह रोग जनता में फैल सकता है।

†**श्री करमरकर** : कुष्ट रोगी के बहुत अधिक सम्पर्क में रहने से ही रोग लग सकता है।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : आधुनिकतम गवेषणाओं से पता चला है कि 'न्यूरल' और लैप्रोमेटोस'—चर्म रोग के ढंग का—कुष्ट, दो अलग-अलग रोग नहीं। बल्कि कुष्ट रोग की ही दो विभिन्न अवस्थायें हैं। बराबर सम्पर्क बना रहने से ही कुष्ट रोग किसी को लग सकता है, एक बार में नहीं।

†**श्री द० स० राजू** : कुष्ट रोगियों को अलग बस्तियों में बसाना चाहिये। उन बस्तियों में उनकी जरूरत की सभी चीजें मिलनी चाहिये। इस दिशा में रामकृष्ण मिशन, कुष्ट निवारक संघ और कई ईसाई संगठन सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। केन्द्र की ओर से इसके लिये आर्थिक सहायता और प्रविधिक जानकारी जुटाई जाती है। मैं समझता हूं कि यही

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द० स० राजू]

व्यवस्था सही हैं। कुछ केन्द्रीय संस्थायें भी हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था देश की एक बड़ी अनुठी संस्था है। हम चाहते हैं कि उसमें संसार भर के प्रमुख विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाये।

हमें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिये। ऐसे कालेजों और अध्यापकों की हमें बड़ी आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इसी पर जोर देना चाहिये।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था को उसी रूप में स्वायत्त निकाय बनाये रखना चाहिये जब कि उसका कोई निश्चित प्रयोजन हो, अन्यथा उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में मिला देना चाहिये।

अब समय आ गया है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह ही, अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा की नींव डालें। उससे अन्तर्राज्यिक सम्बंधों में समरसता पैदा होगी।

हमें इसके साथ ही, इंगलैण्ड के 'रायल कालेज ऑफ सर्जन्स' और 'रायल कालेज आफ फिजीशियन्स' की फेलोशिप जैसी, उच्चतम उपाधियां भी संस्थापित करनी चाहिये। इससे समूचे देश के चिकित्सा मानडण्डों में एकरूपता आयेगी। इसके लिये एक केन्द्रीय अकादमी स्थापित की जानी चाहिये।

हमारे देश में ५४ कालेज ऐसे हैं, जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा एक साथ देते हैं। उनकी डिग्रियां एम० बी० बी० एस० के बराबर ही होती हैं। राज्य सरकारें इन कालेजों को सहायता देती हैं। इन कालेजों से निकलने वाले चिकित्सकों को भी एलोपैथी के स्नातकों जितनी ही सुविधायें दी जानी चाहिये। हमें इस समय सभी प्रकार के चिकित्सकों की आवश्यकता है।

मेरी अपनी निजी भावना यह है अनुसूची 'ज' में उल्लिखित—एन्टीबायोटिक—औषधियों के इस्तेमाल के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये।

हमारे देश में अस्पतालों में पलंगों, डाक्टरों, नर्सों, इत्यादि की बड़ी कमी है। हमने तेजी से प्रगति तो की है, लेकिन अन्य देशों के मुकाबले हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिये हमारे देश में मेडीकल कालेजों के विस्तार का, नये कालेज शुरू करने का, और इस तरह चिकित्सा-विज्ञान की शिक्षा के प्रसार की जी तोड़ कोशिश करनी चाहिये।

अनुमान है कि इस समय देश में १२० चिकित्सा कालेज होने चाहियें। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान काकिनाडा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां की जनता ने लगभग २० लाख रुपये चन्दा करके एक मेडीकल कालेज खोला है और उसे आन्ध्र विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करा लिया है। वह प्रयत्न सराहनीय है।

मैं उसके लिये आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, चिकित्सा सेवाओं के निदेशक मेजर राव, और पांच लाख चन्दा देने वाले श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद को बधाई देता हूं। अन्य राज्यों में भी इसका अनुकरण किया जाना चाहिये।

मेरी भावना यह है कि अभी इस समय हम बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण पर अनावश्यक व्यय कर रहे हैं। उस राशि को हमें सर्वोत्तम अध्यापकों और उपकरणों पर व्यय करना चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री को रामकृष्ण मिशन, और ईसाई मिशनों जैसी संस्थाओं के प्रति अधिक सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिये। वे जनता की बड़ी सेवा कर रहे हैं।

सरकार से मेरा अनुरोध यह है कि देश को अत्यावश्यक औषधियों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिये।

आयात के लिये अनुज्ञप्तियां देने में यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि आयातक चोरबाज़ारी न करें।

सरकार के इन सभी दायित्वों के साथ, नागरिकों का भी स्वास्थ्य के प्रति अपना एक दायित्व है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य विज्ञान के मोटे-मोटे सिद्धान्त जानने का प्रयास करना चाहिये। सरकार की सहायता तभी कारगर हो सकती है।

†**श्री वे० प० नायर** : मैं ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिवेदन को बहुत ध्यान से पढ़ा है और उसकी पिछले वर्ष के प्रतिवेदन से तुलना की है। इससे मुझे असंतोष ही हुआ है, क्योंकि यह प्रतिवेदन नितांत साधारण और प्रेरणारहित है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्वास्थ्य योजनाओं के लिये २१५ करोड़ रुपये दिये गये हैं। लेकिन उनमें से स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के लिये केवल ३ या ४ करोड़ रूपये दिये गये हैं जो नितांत अपर्याप्त हैं।

इसके अतिरिक्त प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में, जिसे अभी हाल पटल पर रखा गया है यह बताया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये जो राशि रखी गई है उसका पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के कार्यों में भी संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। जिससे ज्ञात होता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न विभाग योजना के संबंध में पूरी तरह जागरूक नहीं है। दुख की बात तो यह है कि पहिले तो स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के लिये वैसे ही कम राशि रखी गई है फिर जो राशी रखी गयी है उनका भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः इनका दोष राज्य सरकारों के ऊपर डालना उचित नहीं है।

प्रतिवेदन को पढ़ने से दो बातें स्पष्ट रूप से ज्ञात होती हैं पहिली बात तो यह है कि सरकार की चिकित्सा के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं है। दूसरी यह कि स्वास्थ्य मंत्रालय संविधान के उपबंधों का सहारा लेकर यह बात बताना चाहता है कि विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य प्रशासन पर केन्द्र का कोई दायित्व नहीं है। यह बात गलत है। वस्तुतः केन्द्रीय सरकार देश के सामान्य स्वास्थ्य के लिये उत्तरदायी है।

यदि हम स्वास्थ्य संबंधी नीति पर विचार करें तो यह ज्ञात होगा कि कुल २१६ करोड़ रुपयों में से २१० करोड़ रुपये डाक्टरी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिये दिये गये हैं। यह पद्धति इतनी महंगी है या उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि इतना व्यय करने के उपरांत भी उससे १० प्रतिशत से अधिक लोग लाभ नहीं उठा सकते हैं। हमारी समस्त जनता अन्य प्रणालियों यथा आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी पर निर्भर रहती है। तथापि हम डाक्टरी चिकित्सा प्रणाली को इतनी अधिक राशि इस कारण दे रहे हैं क्यों कि अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ते समय यही प्रणाली हमें विरासत के रूप में ही दी है और हम उन्हीं के द्वारा अपनाये मार्ग पर चल रहे हैं। और हम एलौपैथी के सामने समस्त चिकित्सा प्रणालियों की उपेक्षा कर रहे हैं। तथापि हमारे उच्चाधिकारियों आयुर्वेद इत्यादि में मौखिक सहानुभूति दिखाने से नहीं चूकते हैं। लेकिन उसके लिये कोई ठोस कार्य नहीं किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वे० प० नायर]

अभी हाल गजट में एक अधिसूचना छपी है जिसको समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया है । समझ में नहीं आता कि नगरों से दूर रहने वाले डाक्टरों को इसकी सूचना किस प्रकार उपलब्ध हो सकेंगी। इस अधिसूचना में औषधि नियमों पर कुछ संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बुनियादी तौर पर आयुर्वेद की शिक्षा ली है लेकिन जिन्हें आधुनिक डाक्टरी चिकित्सा की भी कुछ बातें पढ़ाई गई है वे लोग अब फीनो बारबीटोन, स्ट्रेप्टोमाइसीन एन्टीवायोटिक्स इत्यादि औषधियों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे । मेरे विचार से यह पूर्णतः अनुचित है । जब एक पुराना डाक्टर जिसने १९२०–२५ में एल० एम० पी० डिग्री ली है और जिसे सल्फा तथा बारबीटोन औषधियों के संबंध में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई है वह उनका प्रयोग कर सकता है तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे संयुक्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इनके प्रयोग की विधिवत् शिक्षा दी गई है इनका प्रयोग क्यों नहीं कर सकता है । मेरे विचार से उक्त प्रतिबन्ध अनुचित है । वस्तुतः इस अधिसूचना का निर्वचन कई तरीके से किया जा सकता है । दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के महा-निर्देशक ने इसके आधार पर जो पत्र भेजे हैं वे स्वयं परस्पर विरोधी है । तथापि यदि इसका तात्पर्य यह हो जैसा कि मैं बता चुका हूं तो इससे तीन लाख डाक्टरों पर असर पड़ेगा और उनमें से ६०,००० ऐसे व्यक्ति हैं जो उक्त प्रकार के स्कूलों से शिक्षा पाये हुए हैं । यदि वे सभी डाक्टर आधुनिक दवाइयों का प्रयोग करने से वंचित कर दिये जायेंगे तो इससे राष्ट्र के स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुंचेगी ?

जहां तक एलोपैथी प्रणाली का संबंध है वह बहुत मंहगी है । भारत की सामान्य जनता डाक्टरों को फीस नहीं दे सकती है उदाहरणार्थ दिल्ली में किसी गैर सरकारी डाक्टर की फीस ३२ रुपये है और एपेंडिसाइटिस के मामूली आपरेशन के लिये १०० रुपये लिये जाते हैं इसकी अपेक्षा होमियोपैथी बहुत सस्ती पद्धति है और अपने प्रारम्भ के ११५ वर्ष बाद भी यह आज जीवित है । इतना ही नहीं उसके अनुयायियों की संख्या एलोपैथी के अनुयाइयों से भी अधिक है। इसी से इसकी प्रभाव क्षमता प्रगट हो जाती है । होमियोपैथी की एक खुराक दवाई का मूल्य एक या दो आने से अधिक नहीं होता है । जब कि डाक्टरी इलाज में एक मामूली मिक्श्चर के लिये आपको १२ आने देने होते हैं । इस प्रकार हम डाक्टरी चिकित्सा प्रणाली में यद्यपि इतना रुपया खर्च कर रहे हैं तथापि उससे १० प्रतिशत जनता को भी लाभ नहीं प्राप्त होता है ।

चीन में स्थिति ठीक इसके विपरीत है । वहां के अस्पतालों में डाक्टरों के साथ वहां की परम्परागत चिकित्सा के जानकार भी बैठते हैं और यदि संभव हुआ तो एक होमियोपैथ भी बैठता है । और जब कोई रोगी आता है तो यदि वे यह सोचते हैं कि यह रोग पारम्परिक औषधियों की चिकित्सा से ही दूर हो जायेगा तो उसकी चिकित्सा उसी प्रणाली से की जाती है अन्यथा उसका डाक्टरी इलाज किया जाता है । तात्पर्य यह है कि वहां स्वदेशी पद्धति को भी समान महत्व दिया जाता है । भारत में हम अन्य प्रणालियों को, उनकी उपयोगिता सस्ते तथा प्रभावशीलता के बावजूद भी वह स्थान नहीं दे रहे हैं जो उन्हें दिया जाना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के प्रतिवेदन से कई बातें ज्ञात होती हैं । मैं उन्हें विस्तार से न लेकर केवल इस बात पर आता हूं कि ऐसी संस्था को अज्ञात नामधारी व्यक्तियों के चन्दा स्वीकार नहीं करने चाहिये विशेषतः जब कि वह राशि ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो कर अपवंचन करता हो । ऐसी राशियां तभी स्वीकृत की जानी चाहिये जब कि वे आयकर अदायगी का प्रमाणपत्र

दिखायें। अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था को दो वाताकूलित करने वाले संयंत्रों (यूनिटों) की आवश्यकता है वह उसे तत्काल दिये जाने चाहिये।

अब मैं आपत्तिजनक विज्ञापनों को लेता हूं। समाचारपत्रों में आये दिन वनस्पति की घी के विज्ञापन निकलते रहते हैं। जिनमें लिखा रहता है कि अमुक मात्रा में वनस्पति को पुष्टिकारक बनाने के लिये उसमें विटामिन 'ए' और 'डी' मिलाया जाता है। वस्तुतः यह बात भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंककर उनका पैसा खसोटने की गरज से की जाती है। मैं आपको सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के मतों के प्रमाण इस बात की पुष्टि में दे सकता हूं कि विटामिन ए या डी तलते समय नष्ट हो जाते हैं। तब क्यों विटामीन मिलाकर राष्ट्रीय धन को नष्ट किया जाता है। और इस प्रकार जनता को धोका दिया जाता है।

अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर देश की स्वास्थ्य संबंधी नीति में परिवर्तन करें और अन्य चिकित्सा पद्धतियों तथा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध इत्यादि के विकास तथा उनमें अनुसंधान के लिये संस्थायें खोलने पर विचार करे।

श्री मु० हि० रहमान (अमरोहा) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर सहाब, मुझे याद है कि आज़ादी से पहले बार-बार कांग्रेस रेज़ोलूशंस में इस बात को दुहराया गया कि आज़ादी के ज़माने में ज्यादा से ज्यादा घरेलू तरीक़ये इलाज यूनानी और आर्युवैदिक को तरजीह दी जायगी और उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जायगी। लेकिन मैं कुछ ताज्जुब और हैरत से इस बात को देखता हूं कि आज़ादी के बाद इस हाउस में जब कभी भी हैल्थ मिनिस्ट्री की डिमांडस पेश होती है, डिबेट होती है उस वक्त पार्लियामेंट के बहुत से मेम्बर्स बार-बार शिकायत करते हैं और तवज्जह दिलाते हैं कि अब कांग्रेस गवर्नमेंट है उसको इस वजह से भी कि अपने रेज़ोलूशंस् में है और उसने पब्लिक के सामने कहा है और इस वजह से भी कि वतन और देश में जो अपनी घरेलू चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि वाक़ई पब्लिक को जनता को फ़ायदा पहुंचता है उनको ज्यादा से ज्यादा तरक्क़ी देनी चाहिये।

तिब में डाक्टरी में इलाज के मामले में भी आयुर्वेदिक इलाज और यूनानी इलाज दोनों के दोनों हमेशा ही से कामयाब साबित हुए हैं और हमारी नज़रों में यह इलाज रच पच गया है कि ज्यादा से ज्यादा हमें मुफ़ीद पड़ता है। यह ठीक है कि दुनिया साईंस के रास्ते से जितनी भी तरक्क़ी कर रही है उससे हमें ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठाना चाहिये। एलौपैथिक इलाज ने भी जो तरक्की की है उसका तकाज़ा है कि अपने देश में और वतन में और चीज़ों के साथ-साथ उसको भी हम अपनायें और ज्यादा से ज्यादा उसका आयदा उठाये लेकिन इसके यह माने तो नहीं होने चाहिये कि हम अपन तरीक़ये इलाज को इतना एग्नोर करें नज़र अंदाज़ करे कि यह महसूस हो कि बजाय इसके कि उसका हौसला बढ़ाया जाय, हौसला अफ़ज़ाई की जाती, उसकी और हौसलाशिकनी की जाती है और ज्यादा से ज्यादा ऐसी पाबन्दियां, ऐसी शर्तें और इस क़िस्म के हमारे सामने क़वानीन आते हैं जिनसे कि आयुर्वेदिक और यूनानी इलाज पिछड़ते जा रहे हैं और वह सहायता और वह मदद भी उनको मिलनी चाहिये। आज अपने वतन और देश में उनको वह मदद नही मिल रही है। यह सही है कि कुछ आंकड़े और कुछ ऐदाद-ोशुमार ब्यान करके यह कहा जा सकता है कि यूनानी को और आयुर्वेदिक को हर साल इतनी ज्यादा से ज्यादा तरक्क़ी हम दे रहे हैं। इस हैसियत से कि उनको इमदाद दी जा रही है या मुख्तलिफ़ जगह ऐसे कालिजेज़ भी खोले गये हैं लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरीक़े से इलाज़ को आज साइंटिफ़िक तरीक़े का इलाज़ समझ कर एलौपैथिक को तरक्क़ी दी जा रही है उसके मुक़ाबले में कुछ ऐसा ज़हन बन गया है जहां तक मैं समझता हूं ज़िम्मेदार हज़रात का कि वह शायद इन दोनों तरीक़ये इलाज़ को साइंटिफ़िक इलाज़ नहीं समझते हालांकि आयुर्वेदिक इलाज़ की भी एक साइंस है। यूनानी की भी

[श्री मु० हि० रहमान]

एक साइंस है और वह अपनी जगह इतनी मज़बूत है और इतनी ज्यादा रीज़नेबुल और मुद्दतल हैं कि उसके लिए कोई शख्स यह नहीं कह सकता कि यह कोई अताई इलाज़ है, सलोतरी इलाज़ की तरह यह कोई छूमंतर का इलाज़ नहीं है कि बग़ैर किसी साइंस के हो । यूनानी और आयुर्वेदिक की भी एक अपनी साइंस है और बेहतरीन साइंस है । और उसका फ़ायदा भी आज हमारी निगाहों के सामने है । बेशक यह सही है कि जहां तक सर्जरी का ताल्लुक़ है एलौपथिक ने बहुत तरक्क़ी की है और आज हम उस पर बहस करें तो एक बेकार सी बात होगी कि हमारे यहां भी सर्जरी की क्या कैफ़ियत थी वैदिक में और यूनानी में । हम मान लेते हैं कि आज वह चीज़ मौजूद नहीं है और फिर सर्जरी ने जितनी भी तरक्क़ी की है उससे हम फ़ायदा उठायें । लेकिन जहां तक फ़िज़िक्स का ताल्लुक़ है जहां तक दूसरे क़िस्म के तरीक़ये इलाज़ का ताल्लुक़ है उसमें मैं कह सकता हूं कि दिल, जिगर और इस क़िस्म के नाजुक अमराज़ में जितना ज्यादा यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज़ मुफ़ीद साबित होता है उतना एलौपथिक नहीं । कैलेंज के तौर पर जब कभी इन में मुक़ाबिला भी होता है तो एलौपथिक इलाज़ इतना मुफ़ीद साबित नहीं होता है । यह बात आज भी मानी जा सकती है और गुज़िश्ता ज़माने में जब कभी इस पर बहस हुई है तो उस मुक़ाबिले में यूनानी और आयुर्वेदिक की जीत हुई है । डा० इक़बाल मरहूम के इलाज़ का सवाल था, लाला लाजपतराय मरहूम के इलाज़ का सवाल था । हक़ीम अजमल खां मरहूम का वह ज़माना और वह दौर जब कि वह यूरोप गये थे और डा० अंसारी उस ज़माने में वहीं मुक़ीम थे और उन्हीं के बयान के मुताबिक़ जो उन्होंने हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ़ मुक़ामात में और पबलिक मीटिंग्स में भी कहा कि एक ऐसा इलाज़ जिसमें कि बड़े बड़े डाक्टर वहां हैरत में रह गये क्योंकि वह यह समझते थे कि इस मरीज को फोड़े में बग़ैर नाजुक आपरेशन किये कभी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, उस मरीज़ को जब हकीम अजमल खां के इम्तिहान और आज़मायश के लिए उनके हवाले किया गया तो एक हफ्ते के अन्दर उन्होंने उन दवाओं के ज़रिए से जो आयुर्वेदिक और यूनानी में होती हैं उनके ज़रिए उस फोड़े का बेहतरीन तरीक़े से कामयाबी के साथ इलाज़ किया । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जो यह बात एक ज़हन में बना ली गई है कि शायद आयुर्वेदिक और यूनानी के पीछे कोई साइंस नहीं है, तो यह बात ठीक नहीं है अलबत्ता यह ज़रूर है कि एलौपथिक की साइंस जुदा है, आयुर्वेदिक की जुदा है और यूनानी की साइंस जुदा है । आयुर्वेदिक और यूनानी भी साइंटिफ़िक इलाज़ है और बेहतर इलाज़ है । कुछ बदनामी उनकी अगर हुई है तो वह दुकानदारों की वजह से हुई है । दवाओं के मामलात की वजह से हुई है । हुकूमत की तरफ़ से कोई ख़ास उनकी निगरानी और हौसला अफ़ज़ाई अंग्रेज़ों के दौर में नहीं होती थी और एलौपथिक को अंग्रेज़ी दौर ज्यादा से ज्यादा फ़रोग़ दे रहा था और इस बिना पर दवाओं के मामले में पिछड़ जाने का नतीजा यह हुआ कि उसका तरीक़ये इलाज़ पर भी असर पड़ा । युनानी और आयुर्वेदिक तरीक़ये इलाज़ बेहतर है और एलौपथिक इलाज़ के मुक़ाबले में यह हिन्दुस्तानियों के मिजाज़ के ज्यादा मुनासिब है लेकिन इस बदनामी की बदौलत एलौपैथिक इलाज़ बेहतर ख़याल किया जाने लगा । ज़िम्मेदार हज़रात इस बात को महसूस करते हैं कि उन्नाब और सपिस्तां आज अच्छी नहीं मिलती है । अब अगर कोई दवा ठीक और सही नहीं मिलती है तो इसका यह मतलब तो नहीं हो जाता कि वह तरीक़ये इलाज़ ही अच्छा नहीं है । आज अगर हमें बाज़ार में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां अच्छी और ठीक-ठीक नहीं मिलती हैं तो उसके लिए मुनासिब इंतज़ाम किया जाय ताकि वे मिल सकें लेकिन इसके यह मानें तो नहीं हैं कि उस तरीक़ये इलाज़ को ही बिलकुल पस्त कर दिया जाय, उसकी हौसला अफ़ज़ाई न की जाय और उसको तरक्क़ी देने के रास्ते बंद कर दिये जांय ।

मैं समझता हूं कि यह चीज मैं अपने इस हाउस के पूरे दौर में देख रहा हूं कि बार-बार मेम्बरान पार्लियामेंट कहते हैं और जो हमारे पिछले हेल्थ मिनिस्टर साहबान रहे हैं उन्होंने ज़बानी ज़रूर

कहा, मोहब्बत और प्रेम के अल्फ़ाज़ में यह कहा है और जवाब दिया है कि यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज़ की हम ज्यादा से ज्यादा तरक्क़ी करना चाहते हैं लेकिन अमली तौर पर जब भी देखा हमें यही महसूस हुआ कि आयुर्वेदिक और यूनानी को बढ़ावा न देकर उनको पीछे धकेला जाता है और एग्नोर किया जाता है और एलौपथिक की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफ़ज़ाई की जाती है ।

आज होम्योपैथिक इलाज ने एलौपैथिक इलाज़ को बहुत से मामलात में डिफ़ीट दी है और आज उसका इलाज सबसे बेहतर तरीक़े का इलाज इसलिए भी समझा जाता है कि उससे नुक़सान पहुंचने का अंदेशा नहीं होता अगर फ़ायदा भी नहीं होता है । लेकिन एलौपथिक इलाज में चन्द इलाज इस क़िस्म के हैं कि अगर उसका रिएक्शन और रद्देअमल होता है तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है । इसलिए आज हम देखते हैं कि क्यों यह बात है कि एलौपथिक से हम इतने मर ऊब हो गये हैं कि अपने तरीक़ये इलाज को पीछे रखें और उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई मौक़ा न दें ।

इस वक्त तो और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ कि पिछले ज़माने तक तो जो भी इसकी सूरत थी वह तो थी ही लेकिन अब जो रूल्स बनाये जा रहे हैं और जिन को कि रायआम्मा हासिल करने के लिए शाया भी किया गया है उनमें वह डेफ़नीशन जो कि एक रजिस्टर्ड मडिकल प्रैक्टिशनर की हो सकती थी और जिसमें कि अब तक वैदक और यूनानी तबीब सभी शामिल थे अब इस की रू से वे भी खारिज कर दिये जायेंगे और उनकी भी वह तबीब की हैसियत नहीं रहेगी जो कि एक एलौपेथिक डाक्टर को हासिल थी । आज हम डेफ़नीशन में इतना बड़ा चेंज करें और वह तमाम रिआयतें जो कि एक एम० बी० बी० एस० डाक्टर को हासिल हैं जैसे कि वह सर्टिफिकेट दे सकता है और मुख्तलिफ़ मामलात के अन्दर दखल दे सकता है लेकिन यह चेंज हो जाने से एक वैद्य जो कि रजिस्टर्ड है और एक यूनानी हकीम जो कि रजिस्टर्ड है और जो कि गवर्नमेंट के रेकगनाइज्ड कालिजेज में तालीम पा चुका है उसको वह रिआयतें हासिल न हों और उनको डेफ़नीशन से निकाल दिया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आई ।

यह सही है कि आज जो सदन एम० बी० बी० एस० मिलती है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलती है और आयुर्वेदिक और यूनानी के लिए सनद देने का काम आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को सुपुर्द कर रखा है, वह बोर्ड बनाती हैं और बोर्ड के ज़रिये उनको सनद मिलती है । लेकिन ये दोनों होती गवर्नमेंट के अंडर हैं । कोई फर्क नहीं है दोनों में । आप चाहें तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आफ इंडिया की शर्त लगा सकते हैं । लेकिन यह कि जो सनदयाफ्ता आयुर्वेदिक के बेहतर से बेहतर वैद्य हैं और जो सनदयाफ्ता यूनानी अच्छे से अच्छे तबीब हैं उनको न सिर्फ एम० बी० बी० एस० डाक्टर से ज्यादा रियायात या मराआत नहीं दी जातीं बल्कि उनको उनके बराबर भी न रहने दिया जाये तो इससे उनकी बेहद होसलाशिकनी होगी । मैं मिनिस्टर साहब से बाअदब अर्ज करूंगा कि वह इस तरफ तवज्जह दें, आपकी कबिनेट के जिम्मेदार हजरात और प्राइम मिनिस्टर साहब सभी इस तरफ तवज्जह दें और सिर्फ जबानी तौर पर कह कर ही आयुर्वेदिक और यूनानी को खुश करने की कोशिश न करें बल्कि कुछ चीज अमली तौर पर भी सामने आवे । अगर चीजें अमली तौर पर सामने नहीं आतीं तो हमारा होसला पस्त हो जाता है ।

मैं कोई डाक्टर या तबीब नहीं हूं, लेकिन जो तरीकेकार इलाज का है उससे वाकिफ हूं । मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि इंजेक्शन का इलाज कुछ मर्जों के लिए तो बेशक काफी कामयाब साबित हुआ है, लेकिन हमारी आंखें देखती हैं कि इंजेक्शन के मामले में एम० बी० बी० एस० डाक्टर बड़ी बेअतियाती बरतते हैं जिसस सेंकड़ों हजारों आदमियों को नुकसान पहुंचता है और मौत भी वाकई हो जाती है । पिछले जमाने में टाइम्स आफ इंडिया में किसी रिसाले से लेकर एक शख्स ने जो कि पैनिसिलिन का मूजिद था यह लिखा था कि पैनिसिलिन को एक खास गरज के लिए तैयार किया

[श्री मु० हि० रहमान]

गया है लेकिन अफसोस है कि हमारे डाक्टर किसी भी मरीज को पैनिसिलिन का इंजेक्शन दे देते हैं हालांकि बहुत से मामलों में उससे फायदे के बजाये नुकसान हुआ है । यह चीजें हम ने अपनी आंखों से देखी हुई हैं । बहुत से आदमी जिनका मर्ज बहुत नाजुक नहीं होता है, डाक्टर साहिबान की बेअहतियाती से मौत के शिकार हो जाते हैं । इसलिए अगर आयुर्वेद के वैद्य या यूनानी तबीब से यह कहा जा सकता है कि उनका तरीका इलाज मुअस्सर नहीं है तो यह चीज ऐलौपैथिक डाक्टर के मुताल्लिक भी कही जा सकती है । जब किसी चीज़ की कसरत हो जाती है तो उस में वह ताकत नहीं रहती, वह कैफियत नहीं रहती । हमारी अरबी में एक मसल मशहूर है कि जिसमें मिकदार ज्यादा हो जाती है उसकी कैफियत में कमी हो जाती है । एक जमाना था जब बहुत ऊंची हैसियत समझी जाती थी एक एम० बी० बी० एस० डाक्टर की लेकिन आज जिस तरह से आयुर्वेदिक और यूनानी तबीब पर अंगुश्तनुमाई की जा सकती है, उसी तरह से ऐलौपैथिक डाक्टर पर भी अंगुश्तनुमाई की जा सकती है कि इस मामले में कि उन का तरीका इलाज गलत है । इसलिए मैं समझता हूं कि यह चीज़ बहुत ज्यादा काबिले तवज्जह है और हमारे मिनिस्टर साहब इसके ऊपर अपने जमाने में एसे तरीके इख्तियार करेंगे कि जिससे कि जो ऐलौपथी के तरीकाते इलाज हैं उनसे भी हम अपने वतन में फायदा उठायें, वहां यूनानी और आयुर्वेदिक तरीका इलाज से भी पूरा फायदा हासिल करें । हम तंग नजर नहीं हैं कि जो चीज़ बाहर से आयी है उससे नफरत करने लगें । लेकिन जो घरेलू तरीका इलाज है उसकी भी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए कम से कम उस इलाज के करने वाले ऐलौपैथी के डाक्टरों के बराबर तो बैठ सकें ।

इसी के साथ-साथ जब आप डेफीनीशन बदल रहे हैं तो कुदरती तौर पर आप ने कुछ दवाओं पर भी पाबन्दी लगायी है । अनकरीबन कोई १९० ऐसी दवायें हैं जनको अब आजादाना तौर से इस्तैमाल करने का हक यूनानी तबीबों और आयुर्वेदिक वैद्यों को नहीं होगा जैसा कि ऐलौपैथिक डाक्टरों को हासिल है । यह सिर्फ इसलिए पाबन्दी की है कि एक के पास एम० बी० बी० एस० की सनद है चाहे वह डाक्टरी से उतना अहल है या नहीं जितने कि यूनानी और आयुर्वेदिक तबीब और वैद्य । सर्फ इसी वजह से पाबन्दी और लाइसेंस की शर्त लगायी जाती है । दुकानदारों के साथ यह शर्त हो सकती है, लेकिन वैद्य या तबीब के साथ यह शर्त मुनासिब नहीं है ।

मैं कोई डाक्टर की हैसियत से इस मामले में लम्बी चौड़ी बहस नहीं कर सकता लेकिन पूरी कुव्वत के साथ और बाअदब गुजारिश करना चाहता हूं मिनिस्टर साहब की खिदमत में कि अमली तौर पर हमें साफ नजर आये कि आप हमारे घरेलू इलाज यूनानी और आयुर्वेदिक को ऐलौपैथी से कम नहीं रखना चाहते और उन के साथ ऐसी पाबन्दियां न लगायें जिनकी वजह से उनका हौसला पस्त हो । मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब मेरी इस दरख्वास्त पर तवज्जह देंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिटी स्पीकर साहब, मिनिस्ट्री आफ हैल्थ (स्वास्थ्य मंत्रालय) ने जो समरी भेजी है उसका मैं ने बहुत अहतियात के साथ मुताला किया और मैं यह देख रहा हूं कि हमारी मिनिस्ट्री आफ हैल्थ बहुत से इंस्टीट्यूट्स का इन्तिजाम करती है, इसने बहुत से कारहाये नुमायां किये हैं और कितनी ही चीजों में मिनिस्ट्री आफ हैल्थ ने ऐसे शानदार काम किये हैं कि उनके वास्ते सिवा तारीफ के हमारे पास और अल्फाज नहीं हैं ।

चुनांचे मिनिस्ट्री आफ हैल्थ का एक काम है नेशनल वाटर सप्लाई और सैनीटेशन प्रोग्राम जिसका जिक्र सुफा २१ पर है । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि मिनिस्ट्री आफ हैल्थ का यह काम खास तौर पर सराहने के काबिल है । चुनांचे इसमें पाया जाता है कि ४० करोड़ रुपया सैंकिंड

फाइव इअर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में लोगों को पीने के पानी की सहूलियत बहम पहुंचाने के वास्ते रखा गया था और इस मर्तबा भी इसके लिए प्रावीजन किया गया है । इसी तरह से २५ करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एप्राप्रियेट किया गया है । मुझे खुशी है कि इस जरूरी मामले की तरफ हमारी मिनिस्ट्री आफ हैल्थ की तवज्जह है । लेकिन मैं अदब से आपको खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जब से मैं इस पार्लियामेंट में आया हूं, ११ बरस से बराबर एक मामले की तरफ इस मिनिस्ट्री की और पंजाब की मिनिस्ट्री की तवज्जह दिलाता आ रहा हूं । ये भिवानी तहसील के १६ गांव हैं जिनको नेचर ने भी पानी से एंडाऊ नहीं किया है । जमीन खोदने पर हजारों फुट नीचे तक भी पानी नहीं निकलता । इस के बारे में मैं ने बहुत दफा पंजाब सरकार को भी लिखा, दरख्वास्तें भी दीं और गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी बहुत दफा कहा, लेकिन न मालूम जब कि इस काम के लिए इतना रुपया रखा जाता है तो उन १६ गांवों की तरफ पंजाब गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की तवज्जह क्यों नहीं जाती । ये १६ गांव भिवानी तहसील में ऐसे हैं कि वहां बहुत खोदने पर जो पानी निकलता है वह खारा होता है और उसको पीकर जानवर तक बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं । इन गांवों में लोगों को पानी की बड़ी सख्त तकलीफ है । मैं मिनिस्टर साहब से अदब से गुजारिश करूंगा कि वह अपने जरिये या पंजाब गवर्नमेंट के जरिये इन गांवों की इस तकलीफ को रफा करने की कोशिश करें । हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई । मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके इस तरफ तवज्जह दें ताकि जो वहां खराब हालत है वह दुरुस्त हो जाये । भाखरा डैम का पानी अभी इन गांवों में नहीं पहुंचा है । देश के अन्दर पानी की सबसे पहले जरूरत पीने के लिए है, पीछे किसी और काम के लिए । जब तक इन गांवों के रहने वालों की यह पीने के पानी की तकलीफ दूर नहीं होती वह यह महसूस नहीं कर सकते कि वे आजाद हिन्दुस्तान के वाशिन्दे हैं । उनकी तकलीफ का कोई ठिकाना नहीं है । उनको आठ-आठ दस-दस कोस से पीने का पानी लाना पड़ता है और सुबह से शाम तक इसी में बीत जाता है । जब मैं ने स्कीम को देखा तो मुझे खयाल हुआ कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाऊं कि वह इस बारे में थोड़ा सा काम करें ।

जहां इस मिनिस्ट्री के ज़िम्मे लाइफ़ देने का काम है, पानी मुहैया करने का काम है, वहां उस के पास एक तरह से लाइफ़ थ्राटल करने का भी काम है । वह काम निहायत ज़रूरी है और उस के बिना सारी मिनिस्ट्रीज़ बन्द हो जायेंगी । फूड मिनिस्ट्री शिकायत करती है कि हम फूड का इन्तज़ाम कैसे करें, आबादी बढ़ रही है । एम्प्लायमेंट की मिनिस्ट्री कहती है कि हम लोगों को एम्पलायमेंट (रोजगार) कैसे दें, आबादी बढ़ रही है । यह काम करमरकर साहब को दिया गया है कि वह आबादी को कम करें । आबादी को बढ़ाना तो आसान है, लेकिन उस को कम करना मुश्किल है । मैं इस सिलसिले में कई बार एक छोटे से आपरेशन का ज़िक्र कर चुका हूं । उस के बारे सब डाक्टरों को मालूम है और वे रोज़ उस पर तवज्जह दिलाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है । वह आपरेशन पांच मिनट में हो जाता है । लाखों मरद वह आपरेशन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस का कोई इन्तज़ाम नहीं है । अगर उस का माकूल इन्तज़ाम हो जाय, तो बड़ी आसानी हो जाये । पिछली दफ़ा मैं ने अर्ज़ किया था कि जहां इस रिपोर्ट में यह ज़िक्र किया जाता है कि इतने फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स खोले गये और इतना काम किया गया, वहां उस में यह भी ज़िक्र होना चाहिए कि इतने आदमियों का यह आपरेशन किया गया, जिस से वे आइन्दा बच्चे पैदा न कर सकें । मैं अपनी उस दरख्वास्त को फिर दोहराना चाहता हूं कि एचीवमेंट का एक खाना होना चाहिए कि इतने आदमियों का आपरेशन किया गया, ताकि हम को पता चल जाये कि इस तरफ़ इतनी तरक्की की गई है ।

अब मैं एक पर्सनल मामले का ज़िक्र करना चाहता हूं । मैं सैंट्रल कैन्सर इन्स्टीच्यूट, बम्बई ो और सरकार को जो कि उस का इन्तज़ाम चलाती हैं, ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूं । जहां तक मेरा

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ताल्लुक है, वहां मुझे निहायत मेहरबानी के साथ, निहायत शराफ़त के साथ और निहायत तवज्जह के साथ देखा गया । इस में हमारे सैंट्रल मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट की मेहरबानी थी । मुझे खुशी है कि मैं कह सकता कि वहां के इलाज से मुझे ही फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैं ने देखा कि वहा पर दर-अस्ल बीमारों का इलाज निहायत अच्छी तरह से और तवज्जह के साथ किया जाता है ।

मैं चाहता था कि मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब को एक और बात के बारे में मुबारकबाद दूं, लेकिन मुझे अफ़सोस है कि मैं ऐसा करने के काबिल नहीं हूं । मैं जनाब की तवज्जह इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि १९४८ में हमारी कैबिनट ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया जिसका सारांश यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का आधार वर्तमान आधुनिक चिकित्सा रहेगी तथापि आयुर्वेद और यूनानी पद्धति में अनुसंधान की सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी जिससे उन पद्धतियों का विकास होगा और अंतत: चिकित्सा की एक प्रणाली विकसित हो जायगी । मुझे अफ़सोस है कि इस रेज़ोल्यूशन के पीछे जो स्पिरिट है, उस के जो अलफ़ाज़ हैं, उन से मुझे सख्त इख्तिलाफ़ है । १९४८ में सिचुएशन कुछ और थी । उस वक्त इतना भारी राज्य एक दम हम को मिला और इतने मामलात हमारे सामने आये कि हम कुछ नहीं कर सकते थे और इस में जो लिखा है कि वर्तमान आधुनिक चिकित्सा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का आधार माना जायेगा, हम ने उस को जारी रखा । उस वक्त मजबूरी थी । लेकिन बाद में यह फ़ैसला करना ज़रूरी था कि आयुर्वेद, युनानी, होम्योपैथी और ऐलोपैथी वगैरह सब को बराबरी का दर्जा दिया जायेगा और सब हस्पतालों को यकसां समझा जायगा । लेकिन मुझे अफ़सोस है कि ग्यारह बरसों के बाद भी पुरानी पालिसी को चेंज नहीं किया गया है । इस सिलसिले में हिन्दुस्तान में जो ब्राड फैक्टर्स हैं, वे इतने ज़बर्दस्त हैं कि अगर गवर्नमेंट ज़रा भी रेसपांसिव हो, तो उस को इसे चेंज कर देना चाहिए । हमारे दोस्त श्री वी० पी० नायर ने फ़रमाया कि हमारे देश में नब्बे फ़ीसदी लोग यूनानी और आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कराते हैं । मुझे वह ज़माना नज़र नहीं आता है, जब कि ऐलोपैथिक सिस्टम नैशनल हैल्थ सर्विस का काम कर सकेगा और इस देश के बीमारों का इलाज कर सकेगा, जब मैं देखता हूं कि ऐलोपैथिक तरीका-ए-इलाज इतना महंगा है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ऐलोपैथी के खिलाफ़ नहीं हूं । मैं खुद उस का इलाज कराता हूं और मेरे पढ़े-लिखे दोस्त उस का इलाज कराते हैं । मैं समझता हूं की जहां तक उस सिस्टम (पद्धति) से फ़ायदा पहुंचता है, वहां तक उस को मानने में कोई हर्ज़ नहीं है । लेकिन मेरी शिकायत तो यह है कि आयुर्वेदिक, युनानी और होम्योपैथिक सिस्टम्ज़ को न सिर्फ़ खैरवाद किया गया है और उन की तरफ़ तवज्जह नहीं दी गई है, बल्कि उन को ऐसी पोज़ीशन में रेलीगेट कर दिया गया है, जहां से वे उठ न सकें ।

१९३७ में लेजिस्लेटिव असेम्बली ने होम्योपैथी को रेकगनीशन (मान्यता) दी और इस हाउस ने इस सिलसिले में रेज़ोल्यूशन पास किया । १९४८ में फिर रेज़ोल्यूशन पास किया गया । चोपड़ा कमेटी बिठाई गई । इस में ज़िक्र है कि चोपड़ा कमेटी की सब बातों को गवर्नमेंट ने माना और युनानी और होम्योपैथिक सिस्टम को साइंटिफ़िक सिस्टम माना, लेकिन अमल में जो कार्यवाही होती है, वह इतनी निकम्मी है कि जो भी अल्फ़ाज़ उस के लिए इस्तेमाल किये जायें, वे थोड़े हैं । पहले पहल तो यह किया गया कि ऐलोपैथी को युनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के सिर पर बिठाया गया । जो भी कौंसिल या कमेटी बनाई गई, उस में ऐलोपैथी डाक्टर को सब से ऊंचा दर्जा दिया गया, ताकि वह वहां पर अपनी मनमानी कर सके । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस देश में करोड़ों रुपये की मेडीसन्ज़ बाहर से आती हैं । कुछ यहां भी बनती हैं । और इस तरह मेडीसन्ज़ बनाने वालों के वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स हो गये हैं । जो मेडिसन्ज़ इस देश में इम्पोर्ट की जाती हैं, उन की कालोसल (अत्याधिक) फ़िगर्ज़ हैं ।

खाने पीने की चीजों का आयात उन के मुकाबले में अल्स हैं और मुकाबले में नहीं ठहर सकती हैं। करोड़ों अरबों रुपये मेडिसन्ज़ के लिए दूसरे देशों को भेजे गये हैं। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उस ने फ़र्स्ट फ़ाइव यीअर प्लान में सिर्फ़ पंद्रह लाख रुपये जामनगर के इंस्टीच्यूट के लिये खर्च किय, जो कि एक किस्म का शो-पीस बना हुआ है। उस के सिवा आयुर्वेद और युनानी सिस्टम को कुछ नहीं दिया गया। फ़र्स्ट फ़ाइव यीअर प्लान में होम्योपैथी को एक पैसा भी नहीं दिया गया। सैकंड फ़ाइव यीअर प्लान में २१८ करोड़ रुपए में से एक करोड़ रुपया इनडिजिनस मेडिसन्ज़ और होम्योपैथी के लिए रखा गया और उस में ५·५२३ करोड़ रुपए स्टेट्स में रखे गए। यह कहा जाता है कि हैल्थ एक स्टेट सबजेक्ट है, इस में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया क्या करे? लेकिन चाहे एनिमल हसबैंड्री हो और चाहे मेडिसन्ज़ हों, जो कुछ सैन्टर करता है, उस के मुताबिक ही स्टेट्स में सारी प्रगति होती है। अगर सेन्टर में कोई चीज़ इग्नोर की जाती है, तो कोई भी स्टेट इस काबिल नहीं है कि वह सैन्टर की पालिसी के खिलाफ़ कुछ कर सकें। होम्योपैथी के बारे में मुझे ज्यादा इन्फ़र्मेशन है। १९४९ में उस के मुतालिक एक इन्क्वायरी कमेटी बनाई गई, जिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की। १९५० में स्टेट मिनिस्टर्ज़ की जो कांफरेंस हुई, उसने उसको रेकगनीशन दिया। उसमें कहा गया था कि होम्योपैथी के कालिज बनाए जायेंग और होम्योपैथिक कौंसिल बनाई जायेगी। आज तक होम्योपैथी की कोई कौंसिल नहीं बनाई गई है। उस के बाद एक एडवाइज़री कमेटी, एक एडहाक कमेटी बनाई गई। उस एडवाइज़री कमेटी के छः मेम्बर हैं, लेकिन उस के चेयरमैन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं। उस का बड़ा आफ़िसर एक एलोपैथिक डाक्टर है। एडवाइज़री कमेटी में मैजारिटी से जो रीकमेंडेशन पास हो, तो वह गवर्नमेंट पर काबिले-पाबन्दी होती होगी, लेकिन उस ने जो कुछ युनेनिमसली पास किया है, उस पर भी कुछ अमल नहीं किया गया है। यह कहा गया था कि कलकत्ता में एक फ़र्स्ट क्लास कालेज खोलेंग और वहां २०० बैड्स का हस्पताल बनेगा। कालेज वहां पहले से मौजूद है। डेढ़ लाख रुपया खर्च हो गया। रुपया तो खर्च हो गया लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वह सारे का सारा वेस्ट हो गया। सैंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट रुपया दे तो हम आगे रुपया देंगे और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि यह हमारी कमिटमेंट नहीं है और गवर्नमेंट आफ इंडिया की कमिटमेंट है। इस झगड़े में वह अस्पताल वहां का वहां पड़ा हुआ है। अस्पताल को चलाने वालों ने कहा कि २५ परसेंट हम देते हैं और ७५ परसेंट सरकार दे। यह भी सरकार नहीं देती है और अस्पताल यों का यों ही पड़ा हुआ है। उसकी ऐसी हालत है कि देखकर शर्म महसूस होती है।

प्लानिंग कमिशन ने फार्मोकोपिया होम्योपैथी के लिए ५०,००० रुपया मंजूर किया था लेकिन कई बरस के बाद दिसम्बर १९५८ में जवाब दे दिया गया कि वहां कोई फार्मोकोपिया बनाने के वास्ते कमेटी मुकर्रर नहीं की जाएगी, हालांकि प्लानिंग कमिशन ने, सरकार ने, काउंसिल ने तथा एडवाइज़री बाडी ने कहा था कि यह बनाई जाय। एक बात क्या बताऊं, कई इस तरह की बातें हैं। दो लाख रुपया आंध्र में गुडीवाडा में एक अस्पताल को सरकार ने देने का वादा किया था, वह भी नहीं दिया गया। इस तरह ३७ लाख रुपया जो कि होम्योपैथी के लिए रखा गया था, उसमें से केवल चार लाख रुपाया ही उसके लिए खर्च हुआ है। सौ लाख रुपया जो कि आयुर्वेदिक इंडिजिनस सिस्टम (स्वदेशी पद्धति) वगैरह के लिए रखा गया था उसमें से केवल ३२ लाख रुपया ही मंजूर हुआ है।

अगर आप यह कहते हैं कि इंटेग्रेशन हो, तो यह गैरमुम्किन है इन साइंसिस में। आयुर्वेदी अपना अलग से स्थान रखती है। वह भी एक साइंटिफिक सिस्टम है और हजारों बरस से यहां

पंडित ठाकूर दास भार्गव]]

पर चालू है और उसने टैस्ट आफ टाइम को स्टैंड किया है। करोड़ों आदमियों का इससे इलाज होता है और लोगों को यह बहुत सूट करता है, उनकी तबीयत के अनुसार है। हर एक घर में इसकी मैडिसिन का खजाना आप पायेंगे। बूढ़ी औरतें दवाइयां दे देती हैं। जब कभी कोई एपिडैमिक होता है तो प्याज़ बांध करके घर के बाहर लगा दिया जाता है या काफूर दे दिया जाता है। इस तरह के इलाज प्रिवेंटिव (निरोधक) भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। इस वास्ते यह कहना कि यह साइंटिफिक नहीं है, गलत है और इस बात को कहने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। यह भी कोई नहीं कह सकता है कि होम्योपैथी साइंटिफिक सिस्टम नहीं है या युनानी साइंटिफिक सिस्टम्स नहीं है। इन सिस्टमस का विदेशी राज के बाद से डिवेलेपमेंट बन्द हो गया। जरूरत इस बात की है कि स्वराज्य मिलने के बाद से आयुर्वेदी में नए सिरे से जान डालने की कोशिश की जाती, उसको मौका दिया जाता कि वह डिवेलेप हो। आप एलोपैथी को इस कद्र डिवेलेप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो दूसरे सिस्टम हैं और जिन का ग्रोथ बन्द हो गया है, उनको बढ़ावा दें, उनको डिवेलेप करें। मैं चाहता हूं कि आप बहुत से कालिज और हस्पताल इस सिस्टम के बजाय एक हस्पताल बनायें, इसकी रिसर्च करायें और उसके बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सिस्टम्स अनसाइंटिफिक हैं तो आपको अख्तयार है कि आप इनका कुछ भी करें। मैंने पिछली बार चाइना की मिसाल दी थी। चाइना के अन्दर ट्रेडिशनल सिस्टम आफ मैडिसन मौजूद हैं और सभी डाक्टर मौजूद होते हैं, एलोपैथी के, और दूसरे और सब को हुक्म है कि मिल कर काम करे। एक अस्पताल मैंने मद्रास में १९२८ में देखा था जिसमें जो मरीज़ आता था उसको देखने के लिए वैद्य भी मोजूद होता था, यूनानी तबीब भी, डाक्टर भी मौजूद होता था और एलोपैथी का डाक्टर भी मौजूद होता था और तीनों को मौका दिया जाता था कि बीमार का इलाज करे और किस से इलाज करवाना वह मरीज़ चाहता था यह उसपर छोड़ दिया जाता था। अगर ये ऐसे सिस्टम होते कि जो बराबर नहीं चल सकते थे और तब आप कहते कि हम इनको डिस-कार्ड करते हैं, तो मुझे कोई रंज नहीं होता। जितनी भी आप आयुर्वेदी की तालीम देते हैं उस में लड़के के जहन (दिमाग़) पर और टीचर के जहन पर यही बिठाते हैं कि जो एलोपैथी सिस्टम है यह ज्यादा अच्छा है। यह गलत बात है। मैं श्री मुरारजी देसाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बम्बई में शुद्ध आयुर्वेदी की तालीम देना शुरू किया। मुझे पता नहीं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन (प्रतिक्रिया) है लेकिन वहा पर शुद्ध आयुर्वेदी की तालीम देना जारी हुआ है। डा० सम्पूर्णानन्द ने थोड़ा अर्सा हुआ कहा है, और इंटेग्रेशन (एकीकरण) की तारीफ कुछ की थी, कि यह थिन वीयर है दोनों को न एलोपैथी है न आयुर्वेदी है, और यह गैर मुम्किन है कि ठीक इस तरह इन्टीग्रेशन हो सके। यह कैसे मुम्किन है कि एलोपैथी जिस के उसूल और हैं और आयुर्वेदी जिस के उसूल और ही हैं, इनका इंटेग्रेशन हो। यह नामुमकिन है। नतीजा यह हुआ कि एलोपैथी के फार्मोकोपिया (औषधिकोष) में कुछ दवाइयों की ज्यादती इसमें कर दी गई है। मुझे इसमें कोई आबजैक्शन (आपत्ति) नहीं है कि किसी भी सिस्टम आफ मैडिसिन के अन्दर चन्द दवाइयों का लाना या लेना जारी हो। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो दवाई होती है उसका एक खास असर पेशेंट पर होता है, उसका अगर लिहाज़ न रखा गया तो वह दवाई फायदा देने के बजाय नुक्सान दे सकती है। हिन्दुस्तान के अन्दर एलोपैथी के तरीके को देख कर मुझे यह कहना पड़ता है कि मुझे डर है कि बहुत अर्से तक, सैंकड़ों बरस तक यह सिस्टम इतना पापुलर नहीं होगा जितना कि आप चाहते हैं कि यह पापुलर हो।

आजकल क्या होता है। जब कोई बीमार जाता है तो पहले तो उसका पेशाब टैस्ट किया जाता है जिसके लिये उसको १०—२० रुपये देने होते हैं। फिर खून टैस्ट किया जाता है सौ रुपये में।

फिर पांच दस रुपये में पाखाना टैस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद उसका यूरिया देखते हैं और कितनी ही इस तरह की दूसरी बातें हैं कि पेशतर इसके कि उसका इलाज शुरू हो, आधा तो उसको पहले ही खत्म कर दिया जाता है, कितना ही रुपया इस तरह से उसको खर्च करना पड़ जाता है। फिर दिल्ली के डाक्टरों को एक और मर्ज है। वे आते हैं और पांच सात पेटेंट दवाइयां लिख जाते हैं जिस पर २०-३० रुपये खर्च हो जाते हैं। जब नैक्स्ट विज़िट होती है तो पहली मैडिसिस को फिकवा दिया जाता है और दूसरी दवाइयां लिख दी जाती है जिन पर इसी तरह से खर्च होता है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस तरह की चीज़ को कौन स्टैंड कर सकता है। इस वास्ते हमारी तबीयत के मुताबिक, हमारी जीनियस के मुताबिक जो सिस्टम है, उसको आप ईमानदारी के साथ इस देश में चलायें।

पहले जो मिनिस्टर थे वे अपने ट्रैम्प्रामेंट से, अपनी ब्रिंगिंग से जरूर ऐसे थे जो एलोपैथी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते थे, उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। जब हमने आल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाई, उस वक्त बहुत ज़ोर से कहा कि तीनों सिस्टम आफ मैडिसिन का उसमें दखल हो, तीनों का रिसर्च करायें। लेकिन आज तक जितना भी रुपया खर्च हुआ है वह सारे का सारा एलोपैथी के लिये खर्च हुआ है और दूसरी सिस्टम की जो चीज़ें हैं, उनकी तरफ कभी किसी ने देखा भी नहीं है। हमें उम्मीद थी कि श्री करमरकर साहब जो पक्के कांग्रेसी और देश हित को देखने वाले हैं इस चीज़ को लेंगे, इसकी तरफ़ ज्यादा तवज्जह देंगे लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जितने लंका से आते हैं वे सभी ५२ गज़ के। क्योंकि गवर्नमेंट की जो पालिसी है उसका चलान फर्ज है वह खुद गलत है और उसकी वजह से किसी की इस तरफ़ तवज्जह नहीं होती है।

मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कालेज आपने आयुर्वेद व होमियोपैथी के लिये खोले हैं और उनके साथ कितने अस्पताल खोले हैं? कालेजों के साथ अस्पतालों की बात मैं इसलिये करता हूं कि बिना कालेजों के साथ साथ अस्पतालों के खुलने के रिसर्च गैर-मुमकिन है। कालेजों का इनके बगैर कोई फायदा ही नहीं है। आप अब तक रिसर्च नहीं करवा सकते हैं जब तक उन कालेजों के लिये आप साधन पैदा न करें। आप लिप सिम्पथी दिखाते रहें, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। एलोपैथी के अन्दर जितनी तरक्की हुई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी कोई शिकायत नहीं है लेकिन हम यह देखना नहीं चाहते हैं कि हमारे जितने ओल्ड सिस्टम हैं, जो हज़ारों वर्ष से और आज भी लाखों करोड़ों आदमियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको नज़र अंदाज़ कर दिया जाये। रिपोर्ट को पढ़ने पर मैं पाता हूं कि इसमें एक पैरा दिया हुआ है सारी रिपोर्ट में और उसमें भी कोई खास ज्यादा इनफार्मेशन नहीं है और केवल इतना कहा गया है कि हमने ३२ लाख रुपया सौ लाख में से दूसरे प्लान में खर्च किया है। इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। आपने जो ड्यूटीज़ इस मिनिस्ट्री की हैं, उनको लिखा है और शुरू शुरू में कहा है कि हमारे फंकशन क्या हैं। मैं चाहता हूं कि उनमें आप इस फंकशन को भी बढ़ा दें कि आयुर्वेदी और यूनानी और होम्योपैथी, इन सभी को बढ़ावा देना, इनके वास्ते कालेज खोलना, अस्पताल खोलना और इनकी तरक्की करना आपके फंकशंस में से एक है। आपने कहा है कि हमारा फंकशन प्रोमोशन आफ रिसर्च है, जिसको मैं बिल्कुल बेमानी समझता हूं। आप साफ तौर पर लिखें ताकि आपको हर वक्त याद रहे कि इन सिस्टम के बारे में हमारे ये ये फर्ज़ हैं। मैं चाहता हूं कि सन १९४८ का जो रेज़ोल्यूशन है, उसको चेंज कर दिया जाये और नए सिरे से इसको लिखें। अगर आप कोई राय लेना चाहते हैं तो राय आपको स्टेटस में लेनी होगी, उन लोगों की राय लेनी होगी जो कि कई मिलों में आस पास अस्पताल नहीं देखते हैं, उनकी शक्ल नहीं देखते हैं। आप यह कह कर कि यह स्टेट्स की ज़िम्मेवारी है, यह एक ट्रांसफर्ड सब्जैक्ट (हस्तांतरित

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

विषय) है और वही इसको कर सकती हैं छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिसपांसिबिलिटी (दायित्व) सारे देश की हैल्थ की है और इसको तभी आप डिसचार्ज कर सकते हैं जब आप पुराने सिस्टम को नए सिरे से फरोग़ दें, इनमें फिर से जान डालें और जो आप समझते हैं कि ये पीछे रह गये हैं, इनको आगे लायें, और जब तक आप ये सब काम नहीं करते हैं, तब तक आपका फ़र्ज़ पूरा नहीं हो सकता है।

†**श्री गोरे** (पूना) : मेरे मित्र श्री नायर ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि स्वास्थ्य के संबंध में हमारी कोई नीति है भी या नहीं ? मेरे विचार से स्वास्थ्य ही नहीं और भी कई विषय ऐसे हैं जिन के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं है जैसे शिक्षा, श्रम, भाषा आदि। हम कहते तो यह हैं कि देशी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये परन्तु वास्तव में करते उस के विपरीत हैं। हाल में १२ जनवरी, १६५६ को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति निकाली थी जिस के अनुसार जिन लोगों के पास एम० बी० बी० एस० की डिग्री नहीं है वे एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

†**श्री करमरकर** : मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि वह विज्ञप्ति लोकमत जानने के लिए जारी की गई है, अभी वह अंतिम निर्णय नहीं है।

†**श्री गोरे** : परन्तु लोगों को उस की शंका उत्पन्न हो गई है।

इस प्रकार की विज्ञप्ति की आवश्यकता क्या थी ? यदि देशी प्रणाली के डाक्टरों को एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग करने से रोका जाता है तो ऐलौपैथिक डाक्टरों को भी देशी दवाइयों का प्रयोग करने से रोका जाना चाहिये। यह तर्क उचित नहीं है कि देशी प्रणाली के डाक्टरों एलोपैथिक औषधियों का ज्ञान नहीं रखते क्योंकि एलोपैथिक डाक्टरों को भी उन का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता वरन् वैसे ही वे उन का प्रयोग करते रहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है इस प्रकार के आदेश को प्रभावी नहीं होने देना चाहिये। या तो उस को वापस ले लिया जाय या उस में संशोधन किया जाये।

जहां तक देशी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने का प्रश्न है मुझे संदेह है कि हमारी सरकार वैसा उचित समझती है। ऊपर से कहा कुछ भी जाये पर वास्तव में सरकार देशी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती।

सुना है चीन में देशी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह बात ठीक हो या नहीं परन्तु यह सत्य है कि ६० प्रतिशत लोग देशी चिकित्सा प्रणालियों पर निर्भर रहते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा तो इतनी मंहगी है कि साधारण आय के व्यक्ति उस का व्यय वहन नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि देशी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिये वास्तविक प्रयत्न किये जाने चाहियें। परन्तु यदि सरकार यह समझती है कि यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रणालियां वैज्ञानिक नहीं है तो उसे उन के संबंध में अन्तिम नर्णय कर लेना चाहिये और लोगों को स्पष्ट बता दिया जाना चाहिये कि इन प्रणालियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया कि होम्योपैथिक प्रणाली के संबंध में अनेक निर्णय किये गये पर वे क्रियान्वित नहीं किये गये। इस सभा ने १६४८ में उसे मान्यता देने की सिफारिश का संकल्प पारित किया था। फिर १६४८ में होम्योपैथिक जांच समिति ने उसे वैज्ञानिक घोषित किया और एक केन्द्रीय बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। पता नहीं इन सिफारिशों का क्या हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भार्गव ने कलकत्ता के एक होम्योपैथिक कालिज की बात सुनाई कि किस प्रकार उसे पहले तो १।। लाख रुपये का अनुदान दिया गया और बाद में वह घपले में पड़ गया । परिणामस्वरूप उस संस्था की स्थिति बड़ी डांवाडोल हो गई है । न राज्य सरकार सहायता करती है और न केन्द्रीय सरकार इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इन देशी प्रणालियों के संबंध में स्पष्ट नीति की घोषणा करें ।

जहां तक जनसंख्या को बढ़ने से रोकने का प्रश्न है श्री भार्गव को छोड़ कर अन्य किसी ने उस विषय पर कुछ नहीं कहा । यह भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है । खेद है कि प्रतिवेदन में भी उस के संबंध में विस्तृत प्रकाश नहीं डाला गया है । भारत में प्रति दिन २०,००० बच्चे पैदा होते हैं । जब यह स्थिति है तो इस की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस ओर ध्यान देना आवश्यक है ।

यह कहा जाता है कि रहन सहन का स्तर ऊंचा उठने पर जन संख्या की वृद्धि कम हो जायेगी । परन्तु हमारे रहन सहन का स्तर कब तक ऊंचा हो सकेगा । इस के अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिकों ने इस मत का खण्डन भी किया है । जापान, फ्रान्स व ब्रिटेन का रहन सहन का स्तर हमारे देश से ऊंचा है फिर भी वहां जन संख्या पर नियंत्रण रखने के लिये अन्याय्य कदम उठाये जाते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इस समस्या पर बहुत व्यय करना चाहिये ।

हाल में परिवार नियोजन के संबंध में कि विश्व सम्मेलन दिल्ली में हुआ था । परन्तु खेद है कि हमारे देश में परिवार नियोजन के सिद्धान्त को अमल में तनिक भी नहीं लाया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में उस के प्रचार की बहुत आवश्यकता है । इस के लिये रेडियो का सहारा लेना चाहिये । यह विचार ठीक नहीं है कि जनसाधारण परिवार नियोजन को ठीक नहीं समझता । मेरा भी मजदूर वर्गों से कुछ सम्पर्क है और मेरा अनुभव है कि वे इस के लिये बहुत उत्सुक हैं ।

जहां तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों का प्रश्न है, इस के संबंध में कार्य की जो गति है वह बहुत निराशाजनक है । प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष भर में राजस्थान में ८ व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और पंजाब में १० व्यक्तियों ने । इस से स्पष्ट है इस संबंध में गंभीरता से काम नहीं किया जा रहा है । केवल दिखाने के लिये जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है, उस का अनुसरण नहीं ।

जहां तक वन्ध्याकरण का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि वह कानून रद्द कर दिया जाना चाहिये जिस में औरत के साथ पति की अनुमति की आवश्यकता का उपबन्ध है । केवल स्त्री की अनुमति ही पर्याप्त समझी जानी चाहिये क्योंकि सन्तानोत्पत्ति का कष्ट तो उसे ही उठाना पड़ता है ।

इस के संबंध में मेरा एक सुझाव यह भी है कि चलते फिरते दल रखे जायें जो गावों में घूम घूम कर आपरेशन कार्य करें । केवल अचल केन्द्र काफी नहीं है । इस संबंध में मेरा यह भी विचार है कि जो राज्य अच्छा कार्य कर रहे हों उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । यदि कोई राज्य इस के लिये सहायता चाहता है तो उस को वैसी सहायता दी जानी चाहिये । जो राज्य इस को पसन्द करते न हों उन पर शक्ति खराब करने से कोई लाभ नहीं ।

अन्त में मेरा यह सुझाव है कि जन संख्या नियंत्रण को केन्द्रीय विषय माना जाना चाहिये और उस का कार्य पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिये । स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिये ।

†**डा० सुशीला नायर**: मेरा विचार है कि आयुर्वेद के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उस में देशभक्ति की भावना अधिक है, वैज्ञानिक चिन्तन कम । ऐसा मालूम होता है कि जो लोग आयुर्वेद की बात करते हैं यह समझते हैं कि वह जैसा पुराने समय से चला आ रहा है वही ठीक है यह ठीक नहीं है । हमें गवेषणा की आवश्यकता का अनुभव करना चाहिये । यह कार्य ऐसा है जो सरकार स्वयं नहीं कर सकती। हमारी आयुर्वेदिक संस्थाओं को योजनायें बनानी चाहियें और गबेषणा करनी चाहिये, सरकार उन की सहायता भर कर सकती है । यदि सरकार उन की सहायता न करे तब यह कहना ठीक होगा कि सरकार देशी पद्धतियों को प्रोत्साहन नहीं देती है । अन्यथा यह आरोप ठीक नहीं कहा जा सकता ।

एक माननीय मित्र ने रौलफिया सरपेन्टाइना का उल्लेख किया । आयुर्वेद में इस की जानकारी बहुत समय से है परन्तु कमी यही है कि उस के संबंध में गवेषणा नहीं की गई । जब कुछ वैज्ञानिकों ने गवेषणा कार्य किया तब उस के गुणों का पता लगा । हमारे यहां गवेषणा कार्य बहुत कम हुआ है जबकि पश्चिमी देश बहुत आगे बढ़ गये हैं ।

मैं दिल्ली के तिब्बिया कालेज के संबंध में आप ने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुछ बताना चाहती हूं । मैं ने बहुत से आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों के जानकारों से उस में अध्यापन और गवेषणा संभावने का अनुरोध किया परन्तु किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया । इस के विपरीत आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के एक जानकार डा० शर्मा ने उसे स्वीकार किया और उनके कार्य की काफी प्रशंसा हुई । मेरे यह कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने वर्तमान ज्ञान से सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये वरन् गवेषणा कार्य अधिकाधिक करना चाहिये ।

भारतीय चिकित्सा संघ आयुर्वेद का विरोध इसीलिये करता है कि आयुर्वेद वाले अपने वर्तमान ज्ञान से ही सन्तुष्ट रहना चाहते हैं । वे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की बातों को नहीं अपनाना चाहते तथा शुद्ध आयुर्वेदिक कालेज चाहते हैं । मेरे विचार से उन्हें वैसा करने देना चाहिये। आयुर्वेद को उन्हीं पर छोड़ देना चाहिये, फिर चाहे वह जीवित रहे या मर जाये । ऐसा करने से इस प्रकार की शिकायतें भी दूर हो जायेंगी कि एक दूसरे की औषधियों का प्रयोग क्यों नहीं करने दिया जाता । एलोपैथिक औषधियां आयुर्वेदिक औषधियों जैसी नहीं हैं जिन की मात्रा के बिगड़ जाने से हानि न हो । इसलिये यदि ऐसे लोग उन का प्रयोग करेंगे जिन्हें उन का ज्ञान न हो तो हानि की संभावना रहेगी । यदि एलोपैथिक डाक्टर भी उन की मात्रा का ठीक प्रयोग नहीं करते हैं तो उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिये ।

जहां तक मैडिकल कालेजों, संयुक्त कालेजों और आयुर्वेदिक कालेजों में भर्ती का संबंध है उस के संबंध में योग्यता का स्तर सामान्य होना चाहिये । इस समय देश में ४९ संयुक्त कालेज हैं जिन में से ७ विश्वविद्यालय से संबंध हैं । १५ कालेज अभी तक संबद्ध नहीं हैं । २७ संयुक्त कालेज इस समय डिग्रियां दे रहे हैं । उन में से जो लोग पढ़ कर निकलते हैं वे यह आंशा ले कर आते हैं कि वे सभी औषधियों का प्रयोग कर सकेंगे । परन्तु जब उन्हें पता चलता है कि वे कुछ औषधियों का प्रयोग नहीं कर सकते तो उन्हें बहुत असुविधा होती है । मेरा निवेदन है कि इस असंगति को दूर किया जाना चाहिये ।

जहां तक आधुनिक चिकित्सा का संबंध है मैं मानती हूं, वह बहुत मंहगी है । परन्तु फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं । जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलना चाहते हैं तो वहां के लोग उन्हें पसन्द नहीं करते ।

जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है यह बड़ी अच्छी बात है कि हाल के महीनों में देश में कोई बड़ी बीमारी नहीं फैली है । परन्तु फिर भी खेद की बात है कि हैजा और चेचक जैसे रोग, जो प्रगति-

---

†मूल अंग्रेजी में

शील देशों में लुप्तप्राय हो गये हैं, हमारे देश में अभी भी अपना प्रकोप दिखाते रहते हैं। मैं आंकड़े दे कर समय नष्ट करना नहीं चाहती। जब इस के बारे में प्रश्न किया जाता है तो यह उत्तर दिया जाता है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इस प्रकार टालने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इन रोगों को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की पंच वर्षीय योजनाओं की तरह बीमारियों के उन्मूलन के लिये भी एक पंचवर्षीय योजना बनाई जानी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये हमारी गवेषणाओं और ज्ञान का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना चाहिये। गत दस वर्षों में राष्ट्र के स्वास्थ्य सुधार के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है।

जहां तक चिकित्सा शिक्षा का संबंध है, इस समय हमारे देश में लगभग ५० मेडिकल कालेज हैं जब कि आजादी मिलने के पूर्व लगभग २० ही थे। इसलिये उन की संख्या बढ़ाने पर जो जोर दिया गया है वह निरर्थक है। मैं चाहती हूं कि जितने कालेज अभी हैं उन में ही शिक्षण स्तर ठीक रखा जाये। नये कालेज खोलने के बजाय वर्तमान कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। चिकित्सा शिक्षा के स्तर की देखभाल के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस के लिये उसे कुछ अधिकार भी दिये जा सकते हैं।

दिल्ली में जो अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था है उस का अन्य दो चिकित्सा कालेजों से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये। ताकि वे कालेज संस्था में होने वाले गवेषणा कार्य का लाभ उठा सकें। संस्था को गवेषणा कार्य पर अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि उस का कार्य शिक्षक तैयार करना है। अतः भवन नर्माण पर जो व्यय किया जा रहा है यदि वह उपकरणों की खरीद पर किया जाये तो अधिक लाभ होगा।

सरकार राष्ट्र के स्वास्थ्य सुधार के लिये कोई कार्य न कर के शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन का कार्य करती है जो विश्वविद्यालयों पर छोड़ा जा सकता है ऐसा आभास होता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जनता के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं का उपबन्ध करने के बजाय नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करने में अधिक रुचि रखता है। मैं चाहती हूं कि इस प्रवृत्ति में आमूल परिवर्तन किया जाये। मंत्रालयिक स्तर से मेडिकल कालेजों का प्रशासन किया जाना सर्वथा अनुचित है। शिक्षा की स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र की एक आधारभूत आवश्यकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेडिकल कालेजों का नियंत्रण विश्वविद्यालयों पर छोड़ कर स्वास्थ्य मंत्रालय को राष्ट्र के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था का कार्य अपनाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रशासकीय प्रवृत्ति को बदलने का प्रयत्न करें।

स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४२	२८८	श्री मो० ब० ठाकुर	समस्त भारत में निःशुल्क चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४२	२८६	श्री मो० ब० ठाकुर	स्कूलों और कालेजों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
४२	६४६	श्री स० म० बनर्जी .	क्षयरोगियों की संख्या में वृद्धि रोकने में असफलता	१०० रुपए
४२	६५०	श्री स० म० बनर्जी .	दिल्ली कैण्ट के प्रतिरक्षा स्थापनाओं के असैनिक कर्मचारियों का अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के क्षेत्र से अलग रखा जाना	१०० रुपए
४२	६५१	श्री स० म० बनर्जी .	कानपुर में मेडिकल कालेज को वित्तीय सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	६५२	श्री स० म० बनर्जी	सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों उद्योग क्षेत्रों के औद्योगिक कर्मचारियों में व्यवसायिक रोगों की तीव्र वृद्धि को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपए
४२	६५३	श्री स० म० बनर्जी .	कुष्टरोग की वृद्धि को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपए
४२	६५४	श्री स० म० बनर्जी .	परिवार नियोजन	१०० रुपए
४२	६६७	श्री जगदीश अवस्थी	कानपुर मेडिकल हास्पिटल को वित्तीय सहायता की आवश्यकता	१०० रुपए
४२	६६८	श्री जगदीश अवस्थी	दिल्ली कैण्ट के प्रतिरक्षा स्थापनाओं के असैनिक कर्मचारियों का अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के क्षेत्र से अलग रखा जाना	१०० रुपए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४२	९९९	श्री जगदीश अवस्थी	देश में कुष्ट रोग की वृद्धि	१०० रुपए
४४	१०३९	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा को चेचक और हैजे के खराब टीकों का संभरण	१०० रुपए
४४	१०४१	श्री प्र० के० देव	१९६० तक बी० सी० जी० आन्दोलन के प्रत्येक गांव तक विस्तार की वांछनीयता	१०० रुपए
१२२	५७२	श्री बै० च० मलिक	उड़ीसा में दूसरा मेडिकल कालेज खोलने के लिये रुपया देने की आवश्यकता	१०० रुपए
१२२	१०४६	श्री प्र० के० देव	देशी जड़ी बूटियों के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य के विस्तार की वांछनीयता	१०० रुपए
१२२	१०४७	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में राष्ट्रीय जल सभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत भवानी पटना में नल के पानी की सुविधा की व्यवस्था करने की वांछनीयता	१०० रुपए
१२२	१०४८	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में जल-संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम	१०० रुपए

†**डा० पशुपति मंडल** (बांकुरा–रक्षित–अनुसूचित जातियां): चिकित्सा विज्ञान और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सफलता मिली है उसके लिये मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं । किन्तु पश्चिमी बंगाल राज्य के साथ जो व्यवहार किया गया है वह उसी प्रकार का है जैसा कि सौतेली मां करती है। और इस बात का पता प्रतिवेदन में दी गयी बातों से चल जायेगा। पश्चिमी बंगाल के मेडीकल कालिजों में खोज-कार्य को बढ़ाने के लिये कोई धन नहीं दिया गया है। वर्ष १९५७–५८ में संयंत्रों के संभरण और नकद राशि कुछ भी नहीं दी गई हैं। वर्ष १९५८–५९ के लिये जो व्यवस्था की गई है वह भी बहुत थोड़ी है।

चिकित्सा विज्ञान की अखिल भारतीय संस्था में अब तक किसी बंगाली विद्यार्थी का दाखिला नहीं किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्यों के हिसाब से उनका

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पशुपति मंडल]

कोटा निश्चित कर देना चाहिये। इस संस्था में लड़कियों के दाखिले को महत्व नहीं देना चाहिये क्योंकि दिल्ली का लेडी हर्डिंग मेडीकल कालिज उनके लिये है। यही बात वल्लभ भाई पटेल चेस्ट क्लीनिक के मामले में है वहां भी पश्चिमी बंगाल के विद्यार्थियों के लिये अलग से कोई स्थान नहीं है। विज्ञान के विकास की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल के लिये स्थान सुरक्षित करना आवश्यक सा है।

पश्चिमी बंगाल में और कम से कम पूर्वी क्षेत्र में एक नर्सिग कालिज खोलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जहां तक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का प्रश्न हैं, अस्तांग आयुर्वेद कालिज तथा जार्ज होमयोपैथिक कालिज ढंग से कार्य कर रहे हैं और वर्तमान विज्ञान के सहयोग से उन्नति कर रहे हैं। उनके और विकास तथा प्रगति के लिये धन की आवश्यकता है। उत्तरी बंगाल में जड़ी बूटियों के लिये एक उद्यान खोलने की भी आवश्यकता है। हमारे देश में क्षय रोग भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और विशेष रूप से निर्धन लोग इसके शिकार होते है अतः प्रत्येक जिला अस्पताल में छाती और दातों के निदान का भी समुचित प्रबन्ध करना चाहिये। वर्तमान चिकित्सा-कालिजों के विकास तथा नये कालिज खोलने के लिये पश्चिमी बंगाल को कोई आज्ञा नहीं दी गई है। अतः इन बातों से स्पष्ट है कि बंगाल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है।

बांकुरा जिले में एक बी० एस० मेडीकल कालिज है। यहां के अस्पताल में २०० रोगियों के लिये स्थान है। यह अस्पताल वहां की जनता द्वारा चलाया जाता है किन्तु बार-बार प्रार्थना करने पर केन्द्रीय सरकार ने उस अस्पताल को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। आशा है कि माननीय मंत्री हमें सहायता दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

पश्चिमी बंगाल राज्य समस्याओं का केन्द्र है यदि उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। कलकत्ता में एक दातों का अस्पताल है उसे भी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। बंगाल में कोढ़ की बीमारी भी बहुत है। इसके इलाज के लिये भी उचित प्रबन्ध करना चाहिये।

माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे स्कूल और कालिज के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये कोई योजना बनायें और उनमें फैलने वाली संक्रामक और छूत की बीमारियों को फैलने से रोंके। इसके लिये आवश्यक है कि स्कूलों में बच्चों को प्रतिदिन एक बार भोजन दिया जाये तथा उनके लिये उपयुक्त कपड़ों की व्यवस्था की जाये। इसके लिये समर्थ अभिभावकों से रुपया लिया जा सकता है।

माननीय मंत्री का ध्यान वहां फैलने वाले मलेरिया की ओर दिलाता हूँ और निवेदन करता हूं कि उसे रोकने के लिये उचित प्रबन्ध करना चाहिये।

सरकार को चाहिये कि वह उन सभी दवाओं का आयात कर जो हमारे यहां नहीं पाई जाती है।

कलकत्ता में पानी की कठिनाई है इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सिचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की मांगों के समय भी प्रकट कर चुका हूं। वहां की यह समस्या फरक्का बांध के बनाने से ही हल हो सकती है। यह समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है क्योंकि इसके कष्ट से कलकत्ता में रहने वाले लगभग ५० लाख व्यक्ति पीड़ित हैं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): हमारी स्वास्थ्य समस्या बहुत कुछ हमारी निर्धनता के कारण है क्योंकि हमें खाने के लिये पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलते। किन्तु फिर भी मुझे इस बात का दुःख है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कार्य किये हैं वे देश की आवश्यकताओं को देखते हुए अपर्याप्त हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो राशि रखी गई है वह बहुत ही कम है।

हमें यह नहीं कहना चाहिये कि कौन सी चिकित्सा पद्धतियां अच्छी हैं। अथवा कौन नहीं। मेरा अभिप्राय यह भी नहीं है कि यूनानी, आयुर्वेद, होमियोपैथी आदि पद्धतियां समाप्त हो जानी चाहिये, यह भी बनी रहनी चाहिये क्योंकि डाक्टर लोग अथवा डाक्टरी पद्धति गांव गांव में नहीं पहुंच सकती। लेकिन मुझे यह अधिसूचना देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ जिसमें कहा गया है कि जो डाक्टर रजिस्टर्ड नहीं है अथवा योग्य नहीं है वे एन्टीबाओटिक अथवा सल्फाड्रग्स का प्रयोग नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि ये दवाइयां ही लाभकारी है और इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में एक महान अन्तर उत्पन्न कर दिया है। ये दवाइयां सभी डाक्टरों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। आज सार्वजनिक अस्पतालों में यह होता है—निर्धनों को अच्छी ढंग की दवाई भी नहीं दी जाती उनसे कहा जाता है कि वे बाजार से क्रय कर ले और जब वे खरीदकर ले आते है तो उनमें से बहुत कुछ दवाइयां हथिया ली जाती है। यह हालत तो उन अस्पतालों की है जिनको सरकार सहायता दे रही है। गांवों में प्रायः या तो डाक्टरी इलाज चलता है अथवा होमियोपैथी। गांवों के निवासी बीमारी की अवस्था में गांवों में कार्य करने वाले छोटे छोटे डाक्टरों के पास ही जाते हैं और वे डाक्टर इन दवाइयों की सहायता से उन्हें रोगमुक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में इन दवाइयों पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं होगा।

प्रायः यह भी देखने में आता है बीमारियों में इंजेक्शन प्रयोग करके धन कमाने की प्रथा चल पड़ी है। व्यावसायियों से डाक्टर गठबन्धन कर लेते हैं। उनकी दवाइयां बिकती है और डाक्टर लोग कमीशन बनाते है। ऐसी स्थिति में इन जनप्रिय दवाइयों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं होगा।

एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में प्रायः यह देखने को मिलता है कि यह लोगों को दवाइयों की आदी बनाती है। आयुर्वेद और एलोपैथी में आजकल व्यावसायिक प्रवृद्धि बढ़ती जा रही है। आज देश में होमियोपैथिक पद्धति सस्ती है और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है।

अतः वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि जो व्यक्ति होमियोपैथी अथवा अन्य देशीय पद्धतियों द्वारा इलाज करते हैं उनकी पद्धतियों वैज्ञानिक परीक्षण पर सही उतरें। अतः आप जो दवाई देते हैं उसका परीक्षण कीजिये और बताइये कि इस दवाई का परिणाम यह हुआ है। तथा इस दवाई का उपयोग यदि इस ढंग से किया जाये तो इसका परिणाम यह निकलेगा। यह बात सभी स्वीकार करेंगे कि आज विज्ञान काफी उन्नति कर रहा है। अतः यह कहना कि अमुक अमुक दवाई ने भूतकाल में ऐसा-ऐसा लाभ पहुंचाया था अतः अमुक-अमुक पद्धतियों को प्रोत्साहन देने अथवा उनका विकास करने के लिये धन देना चाहिये—ठीक बात नहीं है।

स्वच्छ पानी के संभरण का प्रश्न देश के लिये बहुत ही महत्व का विषय है क्योंकि छूत की अधिकांशतः बीमारियां स्वच्छ पानी के अभाव से ही होती है। अतः जनता को जब तक स्वच्छ पानी का संभरण नहीं किया जायेगा तब तक स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्तव्य पूरा नहीं

[श्री खाडिलकर]

होता। हम देखते हैं कि आज मुश्किल से ६ प्रतिशत व्यक्तियों को स्वच्छ जब मिल रहा है। किन्तु इतना मानना पड़ेगा कि स्वच्छ जल के संभरण के लिये जितनी राशि रखी गई थी उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है।

हमारे देश में और विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वी भाग में कोढ़ की समस्या बड़ी विकट है। हमारे देश में लगभग १५ लाख व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हैं। जहां तक मेरा विचार है कि सल्फाड्रग ने इस बीमारी के इलाज में कुछ अंशों में लाभ पहुंचाया है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक विधि बनानी चाहिए कि जो व्यक्ति पूर्णरूप से कुष्ट रोग से पीड़ित है उनका बन्ध्रीकरण करना चाहिए। प्रायः यह देखने में आता है कुष्ट पीड़ित व्यक्तियों में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा संभोग की अभिलाषा अधिक होती है और यही कारण है कि आगामी पीढ़ी भी कुष्ट से पीड़ित निकलती है। अतः इसे रोकने के लिए कोई उचित उपाय करना चाहिए।

परिवार नियोजन की नीति आज राष्ट्र की निर्धारित नीतियों में से एक नीति है। इसका प्रसार करने के लिए हमें सीधा सादा और आसानी से समझ में आने वाले उपायों का अनुसरण करना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं हो रहा। प्रायः देखने में यह आता है कि विभिन्न प्रकार के केन्द्र खोल दिये गये हैं। यदि उन सब को मिला दिया जाये तो वित्त की बचत भी होगी और कार्य भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। किन्तु इन विभिन्न प्रकार के केन्द्रों पर बहुत सा धन बेकार में ही खर्च हो रहा है। यह दशा केवल किसी एक राज्य की नहीं है अपितु सभी राज्यों में प्रायः ऐसा हो रहा है। अतः परिवार नियोजन की समस्या पर आपको केवल इसी दृष्टिकोण से नहीं सोचना है कि इससे जनसंख्या की वृद्धि में कमी होगी बल्कि यह स्वास्थ्य वृद्धि में सहायता पहुंचायेगा तथा इस समस्या का समाधान भी एक नये ढंग से करेगा। क्यों न एक चलती फिरती गाड़ी में एक डाक्टर और उस के एक सहायक तथा आवश्यक सामग्री को लेकर एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र तक भेजा जाये। और इस प्रकार सभी केन्द्रों को एक दूसरे से मिला दिया जाये। अतः मेरा निवेदन है कि इस समस्या का समाधान उचित ढंग से करना चाहिए।

बेबीफूड, ग्ल्यूकोज़ आदि गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा बनाया जाता है। ये जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं। किन्तु हम देखते हैं कि इन में प्रायः चोरबाजारी होती है। अतः मेरा विचार है कि जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इसका उत्पादन राज्य सरकारें अपने हाथ में ले लें और गांवों में इसका संभरण मुफ्त करना चाहिए।

अन्त में मेरा निवदन है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन सब बातों पर विस्तृत रूप से विचार करेगा। मुख्य बात तो जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है और यदि दृष्टिकोण बदलने में हमें सफलता मिल गई तो इसके परिणाम निश्चय ही अच्छे निकलेंगे।

श्री नलदुर्गकर (उस्मानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हमाराभारत देश अब तक बाहरी हुकूमत की तहता था इसलिये उस हुकूमत ने हमारे देश के आरोग्य की तरफ अपनाकोई लक्ष्य नहीं रखा। हमारी सम्पत्ति की बाहरी लोगों ने लूट शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारा देश दरिद्री हो गया और उसकी उम्र कम होगई। मैं आपको जो फिगर्स आंकड़े) दे रहा, हुं उन से आप देख सकेंगे कि, हमारे देश के लोगों की उम्र बमुकाबले दूसरे देशों के बहुत कम और उस की खास

वजह यह है कि जितना ध्यान हमारे आरोग्य की ओर दिया जाना चाहिए था वह विदेशी हुकूमत के जरिये नहीं दिया गया । मैं आप को दूसरे देशों की उम्र बतलाता हूं जो इस प्रकार हैं :

देश	पुरुष	स्त्री
न्यूजीलैंड .	६५·०४	६७·८८
आस्ट्रेलिया	६३·४८	६७·१४
दक्षिण अफ्रीका	५७·५८	६१·४८
कैनाडा .	५९·३२	६१·४९
अमेरिका .	५९·१२	६२·६७
जर्मनी	५९·८६	६२·६७
इंग्लैंड .	५८·७४	६२·८८
इटली .	५३·७६	५६
फ्रांस . .	५४·३०	५९·२
अमेरिकन नीग्रो .	४७·५५	४९·५१
जापान . .	४४·८२	४३·३७
हिन्दुस्तान	३२·९	३१·३७

इस से देखा जायेगा कि दूसरे मुमालिक के मुकाबले यानी न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया के मुकाबले में हमारे फी शख्स की उम्र ३१ साल कम है । इस के अलावा एक और भी ताज्जुब की बात यह है कि दूसरे मुमालिक में स्त्रियों की उम्र मर्दों की उम्र से ज्यादा है, कम से कम दो या चार साल ज्यादा है । लेकिन हिन्दुस्तान में ताजुब और मुसीबत की बात यह है कि यहां पर मर्दों की उम्र दूसरे मुमालिक के मुकाबले तो कम है ही, लेकिन स्त्रियों की उम्र यहां पर मर्दों की उम्र से भी कम है ।

इस के बाद मैं बतलाता हूं कि सन् १९४७ में मलेरिया और दूसरे अमराज से मरने वालों की कुल तादाद ३९ लाख थी । लेकिन इस में से मलेरिया से मरने वालों की तादाद २५ लाख थी । टी० बी० से मरने वालों की तादाद ५ लाख, डिसेन्ट्री से मरने वालों की तादाद २ लाख और ऐसे दूसरे अमराज से मरने वालों की तादाद भी २ लाख, कालरा प्लेग आदि से मरने वालों की तादाद २ लाख और दीगर अमराज से मरने वालों की तादाद ३ लाख ।

यह बात सही है कि इन तमाम मुसीबतों के बावजूद दस सालों में यानी सन् १९४५ से ले कर १९५६ तक मलेरिया से मरने वालों की तादाद हमारे यहां कम जरूर हुई है । सन् १९५२-५३ में मलेरिया से मरने वालों की तादाद प्रति हजार ७५ थी, सन् १९५३-५४ में वह फी हजार ६०·७ हो गई, सन् १९५४-५५ में वह फी हजार ४१·२ हो गई और सन् १९५५-५६ में वह तादाद फी हजार १९·३ हो गई । लाजिमी तौर पर इस का यह नतीजा निकलता है कि आप मलेरिया के मामले में लोगों का ज्यादा फायदा कर सके हैं । इस लिए मैं जिन चन्द बातों की तरफ तवज्जह मबजूल कराता हूं वह यह हैं कि आज मुल्क की सेहत में जरूर कुछ इजाफा हुआ है और मरने वालों की तादाद जो मैंने पहले बताई थी उस में कुछ कमी हो गई है । मैं बतलाता हूं कि सन् १९४७ से १९४९ तक मरने वालों की तादाद फी १० हजार २६·६ थी सन् १९५६ में वह तादाद १२·४ पर आ गई । तो यह जो तादाद कम हो गई है इस की वजह यही मालूम होती है कि हिन्दुस्तान के लोगों की सेहत की तरफ, उन के आरोग्य की तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है । इसी तरह बालकों की मृत्यु संख्या जो सन् १९३५-३६ में फी दस हजार पर १६८ थी वह सन् १९४९ में १४५·६ हो गई, सन् १९५४ में वह फी दस हजार १०८ हो गई और सन् १९५६ में वह फी दस हजार

[श्री नलदुर्गकर]

१०६ पर आ गई । इस के बरअक्स अगर आप जन्म की तादाद को देखें तो वह भी पहले से बढ़ गई है । यानी १९४९ में २५·२ (·२) थी वह सन् १९५६ में ३०·२ पर आ गई । इस को अगर देखा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि मरने वालों की तादाद तो हमारे देश में कम हो गई है और जन्म की तादाद ज्यादा हो गई है, और यही वजह है कि हमारे देश में आज जनसंख्या बढ़ रही है हमारी जनसंख्या के बढ़ने की कोई और वजह मुझे नहीं मालूम होती है ।

लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान में जो भी तरक्की अभी सेहत के मामले में हुई है वह बहुत कम है । अगर हम यू० के० (इंगलिस्तान) और हिन्दुस्तान का मुकाबला करें तो हम को साफ पता चल जायेगा कि अभी हम इस मामले में कितने पीछे हैं । मैं वह आप को बतलाता हूं ताकि हमारे मिनिस्टर साहब उस पर गौर करें। यूनाइटड किंग्डम (इंगलिस्तान) में १००० लोगों के पीछे एक डाक्टर है, हिन्दुस्तान में ६३०० आदमियों के पीछे एक डाक्टर है, यूनाइडटेड किंग्डम में ३०० लोगों के पीछे एक नर्स है तो हिन्दुस्तान में ४३०० लोगों के पीछे एक नर्स है । यूनाइटेड किंग्डम में ४७७० लोगों के पीछे एक हेल्थ आफिसर है और हिन्दुस्तान में ४ लाख लोगों के पीछे एक हेल्थ आफिसर है । यूनाइटेड किंग्डम में ६१८ औरतों के पीछे एक मिडवाइफ है जब कि हिन्दुस्तान में ६००० औरतों के पीछे एक मिडवाइफ है । हमारे देश की आबादी का खयाल करने के बाद हमें अभी कितने आगे और जाना है इस तरफ इस हाउस की तवज्जह मबजूल होनी चाहिये ।

इस के बाद सन् १९४८ से ले कर १९५६ तक हमारे जो मेडिकल इन्स्टिट्यूशन्स थे, दवाखाने वगैरह उन में कितना इजाफा हुआ है इस की तरफ भी तवज्जह दीजिये । मैं आप को उस के फिगर्स भी देता हूं । सन् १९४८ में छोटे बड़े सब मिला कर ६४०१ दवाखाने थे, सन् १९५२ में ९४९८ हो गये और सन् १९५६-५७ में वह १०१७९ हो गये यानी ३७४०० आदमियों के पीछे एक दवाखाना इस तरह से हो गया । इस के बाद आप बैड्स की तादाद को देखिये । सन् १९४६ में ८०५०८ बेड्स थीं, सन् १९५२ में १२४४१९ हो गईं और सन् १९५६ में वह १५५५७२ हो गईं । यानी १२३०० आदमियों के पीछे एक बेड । इस तरह से आप देख सकेंगे कि हिन्दुस्तान में हम लोगों की सेहत के मामले में बहुत तरक्की करनी बाकी है । जिस तरह के फिगर्स अभी मैंने बताये अगर हम उसी तरह से तरक्की करते रहे और हमारी सेहत की फेसिलिटीज में इसी तरह से इजाफा होगा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि १०० सालों के अन्दर भी हम उतनी तरक्की कर सकेंगे जितनी कि जरूरत है । इस लिए मंत्री महोदय से मेरी गुजारिश है कि खास कर इस मसले पर तवज्जह ज्यादा दी जाय ।

मेरी दूसरी शिकायत यह है कि हालांकि हमारे मुल्क के ज्यादातर लोग देहातों में रहते हैं फिर भी देहात के लोगों को बहुत कम तादाद में दवाखानों के इन्स्टिट्यूशन्स की सहूलियत मिलती है । गांवों में रहने वालों की तादाद ज्यादा है वह ८२·१७ फी सदी है और शहरों में रहने वालों की तादाद सिर्फ १७·९३ है, फिर भी उन को ऐसे इन्स्टिट्यूशन्स का जो फायदा मिलता है वह क्रमानुसार ६२ और ३८ फीसदी है । यानी ८२·१७ फी सदी लोगों के लिये तो ६२ फी सदी दवाखाने और १७·९३ फी सदी लोगों के लिए ३८ फी सदी दवाखाने । इसी लिए आज देहातों की पुकार है कि वहां पर ज्यादा दवाखाने नहीं हैं, मिडवाइफ नहीं हैं, मैटर्निटी होम्स नहीं हैं, डाक्टर्स नहीं हैं । चूंकि हम को तमाम देहातों की तरक्की करनी है और जब हम देहातों को यूनिट मान कर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी सूरत में मंत्री महोदय से मेरी गुजारिश है कि वह अपनी तवज्जह खास कर देहातों की तरफ मबजल करें ।

इस के बाद एक और बात की तरफ आप की तवज्जह मवजूल करना चाहता हूं । यानी लेप्रार्सी की तरफ जिस को मराठी में महारोग कहा जाता है । आज वह बहुत ज्यादा फैल रहा है लेकिन उस की तरफ इस मिनिस्ट्री की तवज्जह कम होती जा रही है । सन् १९४० में इस के मरीजों की संख्या १० हजार की जनसंख्या के पीछे ४४·३ थी, सन् १९५७ में वह बढ़ कर ६६.४८ हो गई है। इस के पहले जब कौंसिल आफ हेल्थ कायम हुई तो एक लेप्रासी कमेटी भी उस में कायम हुई थी । लेप्रासी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन् १९५५ में पेश की । उस के बाद इस बारे में क्या काम हुआ है अभी तक उस का अन्दाजा जो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, उससे नहीं लगता है । हेल्थ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है, उस के सफा ६१ पर लेप्रासी के बारे में बहुत मामूली तौर पर दिया हुआ है। उस से कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है । लेकिन जहां तक हम को मालूम है सेंट्रल लेप्रासी कमेटी ने एक रिसर्च इन्स्टिट्यूट मद्रास के चेंगलपेट नामक स्थान पर स्थापित किया । उस के अन्दर कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने इस रोग की रोक थाम के लिए कुछ काम किया है । लेप्रासी पैदा करने वाला कोई एक सूक्ष्म जंतु रहता है लेप्रासी बैसिलस कहते हैं और बाद में वह कंटैगुअस बन जाता है और वह बनने के बाद उसका आपरेशन किस तरह करना चाहिए उसके मुताल्लिक़ मेडिकल कौंसिल आफ़ रिसर्च ने सुझाव दिये थे लेकिन जब हम देहात में जाते हैं तो वहां के लोगों को इसके मुताल्लिक़ कुछ पता ही नहीं रहता । मेरी मंत्री महोदय से गुज़ारिश है कि आप ऐसी मोबाइल यूनिट्स का इंतज़ाम कीजिये जो कि हर देहात और मौज़े में जाकर वहां के लोगों को यह बतलायें कि लेप्रेसी कैसे पैदा होती है और उसका उपचार करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या सावधानी बर्तनी चाहिए । इस बारे में लोगों को सिनेमा और अन्य प्रकार से एजुकेट करना चाहिए ।

अब देखा यह गया है कि इस रोग से पीड़ित लोगों की प्राय: इसको छिपाने की मनोवृत्ति होती है और लोगों पर यह ज़ाहिर करन के लिए कि वे इस रोग में मुब्तिला नहीं हैं वे अपने हाथ से दूसरे लोगों को चीज़ें खिलाते पिलाते हैं और चूंकि यह फैलने वाली बीमारी है इसलिए इसका अन्य लोगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । हमारे देश में लेप्रेसी से पीड़ित व्यक्तियों की तादाद बढ़ रही है और अगर इस रोग को जल्द काबू में न लाया गया तो हमारी भावी पीढ़ी पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा । इसलिए मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे इस के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करें और आवश्यक कदम तत्काल उठायें ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बन्धी डिमांड्स पर बोलने का अवसर दिया ।

मुझे इस अवसर पर मंत्री महोदय और इस सदन का ध्यान विशेष करके गांवों की ओर दिलाना है जहां कि ग्रामीण और ग़रीब लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें समुचित रूप में प्राप्त नहीं हैं और मेरी यह शिकायत है कि चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को देते समय सरकार शहरों की ओर ही ध्यान रखती है और गांवों की उपेक्षा कर दी जाती है ।

इसके अलावा आज सरकारी अस्पतालों में क्या हालत है । वहां पर ग़रीब आदमियों की कोई पूछ नहीं होती और ग़रीब आदमियों को जिनके कि पास देने को पैसा नहीं होता उनको ख़ाली अस्पतालों में मिक्सचर देकर गेट आउट कर दिया जाता है । जिसके पास डाक्टरों आदि को देने के लिए पैसा होता है उसके इलाज पर तो ध्यान दिया जाता है और जिनके पास पैसा नहीं होता है उनका ठीक से इलाज नहीं किया जाता है और उसको दरवाज़े से ही ब्लाडी फूल कह कर गेट आउट कर दिया जाता है । वे बेचारे ग़रीब लोग इधर से उधर धक्के खाते फिरते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है ।

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री की सेवा में यह निवेदन करना चाहूंगी कि उनके पास इतना अधिक काम और ज़िम्मेदारियां हैं कि अकेले सारा काम निबटाना और बाहर जाकर यह देखना कि कैसे काम हो रहा है, मैं समझती हूं कि उनके लिए कठिन है और इसलिए मेरा यह सुझाव है कि वह अपने नीचे एक लेडी डिप्टी मिनिस्टर रखें जो कि सारे देश भर में दौरा करके यह देख सके कि चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था कैसी चल रही है और अस्पतालों में ठीक से काम चल रहा है या नहीं। वह स्वास्थ्य उपमंत्रिणी यह देखे कि हमारे सरकारी डाक्टर और नर्सें आदि अपने कर्तव्य को ठीक से निबाह रहे हैं कि नहीं।

इसके अतिरिक्त मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि अब वे गांवों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दें और अब तक जो गांवों की उपेक्षा होती आई है वह समाप्त करें। देहातों में न तो कोई अस्पताल हैं और न कोई मेडिकल कालिजेज़ हैं। वहां पर डाक्टर भी मौजूद नहीं होते हैं। शहरों में तो आज अगर एक डाक्टर पदा होता है तो कल १० पैदा हो जाते हैं और परसों उनकी संख्या बढ़ कर २० हो जाती है लेकिन इसके बरअक्स देहातों में न तो डाक्टर हैं न नर्सें हैं और न ही वहां पर अस्पताल और दवाओं की कोई व्यवस्था है। देहातों में हम देखते हैं कि जब कभी कालरा हैज़ा आदि छूत की बीमारियां फैलती हैं तो हज़ारों लोग इस बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। लोगों को इससे बचाने के लिए टीके आदि लगाने की उचित व्यवस्था नहीं होती है। इधर उधर कुछ के टीके लगा दिये जाते हैं और अपने रिकार्ड्स में यह दर्ज कर लिया जाता है कि इतने हज़ार मनुष्यों को हमने टीके लगाये जो कि वास्तविकता से परे होता है। वे कुछ के टीके लगा कर गांव से चल देते हैं और अगर उनके खिलाफ़ रिपोर्ट भी करो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरी प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाय और इसके लिए क़दम उठाये जायें ताकि यह काम ठीक से चले और ज़िम्मेदार लोग ठीक से अपने कर्तव्य को निबाहें।

जहां तक नर्सों की भरती और ट्रेनिंग का सवाल है मेरी शिकायत यह है कि वहां पर एक तरह से जातिवाद चलता है। अगर नर्स क्रिश्चियन होती है तो उसको तो जगह दे दी जाती है लेकिन हिन्दू नर्स को बड़ी मुश्किल से जगह जाकर मिलती है। इसी तरह ईसाई डाक्टर को जल्दी जगह मिल जाती है लेकिन हिन्दू डाक्टर को इस मामले में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसको तो तभी दाखिल किया जाता है जब वह इधर उधर दौड़ धूप करे और १००, २०० रुपये प्राइवेट में थमा दे और तब जाकर कहीं उसका काम बनता है। मैं सदन के सामने सच कहती हूं कि डिपार्टमेंट में इतनी धांधली चलती है कि जब तक १०० रुपये उन को न दिये जायें तब तक उसे डिपार्टमेंट के अन्दर भर्ती नहीं करते हैं। उससे पहले ही पूछ लिया जाता है कि उसके पास देने को १०० रुपये हैं और अगर उसका उत्तर नहीं में होता है तो चट से कह दिया जाता है कि तुम्हारे वास्ते यहां पर जगह नहीं है। अब आप ही सोचिये कि जहां पर ऐसा अंधेरखाता चल रहा हो वहां की व्यवस्था कैसे अच्छी रह सकती है और आम जनता कैसे संतुष्ट हो सकती है। मेरी मांग है कि आज नर्सों के सम्बन्ध में जो यह ईसाई और हिन्दू वाली बात चलती है यह बंद होनी चाहिए और डाक्टरों और नर्सों में सवर्ण हिन्दू लोगों के अतिरिक्त हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भी जगह देनी चाहिए। चिकित्सा सम्बन्धी कामों में और लोगों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कामों में महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए क्योंकि यह काम महिलाएं बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं।

इस के साथ ही मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर यह बतलाना चाहती हूं कि अस्पतालों में गरीब लोगों का बिलकुल ध्यान नहीं किया जाता है और उनको जो खाना दिया जाता है वह

बहुत ही घटिया किस्म का होता है । मेरे गोली लगी थी और उसकी वजह से मुझे दो साल तक अस्पताल में रहना पड़ा और मैंने खुद यह देखा कि किस तरह यह डाक्टर और नर्सें गरीब और अनपढ़े लोग या वे लोग जो कि अंग्रेज़ी नहीं जानते, उनके साथ कैसी उपेक्षा का बर्ताव करते हैं और यही डाक्टर और नर्सें उन मरीज़ों के साथ जो कि अंग्रेज़ी पढ़े लिखे हैं और अंग्रेज़ी में गिटपिट कर लेते हैं और थैंक यू वैरी मच कहते हैं उनके साथ उनका बर्ताव बिलकुल दूसरा होता है और उनका वे खयाल रखते हैं कि इनको कोई शिकायत करने का मौक़ा न हो । मैं सच कहती हूं कि वहां पर ग़रीब लोगों को ऐसी कच्ची रोटी और खराब दाल मिलती है कि मरीज़ न मरता हो तो मर जाय और मैं वह झूठ नहीं कह रही हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बारबार यह क्यों यक़ीन कराना पड़ता है कि आप झूठ नहीं बोलतीं । आप पर यक़ीन किया जाता है कि आप सच बोल रही हैं ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय: मैं झूठ नहीं बोलती । इसी तरह मेरा कहना है कि देहातों में मवेशी अस्पताल अधिक होने चाहिएं क्योंकि ग्रामीणों को शहर वालों की अपेक्षा इन मवेशी अस्पतालों की अधिक ज़रूरत पड़ती है और आज यह सुविधा न होने से हमारे गरीब किसानों को अपने बछड़ों, बैलों और गायों का इलाज कराने के लिए २०, ३० मील तक का सफ़र करना पड़ता है । मेरा तो कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यह चीज़ पूरी तरह न कर सके तो प्रान्तीय सरकारों को इसके लिए आवश्यक आदेश दिया जाय ताकि वे अपने यहां पर इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करें ।

दूसरे हमारे कर्मचारी लोग ठीक से काम नहीं करते क्योंकि उनको डर नहीं है । हमारे शासन में बहुत ढिलाई आ गयी है । हम इतने कमजोर हो गये हैं कि ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाते कि सही काम हो । आजकल किसी के अन्दर डर नहीं है । अगर उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती । अगर रिपोर्ट दफ्तर में जाती है तो वह घर से दस सेर घी या सौ रुपये ले जा कर दे देता है और वह रिपोर्ट नहीं मिलती । कोई कार्य ठीक तरह से नहीं हो रहा है । भ्रष्टाचार से तो नाक में दम है ।

हमारे पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी को रोकना चाहिए । लेकिन मैं तो समझती हूं कि भगवान भी उतर आवें तो यह काम नहीं हो सकता । पहले आप यह नियम बनायें कि जो ५० या ६० साल के हैं वे दूसरी शादी न करें । पहले इसके लिए नियम बनावें तब फिर नवयुवकों के लिए कानून बनाइयेगा । बहुत से बूढ़े तीन तीन औरतें रखे हुए हैं । मैं झूठ नहीं बोलती । अगर आया रखते हैं अपनी सेवा के लिए तो साल भर में उसके बच्चा हो जाता है और वह रानी बन जाती है । तो पहले इन ५० और ६० साल की उम्र वालों के लिए कानून बनाइये तब नवयुवकों के लिए बना सकते हैं । यह बात तो शहरों की हुई ।

देहात में तो किसान ज्यादा हैं । अगर आपने किसानों के लिए यह कानून बनाया तो उनकी खेती की रक्षा कौन करेगा । जब तक कि किसान के ६ या ८ बच्चे न हों तब तक उसके खेत की रखवाली नहीं हो सकती । एक चाहिए गायों के लिए, एक चाहिए हार के लिए, एक चाहिए रात के लिए, एक चाहिए दिन के लिए । तो वहां तो यह कानून नहीं चल सकता । अगर आप देहातों में यह कानून लागू करेंगे तो वहां पर पैदावार नहीं होगी और अगर पैदावार नहीं होगी तो देश की रक्षा कैसे होगी । किसान गल्ला पैदा करता है और उसी से देश का काम चलता है । जब तक किसान गल्ला पैदा नहीं करेगा तब तक देश की रक्षा नहीं हो सकती । तो आपको किसानों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए, उनके मवेशियों की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छी नस्ल के मवेशी हों । इसकी ओर आप ध्यान नहीं देते और न इस मामले में उनकी कोई सुनवाई होती है ।

[श्री सहोदरा बाई राय]

मैं बोलना तो बहुत चाहती थी लेकिन मेरे पास समय कम है। मुझे देहात के बारे में बहुत कुछ कहना था। अगर एक घंटे का समय दिया जाता तो मैं सब बातें आपके सामने रखती। मैं मंत्री जी से इतना ही कहना चाहती हूं कि वे देहातों की ओर ध्यान दें जिससे किसान की उन्नति हो, भ्रष्टाचार न हो और प्राइवेट में दवायें न बेची जायें। डाक्टर प्राइवेट में दवा बेच देते हैं आप कभी निरीक्षण नहीं करते। मरीज मारे मारे फिरते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इस तरफ ध्यान दें।

श्री अब्दुल लतीफ (बिजनौर): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपन मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं कोई बड़ी लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मुझ से पहले बोलने वालों ने मेरा काम बहुत हलका कर दिया है। अब तो मैं सिर्फ आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कालिज के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। और इसकी मुख्तसिर हिस्ट्री बयान करना चाहता हूं कि किस सन् में यह कायम हुआ और किस तरह यह चला। सन् १९०३ में इसकी बुनियाद मकतब की शक्ल में रखी गयी। यह तिब्बिया कालिज की शक्ल में न था। सन् १९१७ में इस कालिज के लिए ४० एकड़ जमीन करौल बाग में ली गयी उस वख्त हकीम अजमल खां साहब सेक्रेटरी, और रायबहादुर लाला शिव प्रसाद साहब कालेज के सदर मुकर्रर हुए उसके बाद सन् १९२१ में यह तैयार हुआ। महात्मा गांधी जी ने इसका इफ्तताह किया। उस वक्त से जो खिदमात की हैं इस कालिज ने वे सब पर रोशन हैं। लेकिन हकीम अजमल खान साहब के इन्तकाल के बाद इसकी हालत बहुत नागुफ्ताबे हो गयी। मेरी दरखास्त है और मेरा सजेशन है कि आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कालिज को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले और उसको रिसर्च कालिज बनावे। और ज्यादा से ज्यादा इमदाद जो उसकी दी जा सकती हो वह गवर्नमेंट दे और इसका काम हकीम अजमल गांधी ममोरियल सेंट्रल रिसर्च कालिज रखा जाये।

मैं इस वक्त एलोपैथी की या दूसरे तरीके इलाज की कोई मुखालिफत करने के वास्ते खड़ा नहीं हुआ हूं और न इसका मौका और महल है। अभी लेडी मेम्बर साहिबा ने जो कि खुद डाक्टर हैं आयुर्वेदिक और यूनानी तरीके इलाज पर कुछ ऐतराज किया था। मुझ को इस सिलसिले में एक शेर याद आता है :

गुलो गुलचीं का गिला बुलबुले खुश लेहजा न कर,

तू गिरफ्तार हुई अपनी सदा के बायस।

आज हममें वह लोग भी मौजूद हैं जो यूनानी और आयुर्वेदिक तरीके इलाज की मुखालिफत कर सकते हैं। मैं चन्द मिसालें आपने सामके पेश करना चाहता हूं। हकीम अजमल खां साहब देहरादून में थे और एक साहब आये। उसके लड़के के पेट में तीन रोज से दर्द है। तमाम डाक्टर जवाब दे चुके हैं। उनको अपने लड़के की जीश्त की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। हकीम अजमल खान साहब को बुलाते हैं। वहां फीस का कोई सवाल ही नहीं था। हकीम साहब फरमाते हैं कि देखो तुम्हारे यहां उड़द की दाल है। वह कहते हैं जी हां। उन्होंने कहा कि दाल को हंडिया में डालो और उसको पकाओ। जब पानी खूब गरम हो जाये तो उसका पानी मरीज को दो। पानी मरीज को दिया गया और एक घंटे में मरीज को आराम आ गया।

मिरगी एक ऐसा मर्ज है कि जिसका आजतक डाक्टरी में कोई इलाज नहीं है। एक मरीज को ३० दौरे रोज पड़ते थे। हकीम अजमल खां साहब के सामने वह मरीज लाया गया। उनके इलाज से उसके २९ दौरे खत्म हो गये। इसी दरम्यान में हकीम साहब को इंगलैंड जाना पड़ा, जो एक दौरा रह गया था वह हकीम मुहम्मद अहमद साहब के इलाज से ठीक हो गया। आज तक ऐलोपेथी में मिरगी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन इससे मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं ऐलोपथी की मुखालिफत कर रहा हूं। लेकिन आज हिन्दुस्तान के अन्दर करोड़ों लोगों की यह आवाज है कि अंग्रेजी दवा हमें मुआफिक नहीं आती। और अब तो दवा का सवाल ही नहीं है। आप डाक्टर के पास जाइये वह इंजेक्शन देते हैं और उसका पूरा कोर्स देते हैं और हर इंजेक्शन के दाम हैं पांच रुपये। डाक्टर को बुलाने की फीस अलग। हमारे जैसे छोटे-छोटे जिलों तक में डाक्टर की फीस दस रुपया है। अब उनके पास कोई और इलाज बाकी नहीं है। सिर्फ एक इलाज बाकी रह गया है इंजेक्शन का। और मेदे और जिगर का इलाज यह रह गया है कि अस्पताल में दाखिल करो और रबड़ की नलकियां डालकर देखा जाता है कि क्या मर्ज है। मैं आपसे अर्ज करूं कि कनखल के राम चन्द्र बैद्य और बिजनौर के हकीम रहीमउल्ला साहब के जिगर और मेदे की बीमारियों के लिए एक एक आने के नुस्खे होते थे। आज हालत यह है कि हम डाक्टरी इलाज नहीं करा सकते। आज मिडिल क्लास की हालत तबाहकुन है और वह इस इलाज का खर्चा बर-दाश्त नहीं कर सकता। मगर हमारी जो कुछ तवज्जह है वह मैडीकल कालिज की तरफ है। इस तरफ नहीं है कि सस्ते से सस्ता इलाज किया जा सके। मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यूनानी और आयुर्वेदिक तरीके इलाज के साथ सौतेली मां जैसा तर्ज अख्तयार नहीं किया जाये। यह एक आपकी अमानत है। मैंने जो सजेशन रखा है अगर इसको मान लिया जाये तो महात्मा गांधी और अजमल खां साहब की यादगार भी कायम हो सकती है और एक रिसर्च कालिज भी कायम हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को अपने हाथ में ले।

जैसा कि मैंने पहले आप से अर्ज किया है, मेरा मकसद यह हरगिज नहीं है कि मैं एलोपेथी को कोई मुखालिफत कर रहा हूं, लेकिन हजूर, अब तो यह आलम हो गया है कि एक कम्पाउंडर निकला और वह एक डाक्टर हो गया, एक हकीम ने सर्टिफिकेट दे दिया और वह हकीम हो गया, एक वैद्य ने सर्टिफिकेट दे दिया और वह वैद्य हो गया और जहां तक होम्योपैथ्स का सवाल है, जिधर देखिए, वहां कितने ही ऐसे लोग बैठे हैं, जो कहते हैं कि हम दस-दस साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको सर्टिफिकेट दिलाइये। इसका नतीजा यह है कि बजाय इसके कि मुल्क में रहने वालों की तंदरुस्ती और सेहत में इजाफा हो, ऐसे लोगों की वजह से उनको नुक्सान हो रहा है। इस लिए लोगों के फलाह-व-बहबूद के लिए सब से पहला कदम यह उठाया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को कानूनन बैन किया जाय और जिनके पास खास खास कालेजों की सनद नहीं हैं, उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत न दी जाये।

मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि तिबिया कालेज को रिसर्च कालेज की शक्ल में तब्दील कर दिया जाय और सैंट्रल गवर्नमेंट खुद उसको रन करे। उसको इस वक्त दिल्ली स्टेट से डेढ़ लाख रुपया मिलता है। लाला मदन मोहन लाल आयुर्वेदिक रिसर्च ट्रस्ट से उसको बारह हजार रुपया सालाना मिलता है और कुछ हिन्दुस्तानी दवाखाने से मिलता है। उसकी हालत यह है कि इस वक्त उसका काम चलना मुश्किल है। मेरी दरख्वास्त यह है कि कालेज का नाम गांधी अजमल आयुर्वेदिक यूनानी रिसर्च कालेज रखा जाय और उसको ज्यादा से ज्यादा तरक्की दी जाये। मैं किसी की मुखालिफत नहीं करता हूं, लेकिन मैं अर्ज करना

[श्री अब्दुल लतीफ]

चाहता हूं कि एलोपैथी के तरीका-ए-इलाज को ज्यादा एनकरेज न किया जाये और अपनी हजारों बरस की जो यादगार हिन्दुस्तान में है, उसको मिटाया न जाये। आप से उम्मीद है—आप से पहले हैल्थ डिपार्टमेंट जिनके पास था, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन आपसे उम्मीद की जा सकती है—कि आप ज्यादा से ज्यादा इसकी इमदाद करेंगे। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि स्वास्थ्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि देश की ग्रामीण जनता को शुद्ध जल पहुंचाने की दृष्टि से द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में करीब २८ करोड़ रुपये रखे गये हैं और शहर वालों को पानी उपलब्ध करने के लिये करीब ५७ करोड़ रुपये रखे गये हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष गर्मी के दिनों में सारे देश में जो कुछ हुआ, वह सारे सदन को ज्ञात है। बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी गर्मी पड़ी कि वहां के अधिकांश कुंए सूख गये और लोगों को पीने तक को पनी न मिला और जो पानी मिला भी, तो वह कीचड़ मिला हुआ मिला। इस वजह से पिछले वर्ष गर्मी में लाखों जानवरों और सैंकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सचमुच ही एक स्वतंत्र देश के लिये यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस देश में भरपेट भोजन और शिक्षा न मिले, वहां पर लोग जल के अभाव में तरस तरस कर अपने प्राण दें। इस से ज्यादा दयनीय स्थिति किसी देश के लिये और क्या हो सकती है। मैं समझता हूं कि विश्व भर में भारतवर्ष ही एक ऐसा अभागा देश रह गया है, जिस में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि एक दो महीने बाद जो भीषण गर्मी पड़ेगी, उस में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पानी उपलब्ध किया जाये। शहरों के लिये तो सरकार ने इन्तजाम कर रखा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस प्रतिवेदन में लिखा है कि लोगों को पानी उपलब्ध करने के लिये २२३ योजनायें पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का तीसरा चरण समाप्त होने जा रहा है, उस में कुछ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और कुछ रखे रह जायेंगे और ये योजनायें धरी की धरी रह जायेंगी। मैं समझता हूं कि यह स्थिति बड़ी भयावह है और इस पर निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय को अभी से विचार करना चाहिये।

इस के साथ ही साथ जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, हमारे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वास्थ्य सम्बन्धी जो नीति है, उस में शहरी क्षेत्रों की जनता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिये, जो कि जन-संख्या का बहुत बड़ा भाग है, चिकित्सा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जो कुछ व्यवस्था इस सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता से पिछले ग्यारह बरसों में की है, वह इतनी अपर्याप्त है कि जनता उस से लाभ नहीं उठा सकती। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। कानपुर जिले में जिस का इस सदन में प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं ने देखा है कि आप ने राज्य चिकित्सालय खोल रखे हैं। उन में तीन चार चिकित्सालय ऐसे हैं, जिन में एक वर्ष तक कोई डाक्टर नहीं रहा। मरीज वहां आते रहे, कम्पाउण्डर बैठे रहे, दवाइयां रखी रहीं, लेकिन वहां पर कोई डाक्टर न रहा। यह बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय चाहे राज्य सरकार की सहायता से अपना कार्य करता हो, लेकिन इस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था रखने से यह अच्छा है कि वहां कोई व्यवस्था ही न हो, और अगर कुछ व्यवस्था की जाये, तो वह समुचित रूप से होनी चाहिये।

इस सदन का ध्यान विशेष रूप से राजयक्ष्मा की ओर आकर्षित हुआ है। कुष्ठ रोग और दूसरे रोगों के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। सारे संसार में भारतवर्ष ऐसा देश है, जहां राजरोग से मरने वालों और बीमार होने वालों की संख्या सब से अधिक है। विश्व भर में यहां से अधिक मृत्यु-संख्या कहीं नहीं है। और हमारे देश में जहां सब से ज्यादा लोग टी० बी० से पीड़ित रहते हैं और मरते हैं, वह कानपुर नगर है। इस से सिद्ध हुआ कि विश्व भर में कानपुर नगर ऐसा है, जिस में टी० बी० से ग्रस्त लोगों की संख्या सब से ज्यादा है, लेकिन वहां पर एक मेडिकल कालेज बना रखा है। करोड़ों रुपये उस को अनुदान दिया जाता है, लेकिन वहां पर सब मिला कर ७२ चारपाइयों का प्रबन्ध है, जहां टी० बी० के पेशेन्ट्स का इलाज हो सकता है। ३६ हजार व्यक्ति प्रति वर्ष टी० बी० से पीड़ित होते हैं और ठीक चिकित्सा न होने के कारण काल के गाल में चले जाते हैं। अभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ कि पिछले एक सप्ताह में १७ व्यक्ति टी० बी० से मर गये। मैं समझता हूं कि वहां के मेडिकल कालेज में अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस बात की आवश्यकता है कि कानपुर नगर में, जहां गंगा नदी का सुन्दर तट है और स्थान अच्छा है, अलग से एक टी० बी० का अस्पताल होना चाहिये। गत वर्ष भी मैं ने इस सम्बन्ध में निवेदन किया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। सारे उत्तर प्रदेश में टी० बी० पेशन्ट्स के लिये सिर्फ एक भुवाली सैनेटोरियम बना रखा है, लेकिन वहां पर सिर्फ बड़े लोग ही जा सकते हैं। अब राजरोग बड़े लोगों को ही नहीं होता है—वह गरीबों को होता है। इस लिये सारे संसार में जहां टी० बी० से मरने वालों की संख्या सब से अधिक हो, वहां टी० बी० अस्पताल न हो, यह एक शोचनीय स्थिति है। मंत्रालय इस पर विचार करे और वहां पर ऐसी व्यवस्था करे कि जनता को संतोष हो सके और उन गरीब पीड़ित लोगों को इस रोग से बचाया जा सके, जिन के पास धन का अभाव है।

इस सदन में उन स्नातकों के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हुई, जिन्होंने इन्टेगरेटिड कोर्स पास किया—जिन्होंने आयुर्वेदिक और ऐलोपेथिक प्रणालियों की शिक्षा प्राप्त की है। कई राज्य सरकारों ने ऐसे कालेज खोल रखे हैं और विद्यार्थी वहां से परीक्षा पास कर के निकलते हैं। बम्बई और सौराष्ट्र में ऐसे स्नातकों ने बड़ी क्षमता के साथ लोकल बोर्ड्ज में स्थान ग्रहण किया हुआ है और सुचारु रूप से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन की बड़ी अधोगति है। मेडिकल कौंसिल केवल एम० बी० बी० एस०—ऐलोपैथिक स्नातकों की डिग्री—को रेकगनाइज करती है। यहां तक कि इस प्रकार के इन्टेगरेटिड कोर्स के स्नातकों के रजिस्ट्रेशन—पंजीकरण—के लिये कोई संस्था नहीं है। अगर वे विदेश में जाना चाहें, तो चूंकि इंडियन मेडिकल कौंसिल उन को रेकगनाइज नहीं करती है, इस लिये वे ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में पढ़ने के लिये नहीं जा सकते हैं। यहां तक जो अच्छे अच्छे स्नातक निकलते हैं, यूनिवर्स्टी से उनका सम्बन्ध न होने के कारण कोई उनको प्रश्रय नहीं मिलता है, कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उनके आगे पढ़ने का प्रबन्ध नहीं हो पाता है। हजारों की संख्या में इस तरह से स्नातक निकले हुए हैं, जोकि इधर उधर घूम रहे हैं। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि एक संस्था बने जिसमें से जो छात्र निकलें वे पंजीकृत हों, उन की पढ़ाई का विशेष प्रबन्ध हो और अगर वे विदेशों में जाकर आगे पढ़ना चाहें, तो सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये, उनको आगे पढ़ने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। इस प्रकार की अगर हम व्यवस्था कर देंगे तो जो भावना इस वक्त देश में फैल रही है कि आयुर्वेदी के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है और आयुर्वेदी और एलोपेथी की जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, वह खत्म हो जायेगा। इस तरह से अगर आप इसको पैट्रनाइस करेंगे, प्रोत्साहन देंगे तो देश में एक नया आदर्श कायम हो सकता है।

होम्योपेथी के सम्बन्ध में मैं ने गत वर्ष एक प्रश्न उठाया था। मैं ने कहा था कि इंडिजिनस सिस्टम आफ मैडिसिन के बारे में, आयुर्वेदी के दारे में, होम्योपेथी के बारे में और यूनानी के बारे

[श्री जगदीश अवस्थी]

में आपने क्या किया है तो मुझे बता दिया गया था कि चोपड़ा कमेटी बैठी थी, दवे कमेटी बैठी थी, पंडित कमेटी बैठी थी और उनकी रिपोर्टें आई हैं। मैं समझता हूं कि हर प्रश्न पर जब कोई आवाज उठाई जाती है, किसी प्रश्न के बारे में कहा जाता है तो लोगों को शान्त करने के लिये कुछ समय के लिये एक कमेटी की नियुक्ति कर दी जाती है, कमेटी बना दी जाती है। इस के बाद जो रिपोर्ट आती है, वह समाचारपत्रों में तो प्रकाशित हो जाती है लेकिन जहां तक उसको अमल में लाने की बात है, उसको अमल में नहीं लाया जाता है और गवर्नमेंट उस पर सो जाती है। जब माननीय सदस्यों द्वारा कई बार याद दिलाया जाता है, तब जा कर कहीं गवर्नमेंट की आंख खुलती है। यही बात स्वास्थ्य मंत्रालय के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इसने चोपड़ा कमेटी बिठाई, दवे कमेटी बिठाई, पंडित कमेटी बिठाई और इन सब कमेटियों ने उसको अपनी रिपोर्टें दीं। मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये जो कमेटीस की सिफारिशें हुई, जो रिकोमेंडेशंस हुई हैं, इनको कहां तक लागू किया गया, कहां तक इनको कार्यान्वित किया गया ? पिछली मर्तबा जब मैं ने प्रश्न उठाया कि इस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री ने तो नहीं लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया कि मैं एक रोगी के साथ, उसकी जिन्दगी के साथ, खिलवाड़ होते नहीं देख सकता। प्रश्न उठते हैं कि आयुर्वेदी या यूनानी या होम्योपेथी ये वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालियां हैं या नहीं हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि आप ने जो कमेटियां बिठाईं उन सभी कमेटियों ने जब सर्वसम्मति से, यूनैनिमसली यह कह दिया है या घोषणा कर दी है कि आयुर्वेदी, होम्योपेथी और यूनानी पद्धतियां जो हैं, ये वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालियां हैं, तो फिर बहस क्यों होती है। यह बन्द होनी चाहिये। जो विवाद खड़ा किया जाता है, यह खत्म होना चाहिये। आप स्वयं कमेटी बिठाते हैं और जो वह कमेटी कहती है, उसको आप नहीं मानते हैं, इससे बड़ी दुःख की बात क्या हो सकती है।

आप लाखों रुपया आयुर्वेदी के लिये खर्च कर रहे हैं, या उसके नाम पर खर्च कर रहे हैं। इस के विपरीत आप करोड़ों रुपया एलोपेथी के लिये अनुदानों के तौर पर दे रहे हैं। लोगों को संतुष्ट करने के लिये आप लाखों रुपया ही आयुर्वेदी के लिये देते हैं जोकि बिल्कुल अपर्याप्त है। मैं चाहता हूं कि आप और अधिक रुपया इसके लिये रखा करें।

आपने जाम नगर में एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। क्या आप समझते हैं कि इतने बड़े देश के लिये, जिसकी जनता आज भी और ९० प्रतिशत जनता आज भी विभिन्न शिक्षा प्रणालियों से चाहे वह आयुर्वेदी हो, चाहे होम्योपैथी हो चाहे एलोपेथी हो, लाभ उठाती है, फायदा उठाती है, उस के लिये यह एक इंस्टीट्यूट काफी है ? मैं समझता हूं कि उस के लाभ के लिये इस सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सचमुच जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की क्या स्वास्थ्य के बारे में नीति है, यही अभी निश्चित नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय भूल भुलैय्यां में पड़ा हुआ है और जानता नहीं कि किधर जा रहा है। आजाद होने के पश्चात् भी हम देख रहे हैं कि जिस को एलोपेथी कहते हैं, जिस को एलोपेथिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं, उसको विशेष तौर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि हमें एलोपेथी का विरोध करना चाहिये या मैं एलोपेथी का विरोधी हूं। लेकिन उस के साथ ही साथ जो जनता की आवाज है, जो जनता की भावना है कि इस देश के अन्दर आयुर्वेदी रहे, उस को प्रोत्साहन मिले और इससे कितने ही लोक लाभ उठाते हैं, उसका भी हमें आदर करना चाहिये और उस के लिये जो कुछ हो सकता है करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाये।

आपने आयुर्वेदी के लिये जामनगर में एक कालेज खोला है। वहां पर अन्वेषक आदि हैं और अन्वेषण वहां पर होता है। उसके साथ ही साथ आपका यह कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के आयुर्वेदी कालेज खुलें और उनको आप सहायता दें। यहां पर विभिन्न प्रकार की प्राचीन औषधियों के बारे में शोध खोज का कार्य भी होना चाहिये और उनके बारे में निर्णय लिये जाने चाहियें और उनका प्रचार होना चाहिये।

होम्योपेथी के बारे में भी यहां कहा गया है। मैं समझता हूं कि होम्योपैथी दवाइयां एलोपेथी दवाइयों से निश्चित रूप में सस्ती पड़ती हैं। होम्योपैथी के लिये भी अगर आप एक मैडिकल काउंसिल बना दें जोकि डाक्टरों को पंजीकृत करे और इस सिस्टम को भी अगर आप पेट्रनाइस करें, इसको भी प्रोत्साहित करे तो अच्छा होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है और जो सुझाव दिये हैं, उन पर आप निश्चित तौर पर विचार करेंगे और मैं चाहता हूं कि देश के अन्दर ऐसी स्वास्थ्य योजना होनी चाहिये जिस से प्रत्येक देश का नागरिक चाहे वह गरीब हो अथवा सम्पन्न, जिस के पास साधन हों या न हों, बीमार होने की अवस्था में दवाई ले सके, अपना इलाज करवा सके। यह बात मैं मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर खास तौर पर डाक्टरी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें। वे लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होती है, तब तक स्वास्थ्य मंत्रालय यह दावा नहीं कर सकता है कि वह सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहा है।

अन्त में मैं परिवार नियोजन के सम्बन्ध में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इसकी बहुत चर्चा होती है और कहा जाता है कि परिवार नियोजन होना चाहिये। इस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। आप रुपया तो खर्च करते हैं लेकिन आपने बहुत सा स्टाक रख छोड़ा है और बहुत सा रुपया इस पर खर्च हो जाता है। इतना होने पर भी आप अभी तक परिवार नियोजन के मामले में सफल नहीं हुए हैं। देश की आबादी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। इस के बारे में जैसा कि एक महिला सदस्य ने भी कहा है हर पहलू से विचार करना होगा। परिवार नियोजन का विषय एक बहुत कोमल विषय है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ शिष्ट भाषा में बात करनी होगी ताकि वे ठीक ढंग से इस चीज को समझ सकें। अगर हम ऐसा न कर सके तो परिवार नियोजन एक मखौल बन कर रह जायेगा, एक हंसी बन कर रह जायेगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री एक मनोवैज्ञानिक ढंग अपनायें, सही ढंग अपनायें ताकि लोग इसको ठीक ढंग से समझ सकें। योजना ऐसी नहीं होनी चाहिये कि उसका परिहास हो।

इतना कह कर मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर विचार करेंगे।

घरेलू कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: मुझे सूचना मिली है कि घरेलू कर्मचारियों के विरोध और उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से मुझे कुछ कहना है। मैं समझता हूं कि उस दिन मैं ने जो कुछ कहा था उस के अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं कहना है। मेरा विचार है कि इन कर्मचारियों की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उनकी अवहेलना कर सकें। मेरे विचार में इनकी स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ करने की आवश्यकता मालूम होती है। सम्भवतः इन कर्मचारियों के सुसंगठित प्रयत्नों से ही कुछ लाभदायक परिणाम निकल आयें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार को कोई हस्तक्षेप करना चाहिये और क्या कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में कोई विधि होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इस पर वचार करेंगे और परामर्श भी लेंगे। इसका क्या परिणाम होगा यह नहीं कह सकता हमारे सामने जो परिस्थितियां उन्होंने रखी हैं उनके बारे में कोई नियम आदि बनाने की संभावनाओं की हम जांच करने का इरादा रखते हैं। इसका विचार करते समय इतना अवश्य है कि इन घरेलू कर्मचारियों की कठिनाइयों एवं उनकी आवश्यकताओं के प्रति हमारी सहानुभूति है। इस के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : क्या घरेलू कर्मचारियों की समस्या का प्रश्न परामर्शदात्री समिति में विचारार्थ रखा जायेगा जहां कि सरकारी तथा गैर-सरकारी पदाधिकारियों के बीच वादविवाद किया जा सके ?

†**श्री नन्दा** : मेरा विचार इस प्रश्न को परामर्शदात्री समिति तथा भारतीय श्रम सम्मेलन में रखने का है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि इस समय इतना ही काफी है। मैं समझता हूं कि इस वक्तव्य के आधार पर घरेलू कर्मचारियों के परामर्शदाता अनशन तोड़ने के लिये कर्मचारियों को समझा सकेंगे। हम सब उनके कल्याण में रुचि रखते हैं। अतः यह अपील उन कर्मचारियों तक जायेगी और अनशन करने वाले उनके नेता अपना अनशन समाप्त कर देंगे।

अनुदानों की मांगें

स्वास्थ्य मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी प्रतीक्षा के बाद आप की दृष्टि मुझ पर पड़ी इस लिये मैं आप का आभारी हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों के विषय में जो चर्चा इस समय चल रही है उस पर मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं और उन में से बहुत से ऐसे हैं जिन से मैं सहमत हूं। परन्तु यह सोच कर कि समय का अभाव है औरउ न का दोहराना किसी हद्द तक ठीक नहीं है, मैं सिर्फ उन चन्द बातों की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा जिन पर अभी तक शायद सदन के सामने कोई विचार नहीं रक्खा गया और जो मेरे मन में घूम रहे हैं।

सब से पहली बात जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि अगर भारत सरकार का यह ख्याल है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये जो कि करीब करीब ४० करोड़ के है उस को जो धन राशि इस समय स्वास्थ्य के लिये दी गई है या भविषय में दी जा सकती है उस से जनता को स्वास्थ्य के वे तमाम लाभ मिल सकेंगे जो कि एक आजाद मुल्क के अन्दर होने चाहियें, तो मुझे इस में बहुत शुबहा है। इसी लिये बार बार यह बात सोचनी पड़ती है और समझनी पड़ती है कि अगर भारतवर्ष को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हमें जितनी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देनी है उस का हम ध्यान रक्खें तो हमें अपनी रट में से निकलना होगा। यह कहना मुनासिब हो सकता है कि हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में ऐलोपैथी बहुत काफी ऊंचे दर्जे तक पहुंच गई और हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में विज्ञान ने ऐलोपैथी को काफी ऊंचा दर्जा दिया है। मगर मैं आप के समक्ष यह बात रक्खूंगा कि हमारे देश में अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलोपथी के बल पर ही यह कोशिश की कि भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक हम जनता को स्वास्थ्य लाभ करा सकेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल असम्भव है, और आज की ही स्थिति में नहीं, आने वाली वाली स्थिति में भी, मैं समझता हूं कि इस बात की परम आवश्यकता है कि हम अपने विचार को, अपने दृष्टिकोण को, जहां तक इंडिजिनस सिस्टम का ताल्लुक है, बदलें। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि हर साल एक बार मौका आता है और सदन में बहुत से सदस्य अपने अपने विचार बड़े जोरों से रखते हैं और मंत्री महोदय भी उन को बड़े धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं। मगर जहां तक इंडिजिनस सिस्टम का ताल्लुक है, जो जवाब या रिस्पांस उन की तरफ से आना चाहिये, या जो कदम उन की तरफ से उठाये जाने चाहियें, बदकिस्मती से वे नहीं उठाये जाते। और अगर कुछ उठाते भी हैं तो वह इतने ढीले और कमजोर होते हैं कि उन से हम किसी हद तक आगे जा सकते हैं, यह यकीन हम को नहीं होता। मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में पुनः विचार करना चाहिये और सही मानों में देश के सामने जिस तरीके के भी इलाज हैं, ऐलोपैथिक, आयुर्वेद या यूनानी इलाज, उन के पचड़ों से निकल कर ऐसे तरीके अपनाने चाहियें जो कि देश को अरोग्य की तरफ ज्यादा तेजी से ले जा सकते हैं।

यहां कहा गया कि ऐलोपैथिक इलाज की जरूरत इस देश को ज्यादा है, विज्ञान भी उसे एक ऊंची जगह देता है, लेकिन यहां यह भी बताया गया कि यूनानी, आयुर्वेदिक और होमियोपैथी इलाज भी उतने ही साइंटिफिक तरीके के हैं और जनता ने उनको सही मानों में अपनाया है और उनके मुताबिक जिन्होंने इलाज किया या कराया उनको बहुत काफी फायदा हुआ, आराम मिला। अब यहां पर यह सवाल जरा मुश्किल सा हो जाता है कि चन्द लोगों ने यह कहा कि फलां तरीका इलाज का अच्छा है और दूसरे लोगों ने यह कहा कि फलां तरीका ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी यह बात माननी पड़ेगी कि हमारे भारतवर्ष की सरजमीन पर अगर कोई इलाज घर घर या गांव-गांव में अपनाया जा सकता है तो वह ऐलोपैथिक नहीं है बल्कि आयुर्वेदिक है। और इसलिये मैं उसकी पुरजोर ताईद करना चाहता हूं। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मंत्रालय यह समझता है कि जिन हाथों में उसने आयुर्वेदक को बढ़ाने का काम दिया है उन हाथों से यह पनप सकेगा और बढ़ सकेगा, तो मैं कहता हूं कि उनके हाथों से उसका काम नहीं चलेगा। कोई भी चीज चलती तब है जब कि उसको चलाने वालों का उस पर यकीन हो। अगर आप उस पर यकीन न रक्खें तो आप उसको कैसे आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आज जरूरत इस बात की है कि वह इस मुल्क के आम लोगों की राय पर अमल करें। उन्होंने एक सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आयुर्वेद या यूनानी सिस्टम के लिये जामनगर में बनाया है। लेकिन जैसा मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा, मैं भी समझता हूं कि इस मंत्रालय के इतना करने पर भी वहां पर जो कुछ हो रहा है वह इतने बड़े मुल्क के लिये बिल्कुल नाकाफी है। और न वह इन्स्टीट्यूट इस सिस्टम का मुकाबला कर सकता है जो कि आज हमारे मुल्क में मौजूद है। इसलिये मेरी नाकिस राय में सरकार को चाहिये कि जहां तक यूनानी, होमियोपैथिक या आयुर्वेद का सवाल है, जिनको इंडिजिनस सिस्टम कहा जाता है, उनको इस सेक्रेटेरियट से, जो कि एलोपैथिक सिस्टम को तरक्की देना चाहता है, बिल्कुल अलग कर दें। जो हमारे मुल्क के उपचार के तरीके हैं यूनानी या तिब उनको प्रोत्साहन दिया जाय। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि इससे भी ज्यादा जरूरत मैं नेचर क्योर की समझता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि सभी मुल्कों का इंडिजिनस सिस्टम है और चन्द मुल्कों में शायद हमारे यहां से भी ज्यादा रायज है। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में काफी

[श्री राधा रमण]

ऐसे लोग हैं जो कि इंडिजिनस सिस्टम से अपना इलाज करते हैं और ऐसे बहुत से हकीम हैं जो नेचर क्योर सिस्टम से अपना बहुत से रोगों का इलाज कर सकते हैं। इसके बारे में शायद किसी ने भी इस सदन में नहीं कहा है हालांकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस पर बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। मैं तो समझता हूं कि डा० सुशीला नायर को इस तरफ आपकी तवज्जह ज्यादा दिलानी चाहिये थी। उन्होंने तो नहीं दिलाया लेकिन मैं इसकी तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि इससे मुल्क का बड़ा लाभ हो सकता है। आज हिन्दुस्तान में कई ऐसे इन्स्टिट्यूशन्स हैं जो नेचर क्योर सिस्टम से इलाज करते हैं। मैं जानता हूं कि आज हुकूमत की तवज्जह इस तरफ कम है लेकिन अगर अनुदान आदि देने का निर्णय हो और लोग इसमें यकीन रखते हों तो क्या वह नेचर क्योर के सिस्टम की स्कीमें इन्वाइट करने को तैयार होगी जिसके बल पर कि नेचर क्योर सिस्टम को फैलाया जा सके ?

मैं इस सिलसिले में एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। मैंने रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक पढ़ा। इस रिपोर्ट को देख कर जो कुछ काम हुआ है अगर उसके लिये हम मंत्रालय को बधाई दें तो वह कोई गैर वाजिब बात नहीं है क्योंकि जो भी उसके साधन हैं और जो धन राशि उसके सामने रखी गई है उसको देखते हुये मानना पड़ेगा कि मंत्रालय जो कुछ भी कर सकता था या जो उसे करना चाहिये था उसमें उसने कोई कसर नहीं उठा रखी है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूं किसी तरफ तो सरकार की रफ्तार तेज है और दूसरी तरफ नर्म है, जैसे कि एक भाई ने मिसाल के तौर पर अर्ज किया, मैं उसे दोहराना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय का यह खयाल है कि बड़ी-बड़ी इमारतें हों देश के अन्दर और उनका इक्विपमेंट अपटुडेट हो और वह इतना अच्छा होना चाहिये कितना कि शायद अमरीका या इंगलैंड में ही पाया जाय। वह सोचता है कि अगर अच्छे अस्पताल बन सकें तो बनाये जायें वरना न बनाये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राधा रमण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे इस पर अपने विचार रखने का मौका मिले। मैं और भी मौकों पर ज्यादा नहीं बोला हूं ताकि मुझे इस डिमान्ड पर अपने विचार रखने का मौका दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मुझे कुछ और लोगों को भी वक्त देना है और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री राधा रमण: मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो पता चलता है कि उन लोगों की तालीम के लिये आज कोई सहूलियत नहीं है जो कि आज दस दस या पन्द्रह-पन्द्रह साल से हकीम या वैद्य का काम कर रहे हैं और उनको काफी तजुर्बा है। वे उससे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं जो आपके किसी भी एल० एम० पी० से कम नहीं हैं। अगर आप उनको नेस्तनाबूद कर दें और उनकी जगह पर नये नये डाक्टर ला कर रख दें और जो भी योग्यता उनमें है वह खत्म हो जाय तो यह ठीक नहीं है। चाहे हकीम हो या वैद्य हो, या डाक्टर हो उनको आपको मदद करनी चाहिये ताकि जो पिछड़े हुये लोग हैं उनको आज की हालत के मुताबिक आप बना सकें। इनके लिये कोई रिफ्रेशर्स कोर्स हों, तालीम देने वाली कोई संस्था हो तो अच्छा है। जो पुराने लोग और गांवों में बैठ कर काम करते हैं उनका उपयोग होना चाहिये। आज आपके बड़े बड़े मेडिकल स्कूल और कालेज खुले हुये हैं जो कि शहरों में हैं। उन मेडिकल स्कूल और कौलेजों में जो लड़के

या लड़कियां पढ़ती हैं उन में से एक भी गांव में ठहरना नहीं चाहती । जो लड़के और लड़कियां डाक्टरी पढ़ कर गांवों में भेजे जाते हैं उनका वहां पर कतई दिल नहीं लगता है और वे वहां काम नहीं करना चाहते और हमेशा अपना ट्रान्सफर गांव से शहर के लिये कराने की कोशिश में लगे रहते हैं । इधर तो हालत यह है और दूसरी तरफ जो आपके पास वैद्य, हकीम मौजूद हैं या आज से दस वर्ष पहले के ऐलोपैथ मौजूद हैं आप उनके साथ बहुत सी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं और एक तरह से उनको बेकार कर देते हैं और नये डाक्टर्स जितने आपको इस काम के लिये चाहियें उतने आपको नहीं मिलते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अर्ज़ करूंगा कि उनको इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जो लोग इस वक्त पिछड़े हुये हैं या इलाज़ के पुराने तरीकों को प्रयोग में लाते हैं । लेकिन वह आज के विज्ञान के मुताबिक अपटुडेट एनफ़ारमेशन या नये तरीक़ये इलाज़ नहीं जानते उनको योग्य बनाने के लिये कोई न कोई सिस्टम होना चाहिये ताकि आप उनकी ख़िदमत का फ़ायदा उठा सकें और उनको इस्तेमाल में ला सकें । अब आज हमारे गांवों में हजारों लोग डाक्टरी इलाज और सुविधा से वंचित रह जाते हैं और उनको कोई शफ़ा नहीं मिल पाती है, भले ही उनको यहां के इर्विन अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल जैसी चिकित्सा की सुविधा न मिले लेकिन मरते हुये आदमी को यदि वक्त पर थोड़ी सी भी राहत मिल जाये और वह मरने से बच जाय तो यह कहीं बेहतर होगा बजाय इसके कि हम अपने दिमाग में यह चीज रख कर प्रोसीड करें कि जब तक हम उनको पूरी तरह से आज के मुताबिक साइंटिफिकली अपटु-डेट डाक्टर्स न बना दें तब तक वह अपना काम रोके रक्खें और गांव वालों को जो थोड़ी बहुत मेडिकल राहत मिल सकती है वह भी उनको न मिले ।

मैं जनाब यह भी अर्ज करूंगा कि यहां पर आपने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि सफदरजंग अस्पताल और विलिंगडन अस्पताल में कुछ बेड्स बढ़ाये गये हैं । मैं मंत्री महोदय और उनके मंत्रालय को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं, विशेष कर के इस सफ़दरजंग अस्पताल ने बहुत खूबी से अपने काम को किया है और मैं इस ख़याल के बिल्कुल ख़िलाफ हूं कि सफ़दरजंग अस्पताल को किसी लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन के सुपुर्द कर दिया जाय क्योंकि इस अस्पताल को मैं एक नमूना मानता हूं । यह सफ़दरजंग अस्पताल बैरेक्स में शुरू किया गया और उसने एक बहुत बड़े इलाके की ज़रूरत को पूरा किया है और मैं कहता हूं कि यह समझ लिया जाय कि खाली बड़ी बड़ी और आलीशान इमारतें बनाने से और काफ़ी रुपया खर्च कर के ही देशवासियों को चिकित्सा की समुचित सुविधा प्रदान करने का ध्येय नहीं है, वह पूरा होने वाला भी नहीं है । मेरा तो कहना है कि मुल्क इस तरह के अत्यधिक खर्चों को बर्दाश्त नहीं कर पायेगा । इसलिये मेरा तो कहना है कि आप ऐसे तरीक़े इलाज और दवायें लोगों को मुहैय्या करें जो कि कम खर्चीली हों और आसानी से लोग उन्हें ले सकें ।

इसके साथ ही आप उन डाक्टरों की सर्विसिज़ इस्तेमाल करें जिन्होंने कि बहुत अर्से तक लोगों का इलाज किया है और आज अगर उनमें आपको किसी किस्म की कमजोरी नज़र आती है तो आप उस ख़ामी और कमज़ोरी को उनके सामने लायें और उसको हटवाने की कोशिश करें लेकिन आपको उनकी सर्विसेज़ का फायदा ज़रूर उठाना चाहिये ।

इसके साथ ही मंत्रालय को आयुर्वेदिक, यूनानी और नेचर क्योर सिस्टम को तक़वियत देनी चाहिये और आपको इन सिस्टम्स को तरजीह देने के लिये एक उन के लिये अलग डाइरेक्टरेट बनाना चाहिये जो कि इस काम को करे ताकि हमारे देश को जो आज सस्ती और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता है वह इनके द्वारा पूरी की जा सके और लोग उनसे लाभान्वित हो सकें। जहां बगैर इंजेक्शनों के इलाज हो सकता है वहां इन सिस्टम्स के ज़रिये लोगों को सस्ती दवाइयां

[श्री राधा रमण]

और इलाज मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि इन पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि हमारे देश के अधिकतर लोग जो कि गरीब हैं वे इनका फ़ायदा उठा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राधा रमण : बस मैं आखिर में दिल्ली के बारे में थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं....

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपकी कोशिश नाकामयाब रहे ?

श्री राधा रमण : मुझे पूरी आशा है कि मैं इसमें कामयाब हूंगा....

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा अब आप खत्म करें।

श्री राधा रमण: मैं एक चीज़ और आपसे अर्ज़ करूंगा। लेप्रासी के बारे में यहां कहा गया। दिल्ली के अन्दर एक लेप्रासी का अस्पताल खोलने की बात कई वर्षों से चली आ रही है लेकिन अभी तक उसके मैटिरियलाइज़ न होने का नतीजा यह है कि यहां के बहुत से लेपर्स शहादरे के पास फेंक दिये गये हैं। मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह उनकी दयनीय और शोचनीय अवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं और मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वे इस बारे में लेप्रेसी के अस्पताल को जल्द से जल्द बनवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही अमल में लायें।

दूसरी चीज़ मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कुतुब रोड़ में बहुत अर्से से दिल्ली में मैला डालने की जगह बनी हुई है और वहां से बादली तक मैले की गाड़ियां जाती हैं। मैं मंत्री महोदय और उनके मंत्रालय की तवज्जह इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह मैले का डंपिंग क़दमशरीफ़ और कुतुब रोड के इलाक़ों के लोगों की सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और उसके कारण सैकड़ों आदमी रोगग्रस्त हो रहे हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता है।

टी० बी० के मुताल्लिक मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ कहा लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारा मुल्क सनत और हिरफत के मैदान में तरक्की करता जाता है वैसे वैसे हमारे देशवासी रोज़बरोज़ अधिक से अधिक संख्या में टी० बी० का शिकार होते चले जा रहे हैं और आज टी० बी० के मरीज़ों को अस्पतालों में दाखिल करने के लिये पर्याप्त बेड्स नहीं हैं और मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि स्वास्थ्य प्रशासन की योजनाओं तथा उसकी क्रियान्विति में बड़ा अन्तर है। १९५६ में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने बताया था कि प्रथम योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये आवंटित धनराशि का पर्याप्त अंश व्यपगत कर दिया गया। तब से तीन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं परन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

दूसरी योजना में केन्द्रीय योजनाओं के लिये १६२७.७८ लाख रुपये का उपबन्ध था। परन्तु पहले दो वर्षों में व्यय होने वाली धनराशि में से १२०.०५ लाख रुपया कम खर्च किया गया। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये ७३९२ लाख रुपये की व्यवस्था थी परन्तु २९७.०९ लाख रुपया कम व्यय किया गया। राज्यों की जिन योजनाओं के लिये केन्द्र धन देता है उनके लिये ५३४०.११ लाख रुपया रखा गया परन्तु २८५.९३ लाख रुपया कम व्यय किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

यहां तक कि महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे देहात में जल संभरण, तपेदिक के क्लिनिक, एक्सरे यंत्रों को लगाने आदि पर भी आवंटित धन में से कम व्यय किया गया ।

मेरे विचार से योजना बनाने तथा योजना की क्रियान्विति में यह अन्तर इसलिये है प्रशासन के किसी स्तर पर वार्षिक योजनाओं को छोटा कर दिया जाता है और इसलिये आवंटित धन राशि व्यय नहीं हो पाती है ।

आज हमारे चिकित्सकों के लिये भी बहुत कम वेतन क्रम रखे गये हैं । इनके वेतन क्रम बढ़ा दिये जायें तो चिकित्सक इन योजनाओं में काम करना पसन्द करे और आवंटित राशि व्यय हो । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि जब भी मितव्ययता की आवश्यकता होती है तभी स्वास्थ्य तथा समाज सेवाओं पर कुठाराघात किया जाता है । मेरा यही कहना है कि हमें जन स्वास्थ्य को सब से महत्वपूर्ण समझना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि स्वस्थ्य मंत्रालय ने कार्य का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति नियुक्त की है । मैं चाहता हूं कि यह समिति हमारी आवश्यकताओं का भी मूल्यांकन करे ।

मैं यह भी चाहता हूं कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता अथवा जहां कहीं भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हों लागू करना चाहिए तथा राज्य सरकारों को भी बाध्य करना चाहिए कि वह इस प्रकार की कोई योजना राज्य में लागू करें ।

ऐसे सुझाव दिए गए कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा डिसपैंसरियों में दवाओं की कुछ कीमत ली जानी चाहिए । घरों पर देखने जाने वाले डाक्टरों के लिए कुछ फीस रखी जानी चाहिए । मैं समझता हूं कि ऐसा किया जाना ठीक नहीं होगा । मेरा तो बल्कि यह सुझाव है कि रेलवे अस्पताल, राज्यों की अस्पताल अथवा जितनी भी स्वास्थ्य सेवायें हैं सबको इसी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत कर देना चाहिए जो समय आने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा हो जाये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवा जो बनाई जा रही है उसमें सभी प्रकार की प्रचलित सेवाओं के कर्मचारियों को ले आना ठीक होगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इतने वर्षों से किसी वर्ष भी ऐसा आभास सभा में नहीं दे पाया है कि उसको बनाए रखना आवश्यक है । और इसीलिए ऐसी भावना फैलती जा रही है कि इस मंत्रालय को समाप्त कर दिया जाये । हाल में ही मैं 'स्वस्थ हिन्द' पत्रिका में दिए आंकड़ों को देख रहा था । उसमें दिया है कि १९४१-५१ में मनुष्य की आयु ५ वर्ष और बढ़ गई । १९४५-५५ को अवधि में ४० प्रतिशत लोग कम मरने लगे । बाल मृत्यु ३० प्रतिशत कम हो गई । हैज़े से ९० प्रतिशत व्यक्ति कम मरने लगे । मलेरिया के मामले ७४ प्रतिशत घट गए ।

मंत्रालय ने इन आंकड़ों को बताकर भुलावा देने का प्रयत्न किया है और महत्वपूर्ण कार्य जो उन्हें करने चाहिएं थे उनको नहीं बताया है । उनमें से एक काम देहातों में जल संभरण है । इस काम के लिए सभा में प्रस्तुत अनुदानों की मांगों में नगरों के लिए जितनी राशि रखी गई है उसकी तिहाई राशि देहातों के लिए रखी गई है । जब कि नगरों की जनसंख्या देहातों से एक चौथाई है । मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है या उनको देश की इस समस्या का पता है । बड़े ही खेद का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के ग्यारह वर्ष बाद

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

भी माननीय मंत्री चुप चाप बैठे रहें और उनको यह पता ही न हो कि देश के कुछ क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में पीने के पानी की कितनी कमी हो जाती है। मेरी यह सब से बड़ी शिकायत है कि इस मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

प्रत्येक वर्ष सदस्य आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में सभायें करते हैं। परन्तु कुछ ऐसा मालूम होता है कि मंत्रालय उनकी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा इसी कारण होता है क्योंकि मंत्रालय का प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में है जिनको ऐसी चिकित्सा पद्धति पर कोई विश्वास नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि ऐलोपैथी में जिन रोगियों की चिकित्सा नहीं की जा सकती है उनको होम्योपैथी जिसका आविष्कार जर्मनी में हुआ था, से की जा सकी है। मैं आशा करता हूं कि आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए इस वर्ष अवश्य कोई निश्चित कदम उठाया जायेगा।

राजस्थान सरकार ने तथा मैंने मंत्रालय को लिखा था कि बीकानेर में एक मैडिकल कालिज बनाया जाये। इस के उत्तर में मंत्रालय ने मुझ लिखा कि राजस्थान सरकार तथा जनता सिद्ध करे कि वह मैडिकल कालिज वास्तव में बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं आगामी सप्ताह में ही माननीय प्रधान मंत्री बीकानेर में मैडिकल कालिज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसलिए मैं अब आशा करता हूं कि वह कालिज के लिए आवश्यक निधियां दे देंग। मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने मैडिकल कालिज के प्राध्यापकों को स्थायी बनाने की भारतीय परिषद् की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। परन्तु साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि वह इसका भी ध्यान रखें और इसको अनिवार्य बना दें कि इन कालिजों का कोई भी डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। मैं तो बल्कि यह चाहता हूं कि सभी सरकारी पदों पर नियुक्त, चाहे वह राज्य सरकार में हों अथवा केन्द्रीय सरकार में हों, डाक्टरों के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस करना बन्द कर दिया जाना चाहिए। इन डाक्टरों के वेतन बढ़ा दिये जाने चाहिएं तथा इनके वेतनों को इंजीनियरिंग कालिजों के अध्यापकों के समान ही कर देना चाहिए।

मंत्री महोदय भारतीय चिकित्सा सेवा बनाने के सम्बन्ध में बहुत दिनों से कह रहे हैं परन्तु अभी तक कोई ठोस काम उन्होंने नहीं किया है। इस प्रकार की सेवा न बनने के कारण ही बहुत दिनों से एक ही पद पर एक व्यक्ति काम करता रहता है। उसे अपनी पदोन्नति का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और कोई ठोस काम करेंगे।

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों में स्वास्थ्य उपमंत्री के निजी सचिव के लिए ३६०० रुपये की व्यवस्था है। इसको प्रत्येक वर्ष दोहराया जाता है जबकि स्वास्थ्य उपमंत्री कोई है नहीं। मैं चाहता हूं कि उनका उपमंत्री के निजी सचिव को बनाये रखने का उद्देश्य क्या है। यदि वह अपना उपमंत्री चाहते हों तो वह भी बेकार होगा क्योंकि उनके पास स्वयं के लिये ही ४ अथवा ५ घंटे से अधिक का काम नहीं है। इसके अतिरिक्त सभा में मंत्रियों की संख्या कम करने की आवाज़ बार बार सुनाई देती है। मेरा अनुरोध है कि उपमंत्री के निजी सचिव के उपबंध को मांग को बनाये रखने का क्या औचित्य है इसको मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

†श्री करमरकर: मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लेकर महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नायर का भाषण सुन कर मुझे ऐसा लगा जैसे वह भूल गये हों कि राज्यों के सम्बन्ध में इस मंत्रालय का क्या कर्त्तव्य है। मेरा विचार था कि वह जानते हैं कि हम किन सिद्धान्तों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं।

सभा को पता है कि केन्द्रीय संघ मंत्रालय का प्रथम कार्य यह है कि राज्यों की सहायता से, उन्हें परामर्श देकर व वित्तीय सहायता देकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य की समस्याओं को जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, क्षय, कोढ़, कैंसर तथा अन्य रोगों को हल करे। मंत्रालय का दूसरा काम है मैडिकल कालेजों तथा गवेषणा योजनाओं की सहायता करके चिकित्सा शिक्षा की वृद्धि करे तथा औषधियों पर नियंत्रण रखे। अभी हाल में हम ने दिल्ली में एक नगर आयोजन संगठन स्थापित किया है तथा एक केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय नगर आयोजन संगठन स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। मोटे तौर पर हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध इन्हीं विषयों से है।

माननीय सदस्यों ने यदि राज्यों के सम्बन्ध में कोई बात कही है, तो ठीक है, हम राज्यों को उस से अवगत करा देंग।

श्री नायर की यह बात सुन कर मुझे बहुत खेद हुआ कि भारत सरकार की कोई स्वास्थ्य नीति नहीं है। उनके कथनानुसार ऐसा पता लगता है कि भोर समिति का प्रतिवेदन तथा अन्तरिम सरकार के काल में प्रधान मंत्री के सभापतित्व में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का कोई महत्व ही नहीं है। स्पष्ट है कि उनको प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं तथा उनके अधीन निर्मित कार्यक्रमों का कोई ज्ञान नहीं है। शायद उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं है कि मलेरिया, क्षय, कोढ़ तथा कैंसर का उपचार करने वाली संस्थाओं को कितनी सहायता दी गयी। मेरा निवेदन है कि स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हमारी जो छोटी सी पुस्तिका निकली है, उसका अध्ययन श्री नायर कर लें, तो बहुत अच्छा हो। क्योंकि तथ्यों की जानकारी के बिना सभा में कुछ भी कहना न सरकार के लिए शोभनीय है और न माननीय सदस्यों के लिए। मैं श्री नायर को बताना चाहता हूं कि हम लोग स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में आत्मतुष्ट नहीं बैठे हैं। अपने साधनों की सीमा में रह कर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे करने में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार के वाद-विवाद में हम आशा करते हैं कि हमें अच्छे सुझाव मिलेंगे ताकि हम आगे प्रगति कर सकें। मैं बार-बार यह नहीं बताना चाहता कि सरकार ने कितनी प्रगति कर ली है। जब हम कहते हैं कि हम ने इतनी प्रगति कर ली है तो उसका श्रेय हम नहीं लेना चाहते क्योंकि यह तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे हम सफल बनाना चाहते हैं। विरोधी दल के सदस्य बहुमुखी प्रगति के लिए जितने आतुर हैं, उतने ही आतुर हम भी हैं। सारी बातों को सामने रखने का उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि कितनी प्रगति हो चुकी है, क्या हमारी त्रुटियां हैं और आगे क्या करना शेष है।

मैंने माननीय सदस्यों की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। उनकी बातों को मैं दो भागों में बांटता हूं (१) महत्वपूर्ण बातें और (२) अन्य बातें जिनका उत्तर बाद में दिया जायेगा।

श्री नायर ने प्राक्कलन समिति की इस बात का जिक्र किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यय में कमी रही। जब वह प्राक्कलन समिति की इस बात से सहमत हैं, तो उन्हें उन बातों से भी सहमत होना चाहिये जो बातें समिति ने मंत्रालय की प्रशंसा में कही हैं।

†**श्री वे० प० नायर :** यह आवश्यक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री करमरकर :** पर सत्यता के आधार पर यह आवश्यक है । माननीय सदस्य को पता है कि कुछ व्यय तो सीधे केन्द्रीय सरकार करती है और कुछ व्यय केन्द्रीय सरकार की सहायता से सीधे राज्य सरकारें करती हैं । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा मंत्रालय सम्पूर्ण आवंट्रित राशि को ठीक ढंग से व्यय करने के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहता है । भीतरी तथा बाहरी वित्त के सम्बन्ध में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी सभा को पता है । पहले जब हमने योजना बनाई थी, तो योजना में काफी बातें रखी थीं पर योजना के दो वर्षों में हमारे सामने भीतरी तथा विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां उपस्थित हो गईं । इस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय के संसाधनों में कमी हो गयी । इस कारण कार्यक्रम में भी कमी करनी पड़ी । राज्यों को भी इस प्रकार कठिनाई का सामना करना पड़ा ।

इस सम्बन्ध में श्री बिष्ट ने जो कुछ कहा, इससे मैं सहमत हूं । हमारे पास जो कुछ भी साधन उपलब्ध हैं, उनका हमें अत्यधिक लाभ उठाना चाहिये । मुझे आशा है कि वर्ष के आय-व्ययक में निर्धारित योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राज्य सरकारें भी पूर्ण प्रयत्न करेंगी ।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मंत्रालय को जो राशि आवंटित की जाती है, उसे अन्तिम पैसे तक व्यय करने के लिये हम भरसक कोशिश करते हैं ।

कोढ़ की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, उनसे मुझे तथा सरकार को बहुत प्रोत्साहन मिला है । हम कोढ़ को समूल नष्ट करने के लिये कटिबद्ध हैं । वार्षिक प्रतिवेदन में जो कुछ भी कहा गया है मैं उसको नहीं दोहराऊंगा । इस प्रतिवेदन में मैंने शुद्ध तत्व रखने का प्रयत्न किया है क्योंकि संसद तथा माननीय सदस्य तथ्य चाहते हैं न कि सुन्दर भाषा । श्री नायर भी यह स्वीकार करेंगे कि इस वर्ष का प्रतिवेदन गत वर्ष के प्रतिवेदन की तुलना में अधिक जानकारी पूर्ण है ।

कोढ़ के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्यों को पता नहीं कि हमारी क्या क्या योजनायें हैं । पहले कोढ़ की समस्या को गैर-सरकारी आधार पर हल किया जाता था और ईसाई मिशनरियों, रामकृष्ण मिशन तथा अन्य लोग ही इस समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे थे । पर प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में बड़ी विस्तृत योजनायें बनाईं । हमारे साधन इतने अधिक नहीं कि हम सम्पूर्ण देश में सहायता केन्द्र खोल सकते, हमने, देहरादून, बंगाल तथा दक्षिण भारत में एक-एक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोले । चिंगलपट में भी हमने एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था खोली है । मद्रास सरकार ने भी वहां एक बड़ी संस्था खोल रखी है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है । वहां पर नयी गवेषणा भी हो रही है जो कोढ़ के रोगियों की चिकित्सा के लिये बहुत उपयोगी होगी ।

इस समय तक ६८ सहायता केन्द्र खोले जा चुके हैं । इनमें योग्य डाक्टर हैं । ये लोग चारों ओर जाते हैं और लोगों की सहायता करते हैं । ये लोग उन लोगों का भी परीक्षण करते हैं जिन्हें कोढ़ होने का शक ही होता है और यदि उन्हें कोढ़ होता है तो चिकित्सा के लिये उन्हें केन्द्र में ले जाते हैं । इसका बहुत लाभ रहा है । लोगों को इस प्रकार की चिकित्सा में बहुत विश्वास है । यह ६८ केन्द्र ५३ लाख जनसंख्या की देख भाल करते हैं । ७६,००० मामलों का पता लगा । अतः यह योजना काफी सफल रही है । अभी हाल में मैं देहरादून के एक केन्द्र में गया था । वहां का

†मूल अंग्रेजी में

डाक्टर बहुत उत्साह से काम कर रहा है। मैंने मेक्लेरन अस्पताल में रोगियों को भी देखा। उन्हें अपनी चिकित्सा के सम्बन्ध में बहुत विश्वास है। उनकी हालत काफी सुधरी हुई है। इस प्रकार आशा है कि शीघ्र ही हम कोढ़ के रोग को बहुत कम करने में सफल हो जायेंगे।

कुछ लोगों का विचार है कि कोढ़ एक पुश्तैनी रोग है। पर विशेषज्ञों का यह कहना है कि एक ही मकान में बहुत समय तक साथ साथ रहने पर यह रोग अन्य व्यक्तियों को पकड़ सकता है। कोढ़ क्षय रोग की भांति छूत से नहीं फैलता है। आज कोढ़ के रोगियों को इतना छूत नहीं समझा जाता, जितना आज से २० वर्ष पूर्व समझा जाता था।

इस क्षेत्र में जो सेवा की भावना से लोग काम कर रहे हैं मैं उनके प्रति बहुत आभारी हूं। इस कार्य का नेतृत्व हमने गैर सरकारी लोगों को देने का निश्चय किया है। हमने एक उच्चस्तरीय कोढ़ परामर्शदाता समिति बनाई है जिसमें हमने सभी गैर-सरकारी व्यक्ति रखे हैं जैसे, डा० वार्डेकर, डा० धर्मेन्द्र, डा० जगदीशन और डा० हाइजमेरिक आदि। मेरा विचार है कि इस कार्य को सफल बनाने का सब से अच्छा उपाय यही है कि इसका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में सौंपा जाय, जिनके जीवन का उद्देश्य कोढ़ रोगियों की सेवा करना है। मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रयोग बहुत सफल रहा है और सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं।

मलेरिया निवारण कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं।

†**श्री खाडिलकर:** कोढ़ रोग के सम्बन्ध में अनिवार्य बन्ध्यीकरण के बारे में क्या किया गया ?

†**श्री करमरकर :** इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के सामने कई बार यह प्रश्न आया है। यदि कोढ़ रोगियों को समझा बुझा कर बन्ध्यीकरण के लिये राजी किया जा सके, तो यह बहुत अच्छी बात है। बम्बई के एक अस्पताल में एक व्यक्ति ने बहुत से लोगों को समझा बुझा कर इसके लिये राजी किया था। यदि माननीय सदस्य भी कोढ़ केन्द्रों में जाकर लोगों को समझा बुझा कर राजी कर सकें, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा। यदि हम सब मिल कर प्रयत्न करें, तो कोढ़ रोगियों के बन्ध्यीकरण की समस्या को हल कर सकते हैं।

मलेरिया निवारण कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं अधिक कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि माननीय सदस्यों को काफी जानकारी है। वर्ष के आरम्भ में ऐसा लगता था कि हमारी प्रगति धीमी है पर अब सभी राज्य सरकारों ने वित्तीय दृष्टि से तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की दृष्टि से अपने को काफी शक्तिशाली बना लिया है। हमें आशा है कि आगामी ३ वर्षों के अन्त तक हम इस कार्य में पूर्णतः सफल हो जायेंगे।

देशी दवाओं का प्रश्न लगभग हर वर्ष उठता है। डा० सुशीला नायर की बात से मैं सहमत हूं कि हमें इस मामले पर भावुकता को छोड़ कर विचार करना चाहिये। सभा को पता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है। चोपड़ा तथा पंडित समितियों की उपपत्तियों के परिणामस्वरूप जामनगर में गवेषणा केन्द्र खोला गया। यद्यपि गवेषणा की प्रगति धीमी रही है पर काम अच्छा हुआ है। मैं चाहूंगा कि श्री नायर जामनगर गवेषणा केन्द्र देखने जायें। उसके बाद वह हमें जो भी सुझाव देंगे, उन पर मैं विचार करूंगा।

मैं स्वयं जामनगर हो आया हूं। वहां पर अच्छा काम हो रहा है। वहां विशेषज्ञों की एक वैज्ञानिक मंत्रणा समिति है और वहां कुछ विशेष रोगों जैसे पाण्डु रोग, संग्रहणी आदि की गवेषणा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

की जा रही है । । गवेषणा के परिणाम अच्छे रहे हैं । कुछ मामलों में उन्हें थोड़ी तथा कुछ मामलों में अधिक सफलता मिली है । वहां एक गवेषणा क्षेत्र देशी जड़ी-बूटियों को पहचानने के विद्या के सम्बन्ध में गवेषणा कर रहा है ।

जामनगर केन्द्र को केवल दिखावा कहने वालों से मैं सहमत नहीं हूं । मैं जानता हूं कि वहां काम हो रहा है । यह केन्द्र ठोस काम कर रहा है । वहां दिखावा की कोई भी चीज़ नहीं है ।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम इस कार्य को बढ़ाना चाहते हैं । हम थोड़े ही समय में अनेक दवाओं का परीक्षण करना चाहते हैं ताकि जो सामान्य औषधियां परीक्षण में सही उतरें उन्हें देश के सभी नागरिक अस्पतालों में हम लागू कर सकें । अन्यथा यदि हम स्वयं दवाओं को लागू नहीं करते, तो इस गवेषणा आदि का क्या लाभ ? अतः हम चाहते हैं कि देशी दवाओं को भी हम अपनी चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित कर लें ।

एक काम हम और करना चाहते हैं और वह है पुराने चिकित्सा ग्रंथों का प्रामाणिक प्रकाशन । हम उसके हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करण प्रकाशित करेंगे । पर नियमित ढंग से धीरे धीरे ।

अभी तक हमें अच्छी तरह पता नहीं है कि आयुर्वेद चिकित्सकों की स्थिति क्या है : राज्य सरकार उन्हें क्या सुविधायें दे रही है और उनकी कितनी संस्थायें आदि हैं । इस कार्य के लिये हमने एक समिति नियुक्त की थी जिसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उसी के आधार पर हम अपनी आगे की कार्यवाही निर्धारित करेंगे । इस समिति के सभापति डा० उदुपा थे ।

प्रस्तावित नियमों के संबंध में भी कुछ कहा गया । कठिनाई इसलिये पैदा हुई कि औषधि नियम १९४५ के अधीन सल्फा औषधियां तथा पेनोसिलीन आदि पंजीकृत डाक्टरों के नुस्खे पर ही दिये जाते हैं । इस परिभाषा के अनुसार अब इन पंजीकृत डाक्टरों को यह अधिकार नहीं रहेगा । आपति की गयी है कि संयुक्त औषधि शास्त्र के स्नातक अब न तो अपना पंजीयन करा सकेंगे और न इन औषधियों के नुस्खे देने के हक़दार होंगे । यह भी पता नहीं कि विभिन्न राज्यों में संयुक्त स्नातकों के पंजीयन की प्रणाली क्या है, इस संबंध में राज्यों से जानकारी मांगी जा रही है । इस संबंध में उद्देश्य यह है कि ऐसे लोगों को नुस्खे देने के अधिकार से वंचित किया जाये, जो उसके आधार पर डाक्टरी नहीं करते ।

यह भी कहा गया है कि ऐसे संयुक्त स्नातकों को राज्य सरकारों में सेवायें मिल गयी हैं और औषधि एकक के अधीन, उन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली औषधियां निषिद्ध हो जायेंगी । इस मामले में मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि शीघ्रता नहीं की जायेगी तथा सभी बातों पर ध्यान दिया जायेगा । उद्देश्य यह है कि रोगियों के हित का ध्यान रखा जाये ।

एक अन्य बात मैं प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में कहना चाहता हूं । प्रायः यह कहा जाता है कि इस दिशा में ग्रामों का ध्यान नहीं रखा जाता । मुझे इस पर आश्चर्य होता है । यह ठीक है कि हम अधिक स्थानों पर नहीं पहुंच सके परन्तु इस कार्य का अच्छा श्रीगणेश हो गया है । हम ३,००० स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण करना चाहते थे । इस योजना के विस्तार से अब तक १,०३१ केन्द्र स्थापित

हो चुके हैं। परन्तु अभी कई में अच्छे डाक्टरों की व्यवस्था नहीं हो सकी, परन्तु उस कमी को हम शीघ्र ही दूर करेंगे। इस वर्ष के लिए हमें १,१३,०६,००० रुपये का सहायक अनुदान प्राप्त हो गया है। और अगले वर्ष के लिए हमने १ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली है।

माननीय श्री माथुर ने जल-संभरण के सम्बन्ध में आलोचना की है। उसके लिए भी राष्ट्रीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। परन्तु जो कुछ हम कर रहे हैं वह भारत सरकार की दृष्टि में भी कुछ नहीं है। परन्तु सरकार और योजना आयोग के बस में जो कुछ है, वह हमने किया है। आय व्ययक की व्यवस्था के अनुसार १९५६–५७ से १९५८–५९ तक के तीन वर्षों में शहरी राष्ट्रीय जल संभरण योजना पर २०,८६.६९ लाख रुपये का खर्च हुआ। यह राशि हमने राज्यों को दी है। देहाती योजनाओं के लिए हमने लग भग ४,९४,००,००० रु० दिये हैं। इस योजना के बारे में योजना आयोग ने एक परामर्श दिया था जिसे मानना बड़ा जरूरी था कि देहाती जल सम्भरण योजना नल के जल संभरण की होगी।परन्तु बाद में परस्पर चर्चा कर के इस बात पर सहमति प्राप्त कर ली गई थी कि इस के बिना भी राज्यों को सहायता दी जा सकती है। अगले वर्ष के लिये स्थानीय विकास के अन्तर्गत भारत सरकार ने देहाती जल सम्भरण के लिये ३ करोड़ रुपये के अंशदान की व्यवस्था की है। यह वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत होगा। भारत सरकार के साधनों के अन्तर्गत जो कुछ संभव है किया जा रहा है।

होमियोपैथी के सम्बन्ध में हमने अपने प्रतिवेदन में काफी कुछ कहा है। गत तीन वर्षों में हमनें, इस के लिए जो हमारे पास एक करोड़ था, उस में से ४७ लाख रुपये खर्च किया है। जो कुछ जिसको मिलना चाहिये वह उसे मिला है। अतः मैं इस के विस्तार में नहीं जाऊंगा। कई लोग होमियोपैथी को पसन्द करते हैं और कई आयुर्वेदिक को। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भी हम ने ऊरूली कंचन प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम को ६०,००० रुपया दिया है। यह आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था और यह अच्छा काम कर रहा है। यदि सम्भव हो सका तो हम इस सहायता को जारी रख कर प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देंगे। इन लोगों ने अपना लाभदायक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है जो कि हमने आधुनिक डाक्टरों को भेजा है ताकि वे इस पर अपना मत व्यक्त कर सकें।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि होमियोपैथी पर ४५ लाख खर्च हुआ है परन्तु वास्तविकता यह है कि कुल ३४ लाख रुपये में से केवल ४ लाख ही इस दिशा में खर्च हुआ है।

†**श्री करमरकर** : हमारे विचार में यही उचित था जो कि हम सम्बद्ध कालिजों को दे सकते थे। मेरे माननीय मित्र इस बात की सराहना करेंगे और हमारी कठिनाइयों को समझेंगे हमारा यह विचार है कि आयुर्वेद राज्यों में अधिक लोक प्रिय है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अन्य प्रणालियां ठीक नहीं हैं। होमियोपैथी के लिए, बगांल, उत्तर प्रदेश, और कुछ कुछ मध्य प्रदेश और बम्बई से भी मांग आई है। शायद केरल से भी मांग आई है।

†**श्री खाडिलकर** : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि बेबी फ़ूड (बच्चों के खाद्य-पदार्थ) गलूकोज इत्यादि के निर्माण के लिए सरकार ने क्या किया है।

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न दूसरे मंत्रालय का है और यह अच्छा होगा कि उस मंत्रालय की बारी आये तो माननीय सदस्य इस प्रश्न को प्रस्तुत करें। यह तो ठीक ही है कि बैबी फ़ूड मुनासिब

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

कीमत पर लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। मैं श्री राजू के रचनात्मक सुझावों की सराहना करता हूं। विशेष कर तो उन्होंने मैडीकल कालिज के विस्तार की बात की है। उन्होंने काकीनाड़ा कालिज का उल्लेख किया। मुझे वहां जाने का अवसर मिला है। हमारी उनके साथ पूर्ण रूप से नैतिक सहानुभूति है। समय आने पर हम उनकी समुचित सहायता करेंगे। सरकार इस प्रकार के प्रश्नों को पसन्द करती है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमें ६½ करोड़ रुपये दिये गये। गलत अथवा सही जो कालिज पहले आये थे वह हम नें उनको दे दिया। दूसरे कालिजों को, धन के अभाव में हमें सहायता देने की इच्छा होते हुए भी निराश करना पड़ा। हमारे पास धन हुआ तो हम उस पर विचार करेंगे। इस बीच में सभी नये कालिजों के लिए सद्भावना प्रकट करता हूं बीकानेर का ेज को भी मैं इस में सम्मिलित करता हूं। हमने इसके लिए कहा था कि हम आवर्तीव्यय देने को तैयार हैं। परन्तु यह व्यय लिया नहीं गया। हमने कालिज आरम्भ नहीं किया था परन्तु अब तो आरम्भ कर लिया है कालिज प्रगति करेगा और हम से जो भी सहायता सम्भव होगी वह हम देंगे। इसके लिए २९ वातानुकूलित यूनिट खरीदने की स्वीकृति दे दी गयी है। ये वहां लगाये जायगे। आशा है कि माननीय सदस्य इस की सराहना करेंगे।

बंगपुरा मैडीकल कालिज की प्रगति हमारी जानकारी के िना ही हुई है और यदि उसे कोई हानि हुई हैं तो उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं। यह पुराना कालिज है और अब राज्य सरकार को इसके प्रति पूर्ण सहानुभूति है। हमारी भी उनसे सहानुभूति है परन्तु हमें खेद है कि हम उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकते।

एकीकृत प्रशिक्षण सुविधाओं के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई हैं। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि गत वर्ष आयुर्वेद और यूनानी औषधालय खोलने के आदेश जारी किये गये। ऐसे औषधालयों को सहायता देने के लिये भी कहा गया। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने हिसार जिले के जो १६ गांवों की बात की है उसे मैं पंजाब सरकार के पास भेजूंगा। मैं चाहता हूं कि इस बीच वह स्वयं पंजाब सरकार से इस मामले पर बातचीत करें। मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार पर उनकी बात का असर होगा और मैं भी उनके युक्तियुक्त सुझावों को काफी वजन देता हूं। इस मामले को कुछ प्राथमिकता देने में मुझे कुछ प्रसन्नता ही होगी। मुझे आशा है कि पानी उपलब्ध हो जायेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : केवल शब्दों से तो काम नहीं चलेगा। हमें बिजली और पानी चाहिये।

†**श्री करमरकर** : यदि वहां पानी नहीं, तो मैं ला नहीं सकता। परन्तु मेरी सहानुभूति पूर्णरूप से उनके साथ हैं। मुझ से जो कुछ हो सकता ह वह मैं करूंगा। पंडित ठाकुर दास भार्गव को भी पंजाब सरकार पर जोर डालना चाहिये। मुझे इसका भी हर्ष है कि उनके आशीर्वाद के कारण परिवार नियोजन आन्दोलन काफी अच्छी प्रकार से चल रहा है। आशा है उसे सफलता प्राप्त होगी।

मेरे मित्र श्री गोरे ने संयुक्त कालिज के डिग्री डिप्लोमा प्राप्त लोगों की जो बात की है उसके बारे में अब स्थिति स्पष्ट हो गयी होगी। डा० सुशीला नायर से भी मैं पूर्णतः सहमत हूं कि योग्य व्यक्तियों द्वारा आयुर्वेद के अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्होंने यह भी शिकायत की कि लेडी हार्डिंग कालिज में प्रोफेसरों के पदों में महिलायें कम हो रही हैं। परन्तु इसमें भारत सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

का तो कोई दोष नहीं । कालिज की प्रिंसिपल के स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होने पर यह सारी स्थिति उपन्न हुई । मैं इस पर अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा ।

जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि सचमुच जितने सम्भव अधिकार हमें प्राप्त हो सके वह हम लेना चाहते हैं और मैं यह चाहूंगा कि यह सभा उसके प्रयोग की पूरी छानबीन करती रहे। लोकतंत्रीय सरकार में अधिकार लोगों का भला करने के लिये ही प्राप्त किये जाते हैं, ताकि जितना भी हम जनकल्याण कर सकें करें । जहां हमें पैसे लेने का अधिकार दिया जाय वहां हमसे यह भी पूछा जाय कि यह धन किस प्रकार खर्च किया गया । सरकार प्रथम बार बहुत सी अच्छी संस्थाओं को चला रही है ।

यह एक संस्था है जिसका अधिकांश सरकार के ही हाथ में है । उसकी कार्यकारिणी में सरकार के सभी भागों के प्रतिनिधि हैं । कालिज पर सरकार का नियंत्रण नहीं, अतः इसके कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वह नहीं हैं जो कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा वालों की हैं । अतः इस दिशा में हमने जो अधिकार प्राप्त किये हैं वह कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने और स्नातकोत्तर व्यक्तियों के लिये अधिक अवसरों की व्यवस्था करने के लिये ही है, कालिज को हानि पहुंचाने के लिये नहीं ।

मेरे यह सब कहने का यह तात्पर्य नहीं कि डा० पशुपति नाथ मंडल अपने बांकुरा मैडीकल कालिज के लिये सहायता लेने की दिशा में जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे छोड़ दें । उनका कालिज तो संघर्ष करता हुआ बहुत अच्छा काम कर रहा है । श्री खाडिलकर की बहुत सी बातों का मैंने उत्तर दे दिया है । एकीकरण हम कर ही रहे हैं । उदाहरणतः प्रत्येक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र में हम एक परिवार नियोजन यूनिट भी रखना चाहते हैं । लगभग ३००० प्रसूति केन्द्रों में से १०६१ में परिवार नियोजन सहायता देनी आरम्भ कर दी गयी है । शीघ्र ही और भी विलय का कार्य किया जायेगा । इस सम्बन्ध में चलते फिरते यूनिट के मामले पर भी हम पूरा विचार कर रहे हैं । परन्तु ऐसा करने से पूर्व इसके लिये आवश्यक वातावरण निर्माण करना होगा । परन्तु श्री खाडिलकर का सुझाव बहुत ही उत्तम है और उसके लिये हम उन्हें हमेशा याद करेंगे । सब से पहले हम उनके क्षेत्र में ही यह कार्य आरम्भ करेंगे ।

मैं चाहता हूं कि जो हमारे अस्पताल हैं, उनमें जो मरीज़ आते हैं, जिनमें बहुत से गरीब लोग भी होते हैं, उनको अभी की अपेक्षा ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण ट्रीटमेंट मिले । कभी-कभी हमारे पास शिकायतें आती हैं कि न केवल गरीबों को बल्कि अमीरों को भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और कभी-कभी वे सही भी होती हैं । मैं अपनी बहन जी से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसमें हम सभी का दोष है । जो स्टैंडर्ड हम क्रिश्चियन मिशनरियों के अस्पतालों का या पाश्चात्य देशों के जो अस्पताल हैं उनका हम सुनते हैं वह स्टैंडर्ड शायद हमारे अस्पतालों में न आया हो लेकिन शायद आइन्दा आ जायेगा ।

मैंने देहाती क्षेत्रों के लिये प्राइमरी नर्सों के बारे में जो कुछ कहा है, उसको मैं समझता हूं मेरी बहन जी ने सुन लिया होगा और समझ लिया होगा । मुझे बहुत खुशी है कि वह इस मामले में इतनी अधिक दिलचस्पी लेती हैं । मैं चाहता हूं कि वह इसी तरह से इस मामले में दिलचस्पी लेती रहें । उन्होंने अपने प्रदेश के बारे में जो सुझाव दिया है, उसके बारे में मध्य प्रदेश की सरकार के साथ कुछ न कुछ लिखापढ़ी करूंगा ।

तिब्बिया कालिज के सम्बन्ध में श्री अब्दुल लतीफ ने जो कुछ कहा है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं । परन्तु मामला अदालत के समक्ष है अतः हम उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कानपुर टी० बी० अस्पताल के सम्बन्ध में श्री अवस्थी ने जो उल्लेख किया है, उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार से वह बातचीत कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि वह अपने प्रयत्नों में सफल हों, हम से भी जो कुछ होगा हम उनकी सहायता करेंगे ।

[श्री करमरकर]

श्री राधा रमण जी ने मेरे मंत्रालय के बारे में जो कुछ कहा है, हम उन सब बातों को स्वीकार करते हैं। सफ़दरजंग के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उसकी हम सराहना करते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा मैं उससे सहमत हूं और मुझे इस बात को प्रसन्नता है कि थोड़े ही समय में सफ़दरजंग और विलिंगडन अस्पतालों ने बहुत ही अच्छी प्रगति की है। यह दोनों अस्पताल भारत सरकार के नियंत्रण में हैं। इन दोनों के प्रमुख डाक्टरों, कर्नल अय्यर तथा डा० खोसला की मैं सराहना करता हूं। उन्होंने अपने साथियों सहित बहुत अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार प्रगति होती रहे।

शाहदरा की कुष्ट रोगियों की बस्ती के बारे में मैं श्री राधा रमण से प्रार्थना करूंगा कि वह दिल्ली प्रशासन से बातचीत करें। हम उन्हें पूर्ण सहानुभूतिपूर्ण और समर्थन प्रदान करेंगे। जो कुछ इस दिशा में हो रहा है उससे मैं प्रसन्न नहीं। मैं उसे ठीक करना चाहता हूं, अतः मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने यहां विचार प्रकट किये है उसी प्रकार सदन से बाहर भी वह हमारी सहायता करेंगे।

श्री बिष्ट के सुझावों से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, विशषकर यह कि वार्षिक योजनाओं में कुछ कांट-छांट कर ली जाय। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने बीकानेर कालिज का उल्लेख किया है। ठीक है उनको आगे बढ़ना चाहिये। राजस्थान सरकार ने कालिज आरम्भ किया है, अच्छी बात है, हमने इस दिशा में जो सहायता का वचन दिया है, उसे हम पूरा करेंगे।

सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा निजी प्रक्टिस न करने के बारे में भी मैं उनसे सहमत हूँ। हम नहीं चाहते कि अस्पताल के कर्मचारी ऐसा करें। विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों के डाक्टर भी ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें ऐसा न करने का भी भत्ता देते हैं। इससे कई बुरी बातें बन्द हो गयी है। यह हो सकता है कि कोई अपनी स्थिति का लाभ उठाकर निजी प्रेक्टिस करता हो। हम चाहते हैं कि सब अच्छी तरह काम करें। भारत सरकार की स्पष्ट राय है कि सरकारी अस्पतालों का कोई डाक्टर अपनी निजी प्रेक्टिस न करें। इन अस्पतालों में केवल वही लोग हों जो कि अपना सारा समय इसी काम को दें और अपनी कोई निजी प्रेक्टिस न करें।

मैं, एक माननीय सदस्य के इस सुझाव की सराहना करता हूँ कि सारे मामले का पुनरीक्षण किया जाये। माननीय सदस्य जानते हैं गत १० वर्षों से वही हो रहा है जिसकी नीव कि भोर समिति ने रखी थी। कई मामलों में हम आगे बढ़े है और कई में पीछे भी रहे हैं। मलेरिया के मामले में आगे बढ़े है और स्वास्थ्य केन्द्रों में पीछे रहे हैं। परन्तु अब समय आ गया है कि सब का सामूहिक स्तर पर पुनरीक्षण किया जाय। तीसरी योजना का कार्य आरम्भ हो गया है, उसके लिए भी यह बड़ा आवश्यक है। अतः भोर समिति की तरह की एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का सरकार ने निश्चय किया है। मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० ए० एल० मुदालियर उसके अध्यक्ष होंगे। समिति के सदस्य भी सभी अनुभवी व्यक्ति हैं। यह सब सारे मामले पर विचार कर भविष्य के कार्यक्रम का निर्णय करेंगे। इनका कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना से भी आगे जायेगा और यह काफी समय काम करेंगे। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि शीघ्र ही समिति नियुक्त हो जाय और वह मुनासिब समय मैं अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दे, ताकि हमें पूर्णतः यह पता चल जाये कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए।

मैं आज के पांच घंटों के विवाद के लिए सथा का आभारी हूं। इससे सरकार और सभी पक्षों को काफी लाभ पहुँचा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रतावों को लेता हूं। क्या इनमें मतदान के लिये रखने की आवश्यकता है?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, नहीं।

सभी कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं और स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४२	स्वास्थ्य मंत्रालय . . .	१२,९२,०००
४३	चिकित्सा सेवायें . .	६,०७,८३,०००
४४	सार्वजनिक स्वास्थ्य	१५,१५,३२,०००
४५	स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय	८०,६०,०००
१२२	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	११,४३,९७,०००

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २८ मार्च, १९५९/७ चैत्र, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[गुरुवार, २६ मार्च, १९५९]

[५ चैत्र, १८८१ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३९१३—४१
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१४८५	नेडियम अयस्क का निर्यात	३९१३
१४८६	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३९१४
१४८७	हैदराबाद में नाभिकीय गवेषणा संस्था	३९१५-१६
१४८८	काम दिलाऊ दफ्तर	३९१६—१८
१४८९	सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सुविधायें	३९१८-१९
१४९०	उच्चतम न्यायालय के अभियोग में कार्मिक संघों को कानूनी सहायता	३९१९—२१
१४९१	महात्मा गांधी के जीवन की घटनाओं के रिकार्ड तैयार करने के लिये आकाशवाणी की योजना	३९२१-२२
१४९४	योजना आयोग का पुनर्गठन	३९२३-२४
१४९६	ब्रिटेन में भारतीय श्रमिक	३९२४-२५
१४९७	भारतीय वस्त्र	३९२५—२७
१४९८	मौलाना आजाद की पुस्तक "इण्डिया विन्स फ्रीडम"	३९२७—२९
१४९९	कानपुर में औद्योगिक श्रमिकों के लिये राज सहायता से बने क्वार्टर	३९२९-३०
१५००	ग्लाइडरों का निर्माण	३९३०-३१
१५०२	जीवन बीमा निगम से ऋण सहायता	३९३१- २
१५०३	गिरिडीह कोयला खान में दुर्घटना	३९३२-३३
१५०५	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम	३९३३—३५
१५०६	मिस्र से रूई का आयात	३९३५—३७
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
१२	पाकिस्तान को चारलैण्ड्स का हस्तान्तरण	३९३७—३९
१३	तुकेर ग्राम	३९३९—४१

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३९४१—७५

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४८४	रबर गवेषणा संस्था और रबर बोर्ड कार्यालय की इमारत	३९४१
१४९२	वेल्डिंग गैसें .	३९४१
१४९३	पाकिस्तान में राडार व्यवस्था .	३९४१–४२
१४९५	मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात .	३९४२
१५०१	पुनर्वास विभाग के कर्मचारी . .	३९४२
१५०४	लंका में भारतीय सीमेण्ट के विक्रय एजेन्ट	३९४२–४३
१५०७	लौह अयस्क का निर्यात .	३९४३
१५०८	रोजगार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति	३९४३–३९४४
१५०९	फर्नीचर बनाने का कारखाना . .	३९४४
१५१०	अपाहिजों के अनिवार्य रोज़गार सम्बन्धी विधान	३९४४
१५११	'काफी हाउसों' का बन्द होना .	३९४४–४५
१५१२	'अमृत पत्रिका', इलाहाबाद	३९४५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३२१	आगरा में संगमरमर कार्य प्रशिक्षण केन्द्र	३९४५–४६
२३२२	पंजाब में सीमेन्ट का संभरण .	३९४६
२३२३	पंजाब से कपड़े की निकासी	३९४६
२३२४	कपड़ा उद्योग	३९४६
२३२५	परामर्शदात्री समितियां	३९४६
२३२६	आण्विक ईंधन निर्माण संयंत्र.	३९४७
२३२७	चल-चित्रों का आयात .	३९४७
२३२८	इनफ्लूएन्जा तथा हैजा महामारी पर वृत्त चल-चित्र	३९४७
२३२९	अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले भारतीय चल-चित्र	३९४८–४९
२३३०	मैंगनीज अयस्क का निर्यात .	३९४९
२३३१	आन्ध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोज़गार	३९५०
२३३२	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय	३९५०
२३३३	अमोनियम फास्फेट का उत्पादन	३९५०–५१
२३३४	राजस्थान में योजना सम्बन्धी प्रचार	३९५१
२३३५	प्रेस सूचना विभाग के शाखा कार्यालय .	३९५१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३३६	राजस्थान में औद्योगिक बस्तियां	३९५१–५२
२३३७	राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार	३९५२
२३३८	सक्षम पदाधिकारी . . .	३९ ३
२३३९	निर्यात संवर्धन मंत्रणा परिषद् की स्थायी समिति की बैठक .	३९५३
२३४०	अम्बर चर्खा	३९५३–५४
२३४१	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	३९५४
२३४२	कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	३९५४
२३४३	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	३९५४–५५
२३४४	उत्तर प्रदेश में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	३९५५
२३४५	भारत में लोक-नृत्य	३९ ५–५६
२३४६	आयात अनुज्ञप्तियां	३९५६
२३४७	संरक्षित उद्योग .	३९५७
२३४८	उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता . . .	३९५७
२३४९	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	३९५७–५८
२३५०	अगुशक्ति संस्थापन, ट्राम्बे, में विदेशी प्रशिक्षणार्थी	३९५८
२३५१	पाकिस्तान जाने वाले भारतीय . .	३९५८–५९
२३५२	सहकारी कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजे गये प्रशिक्षणार्थी	३९५९
२३५३	सिलाई की मशीनें	३९५९
२३५४	उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण	३९६०
२३५५	निर्यात में वृद्धि	३९६०
२३५६	बालोपयोगी चल-चित्र समिति	३९६०–६१
२३५७	शिक्षित बेरोजगार	३९६१
२३५८	हाथ से सीने की सुइयों का आयात	३९६१
२३५९	वस्त्र प्रोद्योगिकीय संस्था, भिवानी	३९६१–६२
२३६०	चाय उद्योग के लिये छोटी मशीनें	३९६२
२३६१	बेरोजगारी	२९६२–६३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३६२ मधुमक्खी पालन की अस्ट्रेलियन पद्धति ३९६३
२३६३ चटाइयों का निर्यात ३९६३
२३६४ मनीपुर लोक-निर्माण विभाग ३९६४
२३६५ सोडियम सल्फेट का उत्पादन ३९६४
२३६६ पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति के पार पत्रों का नवीकरण ३९६४–६५
२३६७ रेडियो स्टेशन, कटक . . ३९६५
२३६८ बम्बई राज्य में प्रतिकर पूल वाले क्वार्टर ३९६५
२३६९ विकिरण के खतरों सम्बन्धी गवेषणा ३९६५-६६
२३७० टेपिओं का से ग्लूकोज़ और मांड़ का निर्माण ३९६६–६७
२३७१ खानों में दुर्घटनाओं का वर्गीकरण . २९६७–६८
२३७२ मद्रास में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग ३९६८–६९
२३७३ मद्रास राज्य में खादी का उत्पादन . ३९६९
२३७४ दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान ३९६९
२३७५ आसाम में उद्योग . २९७०
२३७६ केन्द्रीय लोक–निर्माण विभाग की कर्मशालायें ३९७०
२३७७ ढिबरी और पेंच . . . ३९७०
२३७८ अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोगों में प्रशिक्षण . . ३९७१
२३७९ जंगपुरा (दिल्ली) के निकट विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि ३९७१
२३८० पाकिस्तान में एक भारतीय को मृत्यु-दण्ड ३९७१–७२
२३८१ त्रिपुरा में डूथपुर बस्ती ३९७२
२३८२ प्रधान मंत्री का सचिवालय ३९७२
२३८३ बलूचिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिकर के दावे ३९७३
२३८४ सीमा घटना . ३९७३–७४
२३८५ दण्डकारण्य क्षेत्र का विकास . ३९७४–७५
२३८७ गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता के कर्मचारी ३९७५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . ३९७५–७६

अध्यक्ष महोदय ने १७ मार्च, १९५९ को उड़ीसा विधान सभा में उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये एक कथित वक्तव्य के बारे में विशेषाधिकार के एक प्रश्न को, जिसकी सूचना

विषय पृष्ठ

विशेषाधिकार का प्रश्न—(क्रमशः)

श्री प्र० के० देव और अन्य सदस्यों द्वारा दी गयी थी, उठाने की अनुमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९७७

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

(१) ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही में इंडिया स्टोर विभाग, लन्दन द्वारा जिन मामलों में न्यूनतम टेन्डर स्वीकार नहीं किये गये ऐसे मामलों के विवरण की एक प्रति ।

(२) अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५११ की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ३९७७

उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . ३९७७

चवालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३९७८

श्रीमती इलापाल चौधरी ने कलकता-बम्बई, मेल की २० मार्च, १९५९ को दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर स्टेशन के निकट हुई दुर्घटना की ओर रेलवे मंत्री का ध्यात दिलाया।

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक—पुरस्थापित ३९७९

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक, १९५९ ।

अनुदानों की मांगें ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरंभ हुई तथा समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

विषय पृष्ठ

मंत्री द्वारा वक्तव्य ४०१३–१४

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नन्दा) ने घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

शुक्रवार, २८ मार्च, १९५९/७ चैत्र १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और श्री उ० चं० पटनायक द्वारा प्रस्तुत सहकारी खेती के बारे में संकल्प पर और आगे चर्चा तथा अन्य गैर-सरकारी संकल्पों पर भी विचार।

———